



सत्यमेव जयते

(भाग सी)

(PART C)



भंडार मामले
STORES MATTER

| मद सं. | मदों का विवरण खरीद करने की शक्तियाँ |
|--------|--|
| 1 | निविदा समिति का गठन और स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी । |
| 2 | निविदाओं की सीधी स्वीकृति। |
| 3 | GeM पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं का GeM पोर्टल द्वारा सीधे ऑन-लाइन प्रापण । |
| 4 | यदि सामग्रियों की अति आवश्यकता हो और GeM द्वारा दर/चालू संविदा किया गया हो तो, प्रमुसाप्र द्वारा सामग्रियों का सीधा प्रापण । |
| 5 | कम मूल्य के स्टॉक एवं गैर-स्टॉक दोनों मदों का स्थानीय खरीद । |
| 6 | (a) भारत सरकार उपक्रमों अर्थात्, एम एम टी सी, मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लि., मैसर्स हिंदुस्तान कॉपर लि. से गैर-लौह धातुओं की खरीद । (b) अग्रिम भुगतान पर केंद्रीकृत कैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा प्रापण के मामले में एम एम टी सी और अन्य पी एस यू से गैर-लौह धातुओं की खरीद । |
| 7 | स्टील मदों के मामले में मैसर्स सेल, टिस्को,इस्को,आरआईएनएल के स्टॉक यार्ड/बफर इम्पोर्ट से एकल निविदा खरीद को स्वीकृत करना एवं उन्हें अग्रिम में 100% भुगतान करना । |
| 8 | एकल निविदा आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विपणन की जाने वाली तैल एवं लुब्रीकैंट की खरीद एवं 100% अग्रिम भुगतान करना । |
| 9 | स्पॉट खरीद समिति द्वारा सामग्रियों की खरीद के लिए निविदा समिति एवं स्वीकृति प्राधिकारी का गठन । |
| | निविदा - पूर्व |
| 10 | इंडेंट देने से पहले मात्राओं का अनुमोदन । |
| 11 | गैर-स्टॉक माँगों/आवश्यकताओं का वेटिंग । |
| 12 | गैर-स्टॉक माँगों/आवश्यकता पर हस्ताक्षर करना और प्रमाणित करना । |
| 13 | केंद्रीकृत प्रापण एजेंसियों को दी जाने वाली माँगपत्रों का प्रमुसाप्र कार्यालय द्वारा वेटिंग । |
| 14 | रेलवे बोर्ड को अग्रेषित माँगपत्रों पर हस्ताक्षर करना । |
| 15 | सामान्य परिस्थितियों में सीमित निविदा/बुलेटिन निविदा जारी करना । |
| 16 | आपात्काल में सीमित निविदा/बुलेटिन निविदा जारी करना । |
| 17 | लिमिटेड निविदाओं को जारी करना (i) संरक्षा मदों के लिए (ii) मदें जिनके लिए अनुमोदित सूची केन्द्रीकृत |
| 18 | एजेंसियों/आरडीएसओ/पीयू/कोर द्वारा जारी की जाती है । सामान्य स्थितियों में विज्ञापित/खुली निविदा जारी करना । |
| 19 | सभी प्रकार के ग्लोबल निविदाएं आमंत्रित करना । |

| Item No. | DESCRIPTION OF THE ITEM |
|------------------------|--|
| PURCHASE POWERS | |
| 1 | Constitution of Tender Committee and Authority Competent for Acceptance |
| 2 | Direct acceptance of tenders. |
| 3 | Direct on-line procurement of common use goods and services available on GeM through GeM portal |
| 4 | Direct procurement of stores by PCMM for which GeM has entered into rate/running contract, if stores are required urgently |
| 5 | Local Purchase of items of small value both Stock and Non-stock |
| 6 | (a) Purchase of non-ferrous metals from Government of India undertakings viz., M.M.T.C., M/s Hindustan Zinc Ltd, M/s Hindustan Copper Ltd |
| | (b) Purchase of non-ferrous metals from MMTC and other PSU in case of procurement through a centralised canalising agency with ADVANCE PAYMENT. |
| 7 | To accept for SINGLE TENDER purchase from stock yards / buffer imports of M/s SAIL, TISCO, IISCO, RINL in respect of steel items and to make 100% advance payment to them. |
| 8 | Purchase of Oils and Lubricants marketed by Public Sector Undertakings on SINGLE TENDER BASIS and to make 100% advance payment. |
| 9 | Constitution of Tender Committee and Accepting Authority for procurement of stores through SPOT PURCHASE COMMITTEE |
| PRE-TENDER | |
| 10 | Approval of quantities before placement of Indent |
| 11 | Vetting of Non-stock demands / requisitions |
| 12 | Signing of Non-stock demands/ requisitions and requirement of essentiality |
| 13 | Vetting of Indents to be placed on centralised procurement agencies by PCMM Office. |
| 14 | Signing of Indents forwarded to Railway Board. |
| 15 | Issue of Limited Tender /Bulletin Tender in normal circumstances. |
| 16 | Issue of Limited/Bulletin Tenders in emergencies. |
| 17 | Issue of Limited tenders (i) For safety items (ii) For items for which approved list is issued by centralised agencies /RDSO/PU/CORE . |
| 18 | Issue of Advertised/Open Tenders in normal circumstances |
| 19 | To invite all types of Global Tenders. |

| मद सं. | मदों का विवरण निविदा - पूर्व |
|--------|--|
| 20 | जहाँ पी ए सी 6 "A" प्रमाणित हो वहाँ एकल निविदा आमंत्रित करना । |
| 21 | जहाँ पी ए सी 6 "C" प्रमाणित हो उन पी ए सी मदों के लिए एकल निविदा आमंत्रित करना । |
| 22 | इंडेंट देने वाले अधिकारी द्वारा पीएसी पर हस्ताक्षर |
| 23 | गैर-पी ए सी वस्तुओं के लिए वित्तीय सहमति के बिना एकल निविदा आमंत्रित करना । |
| | (i) सामान्य परिस्थितियों में (ii) आपात स्थिति में |
| 24 | एकल निविदा आमंत्रित करना- विकासात्मक मद |
| | निविदा के बाद |
| 25 | एफ ई जारी करना और क्रेडिट/टीटी पत्र द्वारा भुगतान । |
| 26 | यातायात संविदाओं में रेल सामग्रियों का हवाई माल भाड़ा । |
| 27 | प्रोफॉर्मा बीजक के विरुद्ध वित्तीय सहमति के साथ 100% अग्रिम भुगतान । |
| 28 | लिमिटेड निविदा के तहत यदि एकल कोटेशन प्राप्त हो और मूल्य उचित हो तो ऐसी स्थिति में अति आवश्यकता का प्रमाणन । |
| 29 | संविदा के आईआरएस शर्तों में निहित वारंटी खंड से निम्न वारंटी खंड को स्वीकृत करना । |
| 30 | पूर्व वित्तीय सहमति के बिना अनुबंध की आईआरएस शर्तों से विचलन की स्वीकृति । |
| 31 | निरीक्षण के साक्ष्य एवं प्रेषण पर 100% / 98% / 95% भुगतान प्राधिकृत करना । |
| 32 | बयाना जमा राशि की छूट । |
| 33 | (a) निविदा प्रावधानों के अनुसार अग्रिम जमा राशि की वापसी । |
| | (b) निविदा प्रावधानों के अनुसार अग्रिम जमा राशि की जब्ती । |
| 34 | दैनिक घटना संबंधी गैर मानक खंड की स्वीकृति । |
| 35 | स्वदेशी/आयातित भंडार के संबंध में मूल्य/विनिमय दरों में अंतर होने पर कोटेशन की स्वीकृति । |
| 36 | निविदा को रद्द करना । |
| 37 | सुरक्षा जमा राशि की छूट । |
| 38 | क्रय आदेश की वेटिंग । |
| 39 | 39.1 – सामग्री सहायता के लिए अन्य रेलवे इकाइयों को क्रय आदेश देना । |
| | 39.2 – क्रय आदेश, संविदाओं पर हस्ताक्षर करना । |
| 40 | (a) सुरक्षा जमा राशि की वापसी । |
| | (b) सुरक्षा जमा राशि की जब्ती । |

| Item No. | DESCRIPTION OF THE ITEM |
|----------|--|
| 20 | Invitation of SINGLE TENDER for items where PAC 6 "A" certified. |
| 21 | Invitation of SINGLE TENDER for PAC items where PAC 6 "C" certified |
| 22 | Signing of PAC – By the Indenting Officer |
| 23 | Invitation of SINGLE TENDER for Non-P.A.C articles without Finance concurrence. (i) In normal circumstances (ii) In emergencies |
| 24 | Invitation of SINGLE TENDER – DEVELOPMENTAL items. |
| | POST-TENDER |
| 25 | Release of FE and payment through Letter of Credit/TT |
| 26 | Air freighting of Rly stores in import contracts |
| 27 | 100% Advance payment against Proforma Invoice with Finance Concurrence |
| 28 | Urgency certification in case of receipt of a single quotation against limited tender if prices are found to be reasonable. |
| 29 | Acceptance of warranty clause in variance with Warranty clause in IRS conditions of contract. |
| 30 | Acceptance of deviation from IRS conditions of contract without prior financial concurrence |
| 31 | Authorise 100% / 98% / 95% payment on proof of inspection and despatch |
| 32 | Waiver of Earnest Money Deposit |
| 33 | (a) Refund of Earnest Money Deposit in accordance with the provisions of tender. (b) Forfeiture of Earnest Money Deposit in accordance with the provisions of tender. |
| 34 | Acceptance of Non-standard Force Majeure Clause. |
| 35 | Acceptance of Quotations subject to variations in prices/rates of exchange, Custom Duty etc in respect of indigenous/imported Stores. |
| 36 | Cancellation of Tender |
| 37 | Waiver of Security Deposit. |
| 38 | Vetting of Purchase Orders. |
| 39 | 39.1 - Placement of Purchase Orders on other Railway Units for material assistance. 39.2 – Signing of Purchase Orders, Contracts |
| 40 | (a) Refund of Security Deposit (b) Forfeiture of Security Deposit |

| मद सं. | मदों का विवरण निविदा के बाद |
|--------|---|
| 41 | आदेशों को रद्द करना । |
| | 42.1 – सुपुर्दगी की तारीख को आगे बढ़ाना । |
| 42 | 42.2 – सुपुर्दगी अवधि समाप्त होने पर प्रेषित भंडार को कंसाइनी द्वारा स्वीकृति । |
| 43 | निर्धारित समय के भीतर सामग्रियों की सुपुर्दगी नहीं करने पर जुर्माना । |
| 43.1 | संविदा को रद्द करना और हानि अथवा क्षति की वसूली । |
| 43.2 | संविदा मूल्य के 10% दर पर सुरक्षा जमा राशि की जब्ती । |
| 43.3 | ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कहीं और से खरीद । |
| 43.4 | ठेकेदार से परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करना । |
| 44 | भंडार संविदा में जहाँ कहीं भी शामिल किया गया हो वहाँ विकल्प खंड को लागू करना । |
| 45 | जोखिम खरीद, सामान्य क्षति और परिनिर्धारित नुकसानियों को बट्टे खाते में डालना । |
| 46 | भारतीय रेल संविदाओं की मानक शर्तों में अंतर । (एल डी, आर पी एवं मध्यस्थता से संबंधित खंड). |
| | डिपो मामले |
| 47 | संविदा में औपचारिक संशोधन किए बिना डिपो अधिकारी द्वारा अधिक/कम आपूर्ति की स्वीकृति । |
| 48 | स्क्रेप, सर्विस न करने योग्य, अतिरिक्त एवं पुरानी सामग्रियों की बिक्री या स्थानांतरण द्वारा निपटारा एवं अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का समायोजन । |
| 48.1 | निविदाओं द्वारा (केवल स्क्रेप के लिए लागू). |
| 48.2 | भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को सीधी बिक्री द्वारा । |
| 49 | नीलामी द्वारा |
| 50 | रेल स्क्रेप को बेचने के लिए निविदा समिति एवं स्वीकृति प्राधिकारी का गठन । |
| 50.1 | बकाया बिक्री मूल्य (BSV) की भुगतान के लिए समय बढ़ाना । |
| | (i) - पूरी ग्राउंड रेंट सहित सामग्री की सुपुर्दगी की तारीख को बढ़ाना । |
| | (ii) – ग्राउंड रेंट के बिना सामग्री की सुपुर्दगी की तारीख को बढ़ाना । |
| 51 | क्रेता को कम सामग्री आपूर्ति करने के मामले में बिक्री मूल्य की वापसी । |
| 52 | रेल परिसर से भंडार को हटाए जाने के मामले में समय बढ़ाना और जमीन किराया को लागू करना या छोड़ देना । |
| 53 | रिजेक्टेड आपूर्तियों के मामले में ग्राउंड रेंट की वापसी । |

| Item No. | DESCRIPTION OF THE ITEM |
|----------------------|---|
| 41 | Cancellation of Orders. |
| 42 | 42.1 – Extension of delivery date |
| | 42.2 – Acceptance of stores despatched after the expiry of delivery period by the Consignee, |
| 43 | Penalties for failure to deliver the stores within the stipulated time |
| 43.1 | Cancellation of the contract and recovery of any loss or damage |
| 43.2 | Forfeiting of security deposit at the rate of 10% of contract value |
| 43.3 | Purchase elsewhere at contractor's risk |
| 43.4 | Recover from the contractor as agreed Liquidated Damages |
| 44 | Operation of option clause wherever included in Stores Contacts. |
| 45 | To write off loss due to Risk Purchase, General Damages & Liquidated Damages. |
| 46 | Variation of Indian Railways Standard Conditions of Contract. (Clauses relating to LD, RP & Arbitration). |
| DEPOT MATTERS | |
| 47 | Acceptance of excess/short supply by Depot Officer without formal amendment to the contract |
| 48 | Disposal by sale or transfer of scrap, unserviceable, surplus and obsolete stores and adjustment of the difference between book value |
| | and sale value |
| 48.1 | By Tenders (applicable only for scrap). |
| 48.2 | By Direct Sale to other Govt Depts. & Quasi Govt. Bodies and Public Undertakings of Govt of India or State Govt. |
| 48.3 | By Auction |
| 49 | Constitution of Tender Committee and Accepting Authority for SALE OF RAILWAY SCRAP |
| 50 | Extension of time for payment of Balance Sale Value (BSV). |
| 50.1 | (i) - Extension of time for delivery of material with full ground rent |
| | (ii) - Extension of time for delivery of material w/o ground rent. |
| 51 | Refund of sale value in the case of material short delivered to purchaser. |
| 52 | Extension of time and enforcing or waiving of ground rent in connection with cases of stores awaiting removal from Railway premises. |
| 53 | Refund of Ground rent in respect of rejected supplies. |

| मद सं. | मदों का विवरण डिपो मामले |
|--------|--|
| 54 | सामान्य स्टॉक के साथ सामग्रियों की सीधी बिक्री । |
| 55 | पुस्तकों, फॉर्मों, लेखन सामग्रियों, लघु भंडारों और निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों के कपड़ों की सीधी बिक्री । |
| 56 | “सामान्य, आपात अथवा विशेष भंडारों” के “ओवरस्टॉक” की बिक्री । |
| | (I) निविदा द्वारा (ii) सीधी बिक्री द्वारा |
| 57 | स्टॉक में उपलब्ध भंडार का पुनःवर्गीकरण एवं उनका सेकंड हैंड या स्कैप के रूप में मूल्यांकन । |
| 58 | भंडार के पुनः वर्गीकरण के लिए सर्वेक्षण समिति की सिफोरिशों की स्वीकृति । |
| 59 | विभागीय या लेखा विभाग द्वारा किए गए सत्यापन में कम पायी गई वस्तुओं को बट्टे खाते में डालना । |
| 60 | (a) – अंकित मूल्य एवं बिक्री मूल्य के मध्य अन्तर का समायोजन । |
| | (b) – बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बचत खाते के अधीन समायोजन । |
| | (c) – स्टॉक सत्यापन के कारण बचत खाते के अधीन समायोजन । |
| 61 | डिपो अधिकारियों द्वारा सामग्री हैंडलिंग उपकरण को भाड़े पर लेना । |

| Item No. | DESCRIPTION OF THE ITEM |
|----------|--|
| 54 | Direct sale of stores with normal stock |
| 55 | Direct sale of books, forms, stationery, petty stores and clothing for menial staff. |
| 56 | Sale of "OVERSTOCKS" of "Ordinary, Emergency or Special Stores" |
| | (i) By Tenders |
| | (ii) By Direct Sale |
| 57 | Reclassification of stores in stock and rate them as second hand or scrap. |
| 58 | Acceptance of recommendations of Survey Committee for reclassification of stores |
| 59 | To write off shortages of articles for verifications undertaken departmentally or by the Accounts deptt. |
| 60 | (a) – Adjustments of difference between Book value and Sale Value |
| | (b) – Adjustments against the S/A Account due to fluctuation in market rates. |
| | (c) – Adjustments against the S/A Account due to Stock Verification. |
| 61 | Hiring of material Handling equipment by depot officers. |

खरीद की शक्तियाँ

मद सं.: 1

निविदा समिति का गठन एवं स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी

यह प्रत्यायोजन सभी प्रकार की आपूर्ति आदेश टर्नकी अनुबंध सहित सेवा का कार्यनिष्पादन आदेश के लिए मान्य है (एवं भी शामिल है)
(संदर्भ: निविदा का आईआरएस शर्तें, खंड 0117).

निविदा का मूल्य

निविदा समिति की संरचना

| निविदा का मूल्य | | निविदा समिति की संरचना | | | |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | भंडार सदस्य | उपभोक्ता विभाग | वित्त सदस्य | स्वीकृति प्राधिकारी |
| 1.1 | 30 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ रुपये तक (दो सदस्यीय समिति) | वरि.वेतनमान | ---- (*) | वरि.वेतनमान | उप मुसाप्र |
| 1.2 | 1 करोड़ रुपये से अधिक एवं 5 करोड़ रुपये तक | कनिप्रग्रे | कनिप्रग्रे | कनिप्रग्रे | वरिप्रग्रे |
| 1.3 | 5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 10 करोड़ रुपये तक | वरिप्रग्रे | वरिप्रग्रे | कनिप्रग्रे | पीएचओडी/सीएचओडी |
| 1.4 | 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 30 करोड़ रुपये तक | वरिप्रग्रे | वरिप्रग्रे | वरिप्रग्रे | पीएचओडी/सीएचओडी |
| 1.5 | 30 करोड़ रुपये से अधिक | पीएचओडी/ सीएचओडी | पीएचओडी/ सीएचओडी | पीएचओडी/ सीएचओडी | महाप्रबंधक |

(*) गैर-स्टॉक मामलों के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा प्रस्तावों की तकनीकी छान-बीन की जाए।

(**) यदि अमप्र न हो तो, म.प्र. स्वीकृति प्राधिकारी होंगे।

(a) (i) प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, पत्र के क्र.सं.1.0(B)(vi) के अधीन 1.0(A) एवं (B) के लिए नोट

(ii) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति/ भंडार दिनांक 29.12.2017, मद सं.3.3(b), 3.4 (b).

(b) स्वदेशी खरीद के मामले में, स्वीकृति की सक्षमता निर्धारित करने के लिए निविदा के मूल्य में जीएसटी और सभी वैधानिक करों को शामिल किए जाएंगे। (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.F(X)II-2004/PW/7 दिनांक 14.09.2004 & 2008/RS(G)/777/1 दिनांक 05.09.2017). आयात खरीद के मामले में, प्रस्ताव का मूल्यांकन प्रस्ताव की पूरी लागत के आधार पर किया जाएगा जिसमें प्रस्तावित सागर माल दुलाई प्रभार, समुद्री बीमा प्रभार बंदरगाह/लैंडिंग प्रभार, सकल सीमा शुल्क शामिल कर उतराई लागत निर्धारित की जानी है। तदुपरांत, निविदा शर्तों में अपेक्षित अन्य लागू प्रभार (अर्थात प्रशिक्षण, प्रतिस्थापन एवं लगाने में खर्च आदि जैसा कोट किया गया हो, यदि कोई हो) को निविदा समिति एवं निविदा स्वीकृति प्राधिकारी के स्तर को निर्धारित करने के लिए कुल उतराई लागत में शामिल किया जाएगा। (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/RS(G)/777/1 दिनांक 08.08.2008). हालांकि "+30% विकल्प खंड" के तहत मात्रा का मूल्य स्वीकृति की योग्यता के स्तर का निर्धारण करने के लिए निविदा के मूल्य से बाहर रखा जाएगा। (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.99/RS(G)/779/5 दिनांक 20.05.2010).

(c) निविदा पर विचार करने के लिए निविदा समिति को इस प्रकार गठित किया जा सकता है ताकि निविदा समिति के सदस्य के रूप में इस स्थिति के आधार पर निविदा की सिफारिश करने की शक्तियों वाला कोई प्राधिकारी ऐसे निविदाओं के लिए स्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा। (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.70/WI/CT/32 दिनांक 7/9.09.1970).

(d) इन नियमों में प्रयुक्त "महाप्रबंधक" शब्द का तात्पर्य रेलों के महाप्रबंधकों, डीजी/आरडीएसओ और रेलवे बोर्ड के अधीन सीधे कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों से है। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017 के मद सं.1.0 B के नोट के अधीन पैरा).

(e) यदि किसी मद के लिए माँगपत्र कई विभागों द्वारा दिया गया हो, प्रमुसाप्र एवं प्रविस के परामर्श से महाप्रबंधक माँगपत्र देने वाले विभाग से एक सदस्य लेकर तीसरी निविदा समिति सदस्य नामित कर सकते हैं। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017 के मद सं.1.0 B के नोट के अधीन पैरा).

PURCHASE POWERS

Item No:1

Constitution of Tender Committee and Authority Competent for Acceptance

This delegation is valid for all types of supply order (and includes turnkey contract) and an order for performance of service

(Ref: IRS Conditions of Contract Clause 0117).

| Value of Tender | | Stores Member | Composition of Tender Committee | | |
|-----------------|--|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | Consuming Department | Finance Member | Accepting Authority |
| 1.1 | Above Rs.30 Lakhs and upto Rs.1 Crore (Two members committee) | Sr Scale | — (*) | Sr Scale | Dy CMM |
| 1.2 | Above Rs.1 Crore and upto Rs. 5 Crores | JAG | JAG | JAG | SAG |
| 1.3 | Above Rs.5 Crores and upto Rs.10 Crores | SAG | SAG | JAG | PHOD/CHOD |
| 1.4 | Above Rs.10 Crores and upto 30 Crores | SAG | SAG | SAG | PHOD/CHOD |
| 1.5 | Above Rs.30 Crores | PHOD/CHOD | PHOD/CHOD | PHOD/CHOD | GM |

(*) Technical scrutiny of offers to be done by Executive Department for Non-stock cases.

(**) In case AGM is not there, GM is the accepting authority.

- (a) (I) Authority: Rly Bd letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Note for 1.0(A) and (B) under Sl No.1.0(B)(vi) of the letter. (ii) Railway Board's letter No. 2017/Trans/01/Policy/Stores Dated: 29.12.2017, Item No.3.3(b), 3.4 (b).
- (b) In respect of indigenous purchase, GST, and all statutory levies shall be included in the value of tender for determining the level of competency of acceptance (Authority Rly Bd letter No.F(X)II-2004/PW/7 dated 14.09.2004 & 2008/RS(G)/777/1 dated 05.09.2017).
In case of import purchase, offers are to be evaluated based on total cost of offer which shall be inclusive of ocean freight charges, marine insurance charges port/landing charges, aggregate customs duty to arrive at total landed cost and thereafter other charges as leviable and as required in terms of tender conditions (viz training, installation and commissioning charges etc., as quoted, if any) to be added to the total landed cost to arrive at the total cost of the offer for determining the level of Tender Committee and Tender Accepting Authority (Authority: Rly Bd letter No.2003/RS(G)/777/1 dated 08.08.2008). However the value of quantity under "+30% Option Clause" will be excluded from the value of tender for determining the level of competency of acceptance (Authority Rly Bd letter No.99/RS(G)/779/5 dated 20.05.2010).
- (c) The Tender Committee to consider tenders may be so constituted that an authority holding powers for recommending the tender by virtue of this position as a member of the Tender Committee shall not be the accepting authority also for such tenders (Authority: Rly Bd letter No:70/WI/CT/32 dated 7/9.09.1970).
- (d) The term "General Manager" used in these rules is deemed to mean besides the General Managers of Railways, D.G/RDSO and Chief Administrative Officers working directly under the control of Railway Board (Para under Item No.1.0 B (vi) of Rly Bd letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated 06.01.2017).
- (e) In case an item is indented by multiple departments, GM, may in consultation with PCMM and PFA decide to nominate the 3rd TC member from one of the indenting department (Para under Note of Item No.1.0 B of Rly Bd letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated 06.01.2017).

(f) ट्रेक मदों के लिए (जैसा भंडार कोड पैरा 702 में परिभाषित किया गया है): सिविल इंजीनियरिंग विभाग के उसी रैंक का अधिकारी निविदा समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा, भंडार विभाग का संयोजक के रूप में उसी रैंक का अधिकारी निविदा समिति के तीसरे सदस्य के रूप में कार्य करेगा और उसी रैंक का सिविल इंजीनियरिंग विभाग का अधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी होगा। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017).

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | निविदाओं की सीधी स्वीकृति | भंडार कोड 323(2), 328, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/ 779/ 14 Pt. दिनांक 06.01.2017, पत्र के क्र.सं. 1.0(B)(vi) के अधीन 1.0(A) and (B) के लिए नोट (ii) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/ Trans/01/नीति/भंडार दिनांक 29.12.2017, मद सं.3.3(a)(b), 3.4 (b). | -- | --- | 30 लाख रुपये तक | 10 लाख रुपये तक | 5 लाख रुपये तक |
| <p>नोट:-(1) इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्रेक मदों के प्रापण के मामले में, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के समान स्तर के अधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी होंगे। (2) ट्रेक मद वैसे मद हैं जैसा भंडार कोड पैरा 702 में परिभाषित किया गया है।</p> | | | | | | | |
| 3 | GeM पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं का GeM पोर्टल द्वारा सीधे ऑन-लाइन प्रापण। (टी सी की औपचारिकताओं का पालन किए बिना). | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं.1.0(i), (ii) & (iii), 2.0(a). | पूरी शक्तियाँ | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) आदेश प्रस्तुत करने से पहले सरकारी खरीददार GeM पर उपलब्ध बिजनेस एनालिटिक्स (BA) का प्रयोग कर GeM पर अंतिम खरीद मूल्य, विभाग का अपना अंतिम खरीद मूल्य आदि सहित उचित मूल्यों को सुनिश्चित करेगा। (2) GeM द्वारा संविदा देने की प्रक्रिया GeM वेबसाइट पर ऑन लाइन उपलब्ध यूजर मैनुअल में विस्तारपूर्वक दिया गया है। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं.2.0(c)]. (3) 50,000/- रुपये तक GeM पर उपलब्ध किसी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जो अपेक्षित मात्रा, विशेषता और सुपुर्दगी अवधि को पूरा करता हो। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं.1.0(i)]. (4) 50,000/- रुपये से अधिक और 30,00,000/- रुपये तक के लिए GeM पर उपलब्ध कम से कम तीन विभिन्न निर्माताओं में से न्यूनतम मूल्य वाले GeM विक्रेता द्वारा जो अपेक्षित गुणवत्ता, विशेषता और सुपुर्दगी अवधि को पूरा करता हो। यदि सक्षम प्राधिकारी निर्णय ले तो खरीददार द्वारा GeM पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी टूल का उपयोग किया जा सकता है। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं.1.0(ii)]. (5) 30,00,000/- रुपये से अधिक के लिए GeM पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग या नीलामी टूल का उपयोग कर अनिवार्य रूप से बोलियाँ प्राप्त करने के बाद उस आपूर्तिकर्ता द्वारा जिसका मूल्य सबसे कम हो और अपेक्षित गुणवत्ता, विशेषता और सुपुर्दगी अवधि को पूरा करता हो। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं.1.0 (iii)] (6) GeM द्वारा प्रापण के लिए, संविदा की आईआरएस शर्तें लागू नहीं होंगी। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं. 2.0(b)(iv)].</p> | | | | | | | |

(f) For track items (as defined in Stores Code Para 702): Officer of same level from Civil Engineering Department shall act as Convenor of Tender Committee, Officers of Stores Department of the same level as convenor shall be the third member of Tender Committee and Officers of same level from Civil Engineering Department will be the Accepting Authority (Rly Bd letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated 06.01.2017).

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|---|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Direct acceptance of tenders | Stores Code 323(2), 328, Rly Bd letter No. 88/RS (G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Note for 1.0(A) and (B) under SI No.1.0(B)(vi) of the letter. (ii) Railway Board's letter No. 2017/Trans/01/Policy/Stores Dated: 29.12.2017, Item No.3.3(a)(b), 3.4 (b). | — | — | Upto Rs.30 Lakhs | Upto Rs.10 Lakhs | Upto Rs.5 Lakhs |
| <p>Note: (1) In case of procurement of track items by Engineering Department, same level Officer of Civil Engineering Department will be Accepting Authority. (2) Track items are items as defined in Stores Code para 702</p> | | | | | | | |
| 3 | Direct on-line procurement of common use goods and services available on GeM through GeM portal (without going into the formalities of TC). | Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No. 1.0(i), (ii) & (iii), 2.0(a). | Full powers | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| <p>Note: (1) The Government buyers shall ascertain the reasonableness of prices before placement of order using the Business Analytics (BA) tool available on GeM including the Last Purchase price on GeM, Department's own Last Purchase Price etc. (2) The procedure for placement of contract through GeM has been detailed in the User Manual available on-line on GeM website [Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No.2.0(c)]. (3) Upto Rs.50,000/- through any of the available suppliers on the GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period [Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No.1.0(i)]. (4) Above Rs.50,000/- and upto Rs.30,00,000/- through the GeM seller having lowest price amongst the available sellers of at least three different manufacturers on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period. The tools for on-line bidding and online reverse auction available on GeM can be used by the Buyer if decided by the Competent Authority [Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No.1.0(ii)]. (5) Above Rs.30,00,000/- through the supplier having lowest price meeting requisite quality, specification and delivery period, after mandatorily obtaining bids, using online bidding or reverse auction tool provided on GeM [Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No.1.0 (iii)]. (6) For procurement through GeM, IRS conditions of contract will not be applicable [Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No.2.0(b)(iv)].</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---------|---|--|---|---|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>(7) GeM के माध्यम से खरीदी गई मदों के लिए GeM वारंटी/गारंटी लागू होगा।</p> <p>(8) यदि कोई खरीददार GeM पर उपलब्ध सामान्य एवं विशेष शर्तों के अतिरिक्त उसमें कोई अन्य विशेष शर्त शामिल करना चाहता है तो, उसे निविदा/बोली प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। तथापि, खरीददार को सुनिश्चित करना चाहिए कि GeM में वस्तु एवं सेवा विक्री/खरीद के लिए सामान्य एवं विशेष शर्तों का उल्लंघन न हो। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं.2.0(f)].</p> <p>(9) GeM द्वारा दिए जाने वाले आदेश विफल होने की स्थिति में, विस्तृत कारणों को रिकॉर्ड करते हुए, खरीददार सामान्य प्रापण प्रक्रिया के माध्यम से GeM के बाहर प्रापण कर सकता है। ऐसे विशेष मामले, जहाँ GeM द्वारा चयनित विक्रेता की विफलता के कारण GeM पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं का प्रापण GeM के बाहर किया जाता है तो, ऐसा माना जाएगा कि वह वस्तुएं या सेवाएं GeM पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी विफलताओं के बारे में GeM को सूचित किया जाए। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017 मद सं.2.0(e)].</p> | | | | | | |
| 4 | GeM पोर्टल में उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रमुसाप्र द्वारा सीधी खरीद जिनके लिए GeM पर आपूर्तिकर्ता उपलब्ध हो, यदि उनका अतिआवश्यकता हो और स्थानीय तौर पर या नजदीकी स्टेशन से सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। | भंडार कोड 702, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0(7) & रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 22.09.2017, मद सं. 2.0(a) और मोडेल एसओपी - भा.रे., भाग-D मद सं.2.2(e). | प्रत्येक मामले में प्रति वर्ष वार्षिक सीमा 25 लाख रुपये के अधीन प्रत्येक मामले के लिए 8 लाख रुपये तक। | प्रत्येक मामले में प्रति वर्ष वार्षिक सीमा 25 लाख रुपये के अधीन प्रत्येक मामले के लिए 8 लाख रुपये तक। | प्रत्येक मामले में प्रति वर्ष वार्षिक सीमा 25 लाख रुपये के अधीन प्रत्येक मामले के लिए 8 लाख रुपये तक। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>(2) सभी सीधी खरीद को खुली निविदाओं के एल ए आर के साथ गंभीर रूप से जाँच की जानी चाहिए।</p> <p>(3) भंडार की सीधी खरीद के अधीन स्वीकृत की जाने वाली प्रस्तावित दरों में किसी प्रकार का उछाल नहीं होनी चाहिए।</p> <p>(4) सभी सीधी खरीद के लिए, ई-निविदा (आईआरईपीएस) का अनुपालन किया जाना चाहिए।</p> | | | | | | |
| 5 | कम मूल्य के स्टॉक एवं गैर-स्टॉक दोनों मदों का स्थानीय खरीद। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G) / 779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं.2.0 (13). | प्रति मामला 1 लाख रुपये तक | प्रति मामला 1 लाख रुपये तक | प्रति मामला 1 लाख रुपये तक | प्रति मामला 1 लाख रुपये तक | प्रति मामला 1 लाख रुपये तक |
| | <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>(2) 25000/- रुपये तक की कीमत की मदों के लिए एकल कोटेशन लिया जाए।</p> <p>(3) (i) कोई गैर-स्टॉक वस्तु जिसके लिए एक मानक पैटर्न उपलब्ध हो और यदि उनका निर्माण रेलवे द्वारा किया जा सकता है तो वैसी वस्तुओं की खरीद नहीं की जानी चाहिए।</p> <p>(ii) प्रत्येक मद 25000/- रुपये से अधिक मूल्य वाले मदों के लिए एक से अधिक फर्मों से कोटेशन लिया जाना चाहिए। (रे.बो. का पत्र सं.79F(S) I/PW-7/2 दिनांक 12 नवंबर 1979)</p> <p>(4)स्थानीय खरीद के दायरे में लाने के लिए माँगपत्रों को उसी अवधि के आसपास विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। रे.बो. का पत्र सं.79/RS(G)/779/8 Pt. दिनांक 19/24.02.1987)</p> <p>(5) (I) स्टॉक मदों के मामले में भंडार अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की उचितता को ठीक तरह से सत्यापित की जानी चाहिए। (ii) गैर-स्टॉक मदों के मामले में माँगकर्ता द्वारा वास्तविक अनुमानित दर यदि उपलब्ध हो तो पिछली खरीद की दर दी जानी चाहिए। (iii) सामग्री प्राप्त होने पर उसे उपयुक्त करार देने से पहले परेपिती द्वारा इनका ठीक तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.79/RS(G)/779/8 Pt. दिनांक 19/24.02.1987)</p> | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>(7) For items purchased through GeM, the Gem warranty / guarantee will be applicable.</p> <p>(8) If any buyer want to include any special terms and conditions over and above the general and special terms and conditions available on Gem, then the same have to be incorporated in the tender/ Bidding process. However, the buyer has to ensure that there is no violation of General and Special terms and conditions for Sale/Purchase of goods and services in GeM [Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No.2.0(f)].</p> <p>(9) In case of failure of order placed through GeM, purchaser may, after recording detailed reasons, procure the item through normal procurement procedure, outside GeM. Such specific cases, where procurement of common use goods or services available on Gem, is done outside GeM, due to failure of vendor selected through GeM, shall be treated as if the said goods or services are not available on GeM. Such failures shall be reported to GeM [Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 22.09.2017 Item No.2.0(e)].</p> | | | | | | | |
| 4 | Direct procurement of common use goods and services available in GeM Portal by PCMM for which suppliers are available on GeM, if they required urgently or can be more conveniently obtained locally or from nearer station. | Stores Code 702, Rly Board letter No: 88/RS (G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No. 2.0(7) & Rly Bd letter No.88/RS(G)/779/14 Pt.dated 22.09.2017 Item No.2.0(a) and Model SOP-IR, Part-D Item No.2.2 (e). | Upto Rs. 8 Lakhs in each case subject to ceiling limit of Rs.25 Lakhs in each case per annum | Upto Rs. 8 Lakhs in each case subject to ceiling limit of Rs.25 Lakhs in each case per annum | Upto Rs. 8 Lakhs in each case subject to ceiling limit of Rs.25 Lakhs in each case per annum | NIL | NIL |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is not necessary.</p> <p>(2) All Direct Purchases should be critically examined with the LARs of Open Tenders.</p> <p>(3) There should not be any spurt in the rates proposed to be accepted under direct purchase of stores.</p> <p>(4) For all direct purchases, e-tendering (IREPS) should be followed.</p> | | | | | | | |
| 5 | Local Purchase of items of small value both Stock and Non-stock. | Rly Bd letter No.88/RS(G) / 779/14 Pt. Dated 06.01.2017, It. No.2.0(13) | Upto Rs.1 Lakh per case. | Upto Rs.1 Lakh per case. | Upto Rs.1 Lakh per case. | Upto Rs.1 Lakh per case | Upto Rs.1 Lakh per case. |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is not necessary</p> <p>(2) For items costing upto Rs.25000/- Single quotation may be obtained.</p> <p>(3) (i) No non-stock article for which a standard pattern exists should be purchased, if it could be manufactured by the Railways. (ii) Quotations from more than one firm should be obtained for items costing more than Rs.25000/- each item (Rly Bd letter No.79F(S) I/PW-7/2 Dated 12th November 1979).</p> <p>(4) The indents should not be split up around the same period in order to bring them within the purview of Local Purchase (Rly Bd letter No. 79/RS(G)/779/8 Pt. Dated:19/24.02.1987).</p> <p>(5) (i) The reasonableness of the offer should be invariably and properly verified by the Stores Officials in the case of Stock items. (ii) In the case of Non-stock items Indentors should give a realistic estimate of the rate, and the last purchase rate wherever available. (iii) Material when received should be inspected carefully by the Consignee, before certifying suitability (Rly Bd letter No.79/RS (G)/779/8-Pt. Dated 19/24th February 1987).</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---------|---|--|--|------------------|-----------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (6) वित्तीय सहमति और महाप्रबंधक के अनुमोदन के बिना किसी प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, टेलीफोन, मोबाइल फोन का खरीद नहीं किया जाना चाहिए। (शुद्धि पत्र सं.42, पत्र सं./रेपका/प्रशा/एसओपी दिनांक 13.09.2012 देखें). | | | | | | |
| 6 | (a) भारत सरकार उपक्रमों से अलौह धातुओं की खरीद: i) एम एम टी सी, ii) मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लि. iii) मैसर्स हिंदुस्तान कॉपर लि. | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 89/RS (G)/753/1 दिनांक: 13.10.1989 | वित्तीय सहमति लेकर निविदा समिति की औपचारिकाओं से गुजरे बिना खरीद की शक्तियों तक। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (b) अग्रिम भुगतान पर केंद्रीय कैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा प्रापण के मामले में एम एम टी सी और अन्य पी एस यू से गैर-लौह धातुओं की खरीद। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 76/RS (G)/753/2 दिनांक 3/7.08.1984 | 25 लाख रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | म.प्र. की शक्तियाँ: 2 करोड़ रुपये तक अग्रिम भुगतान। | | | | | | |
| | नोट:-(1) वित्तीय सहमति आवश्यक है। (2) शक्तियों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कंपनियों में निविदा जाँच भेजने का प्रस्ताव है उनमें सरकारी का प्रमुख हिस्सेदारी है, अन्यथा इस मद के अधीन शक्ति लागू नहीं होगी। | | | | | | |
| 7 | स्टील मदों के मामले में मैसर्स सेल, टिस्को, इस्को, आरआईएनएल के स्टॉक यार्ड/बफर इम्पोर्ट से एकल निविदा खरीद को स्वीकृत करना एवं उन्हें अग्रिम में 100% भुगतान करना। | भंडार कोड 331, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0(16). | 10 करोड़ रुपये तक | 5 करोड़ रुपये तक | 45 लाख रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | नोट:-(1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। (2) इन शक्तियों का प्रयोग निविदा समिति की औपचारिकताओं से गुजरे बिना किया जाए। (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.87/RS(G)/753/2 दिनांक 01.09.2006). (3) सेल, टिस्को, इस्को एवं आरआईएनएल से स्टॉक यार्ड का स्थानीय खरीद निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाना चाहिए। (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 87/RS(G)/753/2 दिनांक:14/02/2001) [RESC का पृष्ठ 64-65 एवं रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 87/RS(G)/753/2 दिनांक 15/19.10.1992].(i) सभी स्टॉक यार्डों से कोटेशन मूल्य सूची प्राप्त करने के बाद। (ii) मदों की उपलब्धता के अधीन न्यूनतम संभव उचित मूल्य पर। (iii) खरीद के दिन, अधिकतम मितव्ययी स्टॉक यार्ड में मदों की अनुपलब्धता को प्रमुसाप्र/मुसाप्र द्वारा लिखित में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। (iv) अपेक्षित विशेष विवरणों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाए और निर्माता के कार्य जाँच प्रमाणपत्र के अधीन खरीदा जाए। (4) स्टॉक यार्ड से स्टील मदों की खरीद संबंधी प्रावधानों में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय विस्तार किया जा रहा है और विद्यमान आदेश 20.08.2017 तक वैध है। (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 87/RS(G)/753/2 दिनांक 21.02.2017). (5) इन शक्तियों द्वारा खरीद केवल उन्हीं मदों के लिए किया जाए जिन्हें इन स्टील कंपनियों द्वारा निर्माण एवं स्टॉक किया जाता है। (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.87/RS(G)/753/2 दिनांक:21.02.2017). | | | | | | |

STORES

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---------|---|--|--|-------------------|-------------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (6) No Computer Hardware, Software, Fax Machine, Electronic Devices, Telephone, Mobile Phones should be procured without Finance concurrence and approval of GM (Correction Slip No.42 vide Letter No.RWF/ADMN/SOP dated 13.09.2012). | | | | | | |
| 6 | (a) Purchase of non-ferrous metals from Government of India undertakings viz., from: I M.M.T.C., ii) M/s Hindustan Zinc Ltd iii) M/s Hindustan Copper Ltd | Rly Board letter No:89/RS(G)/753/1 Dt: 13.10.1989 | Upto powers of purchase without going through the formalities of Tender Committee, with Finance concurrence. | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | (b) Purchase of non-ferrous metals from MMTc and other PSU in case of procurement through a centralised canalising agency with ADVANCE PAYMENT . | Rly Board letter No.76/RS(G)/753/2 dated 3/7.08.1984 | Upto Rs.25 Lakhs. GM powers: Advance payment upto Rs.2 Crores. | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | <p>Note (1) Finance Concurrence is necessary.</p> <p>(2) While exercising the powers it has to be ensured that government is having major stake in the companies to which tender enquiry is proposed to be sent, otherwise the powers under this item are not applicable.</p> | | | | | | |
| 7 | To accept SINGLE TENDER purchase from stock yards / buffer imports of M/s SAIL, TISCO, IISCO, RINL in respect of steel items and to make 100% advance payment to them. | Stores Code 331, Rly Board letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Date:06.01.2017, Item No.2.0(16). | Upto Rs.10 Crores | Upto Rs. 5 Crores | Upto Rs. 45 Lakhs | NIL | NIL |
| | <p>Note (1) Finance concurrence is not necessary.</p> <p>(2) These powers are to be exercised without going through the formalities of Tender Committee. (Reference Railway Board's Letter No.87/RS(G)753/2 Dated:01.09.2006).</p> <p>(3) Local purchase of stockyard items from SAIL, TISCO, IISCO & RINL should be done subject to following conditions (Ref:Rly Board letter .No.87/RS(G)/753/2 Dated:14/02/2001) [Page 64-65 of RESC & Rly Bd letter Ltr No: 87/RS(G)/753/2 DATED 15/19.10.1992].</p> <p>(i) After obtaining quotation price lists from all the stock yards.</p> <p>(ii) At the lowest possible reasonable price subject to availability of items.</p> <p>(iii) Non availability of items from the most economical stock yard on the day of purchase, should be recorded in writing by the PCMM/CMM.</p> <p>(iv) The quality must be ensured as per the required specification and purchased against the work test certificate of the manufacturer.</p> <p>(4) The provision for purchase of steel items from stockyards is being extended by Railway Board from time to time and orders in force are valid upto 20.08.2017 (Ref. Rly Board letter No.87/RS(G)/753/2 Dated:21.02.2017).</p> <p>(5) Purchase through these powers should only be for those items which are manufactured and stocked by these steel plants in emergent situations (Ref. Rly Board letter No.87/RS(G)/753/2 Dated:21.02.2017).</p> | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|--|--|---|--|-------------|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | एकल निविदा आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विपणन किए जाने वाले तैल एवं लुब्रीकैंट की खरीद एवं 100% अग्रिम भुगतान करना । | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS (G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं.2.0 (20) | वित्तीय सहमति से 10 करोड़ रुपये तक और निविदा समिति जाँचों की औपचारिकताओं के बिना फर्मों को 100% अग्रिम भुगतान । | वित्तीय सहमति से 5 करोड़ रुपये तक और निविदा समिति जाँचों की औपचारिकताओं के बिना फर्मों को 100% अग्रिम भुगतान । | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:-(1) यदि मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हो तो एकल निविदा के स्थान पर लिमिटेड निविदा आमंत्रित किया जाए । लिमिटेड निविदा आमंत्रित करने के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है ।</p> | | | | | | | |
| <p>प्राधिकार: जेपीओ सं. रेपका/S/1P दिनांक 13.09.2007, जेपीओ की शुद्धि पर्ची, देखें पत्र सं.रेपका/S/1P दिनांक 26.11.2008, दोनों दस्तावेज प्रमुसाप्र एवं प्रविस द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और महाप्रबंधक/रेपका द्वारा अनुमोदित किया गया है ।</p> | | | | | | | |
| 9 | <p>स्पॉट खरीद समिति के माध्यम से भंडार प्रापण के लिए निविदा समिति और स्वीकृति प्राधिकारी का गठन ।</p> | | | | | | |
| <p>निविदा समिति एवं स्वीकृति प्राधिकारी की संरचना</p> | | | | | | | |
| | निविदा का मूल्य सीमा | | भंडार विभाग | उपभोक्ता विभाग | लेखा विभाग | स्वीकृति प्राधिकारी | |
| 9.1 | 5 लाख रुपये तक | | कनि.वेतनमान | कनि.वेतनमान | कनि.वेतनमान | वरिसाप्र | |
| 9.2 | 5 लाख रुपये से अधिक एवं 30 लाख रुपये तक | | वरि.वेतनमान | वरि.वेतनमान | वरि.वेतनमान | उप मुसाप्र | |
| 9.3 | 30 लाख रुपये से अधिक एवं 1.00 करोड़ रुपये तक | | कनिप्रग्रे | कनिप्रग्रे | कनिप्रग्रे | मुसाप्र | |
| <p>नोट:-a) स्पॉट खरीद समिति के माध्यम से खरीद केवल असाधारण मामलों में ही बहाल की जाएगी, जैसे : (i) जहाँ सामग्रियों की अतिआवश्यकता हो और आपूर्ति में विलंब को सहन नहीं किया जा सकता, जैसे उत्पादन के लिए अपेक्षित सामग्री और जहाँ सामग्री बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। (ii) जहाँ सामग्री इस प्रकृति की हो कि विस्तृत विशेषता बताना संभव नहीं हो जैसे- फर्नीचर, कपड़ा, क्राँकरी/कटलेरी और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और स्पॉट खरीद करना लाभदायक हो । b) सामान्य स्थिति में, उन मदों का स्पॉट खरीद नहीं किया जाए जिसका विस्तृत विशेषता/आरेख अथवा लंबे समय तक चलने वाला मद हो और बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हो, तो मदों की खरीद के लिए स्पॉट खरीद नहीं किया जाना चाहिए ।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|---|---|--|--|---------------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Purchase of Oils and Lubricants marketed by Public Sector Undertakings on SINGLE TENDER BASIS and to make 100% advance payment. | Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No.2.0 (20). | Upto Rs. 10 Crores in each case with Finance concurrence and to make 100% Advance Payment to the firms without going into the formalities of Tender Committee's examination. | Upto Rs.5 Crores in each case with Finance concurrence and to make 100% Advance Payment to the firms without going into the formalities of Tender Committee's examination. | NIL | NIL | NIL |
| Note:-(1) Limited tender to be called in place of Single Tender in case prices are not government administered. Finance concurrence not required for calling of Limited Tender. | | | | | | | |
| Authority: JPO No.RWF/S/1P Dated 13.09.2007, Corrigendum to JPO vide No. RWF/S/1P dated 26.11.2008, both documents signed by PCMM & PFA, approved by GM/RWF. | | | | | | | |
| 9. | Constitution of Tender Committee and Accepting Authority for procurement of stores through SPOT PURCHASE COMMITTEE | | | | | | |
| COMPOSITION OF TENDER COMMITTEES & ACCEPTING AUTHORITY | | | | | | | |
| | Value limits of tender | Stores Department | User Department | Accounts Department | Accepting Authority | | |
| 9.1 | Upto Rs.5 Lakhs . | Jr.Scale | Jr.Scale | Jr.Scale | SMM | | |
| 9.2 | Above Rs.5 Lakhs to Rs.30 Lakhs . | Sr.Scale | Sr.Scale | Sr.Scale | Dy CMM | | |
| 9.3 | Above Rs.30 Lakhs to Rs.1.00 Crore. | JAG | JAG | JAG | CMM | | |
| <p>Note: (a)Procurement through Spot Purchase Committee shall be resorted to only in exceptional cases, such as:(i) Where the materials are required very urgently and delay in supply cannot be afforded, such as items required for production and where the materials are readily available in the market.(ii) Where the materials are of such nature that it is not possible to make detailed specifications e.g., furniture, linen, crockery/cutlery, appliances and it would be advantageous to arrange procurement by spot purchase from market as readily available items.</p> <p>(b)In normal course, spot purchase should not be resorted to for purchasing items, which have detailed specifications/drawings or long lead items or items not available readily in the market.</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|--|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>c) एसपीसी द्वारा प्रापण के लिए उपयोगकर्ता विभाग के सीएचओडी द्वारा एसपीसी के सदस्य के रूप में विधिवत एक अधिकारी को नामित करते हुए विस्तृत औचित्य के साथ अनुमोदित प्रस्ताव को प्रमुसाप्र के पास प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमुसाप्र प्रस्ताव की जाँच करेंगे और यदि खरीद एसपीसी द्वारा की जानी हो तो, प्रमुसाप्र एसपीसी गठन के लिए सिफारिश करेंगे और भंडार विभाग से सदस्य नामित करेंगे। तब प्रस्ताव को वित्तीय सहमति के लिए प्रविस के पास प्रस्तुत किया जाएगा। प्रविस प्रस्ताव की जाँच करेंगे, एसपीसी द्वारा प्रापण के लिए सहमति प्रदान करेंगे और वित्त विभाग से सदस्य नामित करेंगे। उसके बाद प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिनका निर्णय किसी भी मद के लिए एसपीसी की स्थापना में अंतिम होगा और एसपीसी के साथ या अन्यथा आगे जाने का निर्णय लेगा।</p> <p>d) जेपीओ में दिए गए विवरण के अनुसार एसपीसी सभी औपचारिकताओं का अनुपालन करेगा। स्पॉट खरीद एसपीसी के गठन से 30 (तीस) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, ऐसा नहीं करने पर स्पॉट खरीद द्वारा मदों की खरीद करने के लिए महाप्रबंधक से नए सिरे से अनुमोदन लेना पड़ेगा।</p> | | | | | | |
| 10 | केंद्रीकृत प्रापण एजेंसी को इंडेंट देने से पहले मात्राओं का अनुमोदन या सीधी खरीद के लिए निविदा चालू करना। | भंडार कोड 132(1), एवं रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0(1), 1.0(A), 1.0(B)(ii). | पूरी शक्तियाँ | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) (i) केवल ए श्रेणी मदों के लिए एएससी/ईएससी का मुख्यालय के वित्त विभाग द्वारा एएससी/ईएससी वेटिंग आवश्यक है। बी एवं सी श्रेणी मदों के एएससी/ईएससी अनुमोदन के लिए से वित्तीय वेटिंग आवश्यक नहीं है। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017, मद सं.(F5)(a)].</p> <p>(ii) बी श्रेणी मदों को मुसाप्र स्तर पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)779/43 भाग दिनांक 21.10.2002).</p> <p>(iii) स्टॉक मदों के लिए मात्रा/माँग के लिए वित्तीय वेटिंग आवश्यक नहीं है [रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017, मद सं.(F5)(b)].</p> <p>(2) संरक्षा मदों (*) के अलावा गैर-स्टॉक मदें जिनका मूल्य 2,50,000/-रुपये से अधिक हो और 10,00,000/- रुपये से अधिक की संरक्षा मदों (*) के लिए वित्तीय वेटिंग आवश्यक है। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं.2.0(5) & रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017, मद सं.(F4)].</p> <p>(*) संरक्षा मदें जैसा बोर्ड के पत्र सं.99/RS(IC)/165/SRC दिनांक 19.04.2000 में परिभाषित किया गया है। (संदर्भ: रे.बो.का पत्र सं.76/RS(G)/779/22/Pt.II दि.27.11.03).</p> <p>(3) रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017, मद सं. (F2) के अनुसार सभी गैर-स्टॉक माँगों की मंजूरी/हस्ताक्षर इंडेंट पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। गैर-स्टॉक माँगों को मंजूर करने/हस्ताक्षर करने के लिए कृपया एसओपी मद देखें ”।</p> <p>(4) आयात मदों के लिए उपयोगकर्ता विभाग के विभागाध्यक्ष से आयात की अनिवार्यता प्रमाणपत्र आवश्यक है।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---------|---|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>(c) The proposal with detailed justification for procurement through SPC approved by CHOD of User Department, duly nominating an Officer to be a Member of SPC, shall be submitted to PCMM. PCMM will examine the proposal and if purchase is to be made through SPC, PCMM will recommend constitution of SPC and nominate the Member from Stores Department. The proposal will then be submitted to PFA for concurrence. PFA will examine the proposal, convey concurrence for procurement through SPC and nominate the Member from Accounts Department. The proposal will then be put up to GM for approval whose decision will be final in setting SPC for any item and decide to go ahead with SPC or otherwise.</p> <p>(d) The SPC shall follow and adhere to all the procedural aspects as detailed in the JPO. The Spot Purchase shall be completed within 30 (thirty) days from the date of Constitution of SPC, failing which fresh approval of GM shall be obtained for purchasing the items through Spot Purchase.</p> | | | | | | |
| | PRE-TENDER | | | | | | |
| 10 | APPROVAL OF QUANTITIES before placement of Indent on centralised procurement agency or floating of tenders for direct purchase. | Stores Code 132(1), & Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No. 2.0(1), 1.0(A), 1.0(B)(ii). | Full powers | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| | <p>Note: (1) (i) Vetting of AAC/EAC of only A category items by Hq Finance is required. No Finance vetting for AAC/EAC approval of B and C Category items are required [Rly Board letter No. 2017/Trans/01/Policy Dated: 18.10.2017, Item No.(F5)(a)].</p> <p>(ii) B category items shall be approved at level of CMM (Rly Board letter No.88/RS(G)779/43 Part dated 21.10.2002).</p> <p>(iii) No requirement of quantity/demand vetting by Finance for Stock items [Rly Board letter No.2017/Trans/01/Policy Dated: 18.10.2017, Item No.(F5)(b)].</p> <p>(2) Indents for non-stock items exceeding Rs.2,50,000/- in value for other than safety item (*) and indent above Rs.10,00,000/- for safety item (*) should be vetted by Finance [Railway Board's letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017, Item No.2.0(5) & Rly Board letter No.2017/Trans/01/Policy Dated: 18.10.2017, Item No.(F4)].</p> <p>(*) Safety items as defined in Board's letter No.99/RS(IC)/165/SRC Dated 19.04.2000 (Ref: Rly Board letter No.76/RS(G)/779/22/Pt.II Dated 27.11.2003).</p> <p>(3) All non-stock demands shall be sanctioned / signed by Indent Signing authority as per Rly Board letter No.2017/Trans/01/Policy Dated: 18.10.2017, Item No.(F2). Please refer SOP Item for 'Sanctioning/ Singing of Non-stock demands".</p> <p>(4) For import items, Essentiality of Import certificate by PHOD of the User Department is necessary.</p> | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | गैर-स्टॉक माँगों/आवश्यकताओं का वेटिंग | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G) / 779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, पैरा 2.0, मद सं.(5). रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017, मद सं.(F4). | संरक्षा मदों के अलावा अन्य मदों के लिए 2.5 लाख रुपये से अधिक । | | | | | |
| | | | संरक्षा मदों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक (जैसा कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं.99/RS(IC)165/SRC दिनांक 19.04.2000 में परिभाषित किया गया है , रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/F(S)I/PW7/2 दिनांक 09.01.2003) | | | | | |
| <p>नोट:- (1) माँगपत्रों का पुनरीक्षण वित्त अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगा (I) 1.5 करोड़ रुपये तक – कनिवे/वरिवे अधिकारी (II) 1.5 करोड़ से अधिक एवं 3.00 करोड़ रुपये तक – कनिप्रग्रे अधिकारी (III) 3.00 करोड़ से अधिक एवं 20.00 करोड़ रुपये तक-वरिप्रग्रे अधिकारी (IV) 20.00 करोड़ रुपये से अधिक- सीएचओडी/पीएचओडी (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2014/F(S)/1/Misc./12 दिनांक 24.12.2014). यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंडेंटों की कोई बंटवारे नहीं की गई हो क्योंकि उपर्युक्त राशि प्रति वर्ष प्रत्येक आइटम के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। बोर्ड को इंडेंट प्रस्तुत करने संबंधी कैलेंडर का भी पालन किया जाए। इंडेंट की वेटिंग करते समय वित्त अधिकारी फंड की उपलब्धता को प्रमाणित करेंगे और अपना नाम एवं पदनाम साफ-साफ लिखेंगे।</p> | | | | | | | | |
| 12 | गैर-स्टॉक माँगों की मंजूरी/हस्तारक्षर | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2005/RS (G)/779/7 दिनांक 06.05.2015 & रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/Policy दिनांक 18.10.2017, मद सं.(F2). | 45.00 लाख रुपये से अधिक | 15.00 लाख रुपये से अधिक और 45.00 लाख रुपये तक | 2.00 लाख रुपये से अधिक और 15.00 लाख रुपये तक | 25000/-रुपये से अधिक और 2.00 लाख रुपये तक | 25000/- रुपये तक | |
| | | | | | कनिप्रग्रे/वरिग्रे अधिकारी की अनुपस्थिति में वरिप्रग्रे अधिकारी | वरिवे अधिकारी की अनुपस्थिति में कनिप्रग्रे/वरिग्रे अधिकारी | कनिवे अधिकारी की अनुपस्थिति में वरिवे अधिकारी | |
| <p>नोट:- (1) गैर-स्टॉक माँगों के लिए वर्तमान निर्देशानुसार वेटिंग आवश्यक होगा। (2) वरिप्रग्रे अधिकारी की तैनाती नहीं होने की स्थिति में गैर-स्टॉक माँग : (i) मंडल आवश्यकताओं के लिए अपर मरिप्र (ii) कर्मशाला आवश्यकताओं के लिए मुकप्र (iii) निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोगकर्ता विभाग का वरिप्रग्रे अधिकारी। (3) (i) प्रधान कार्यालय में खरीदे जाने वाले सभी गैर-स्टॉक माँगों को इंडेंट देने वाले विभाग के मुख्यालय संगठन द्वारा भेजा जाएगा। (ii) माँगपत्र प्रस्तुत करते समय, इंडेंट मात्रा निर्धारित करते समय, माँगपत्र देने वाले अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि विभागों के लिए माँग की गई मद की सभी आवश्यकताओं को समेकित किया गया है।</p> | | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 11 | Vetting of Non-stock demands / requisitions | Rly Bd letter No.88/RS(G)/ 779/14 Pt. Dated 06.01.2017, Para 2.0, Item No.(5). Rly Bd letter No. 2017/Trans/01/Policy Dated: 18.10.2017, Item No.(F4). | Above Rs.2.5 Lakhs, for items OTHER THAN SAFETY items. | | | | | Above Rs.10 Lakhs for safety items (as defined by Rly Bd as defined in Boards letter No. 99/RS(IC)/165/SRC Dated 19.4.2000 as per Rly Bd letter No. 2003/F(SI)/PW7/2 Dated 09.01.2003). | |
| <p>Note: (1) The vetting of Indents by Finance Officers shall be as follows: (I) Upto Rs.1.5 Cr – JS/SS Officer (II) Above Rs.1.5 Cr to Rs.3.00 Cr – JAG Officer (III) Above Rs.3.00 Cr to Rs.20.00 Cr – SAG Officer (IV) Above Rs.20.00 Cr – CHOD/PHOD (Authority: Rly Bd letter No: 2014/F(S)/1/Misc./12 dated 24.12.2014). It should be ensured that there is no splitting of Indents as the amounts mentioned above represent the aggregate value of each item per year. Calendar for submission of Indents to Board may also be adhered to. The Finance Officer while vetting the Indents should certify the availability of funds and mention his name and designation clearly.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | Sanctioning/ Signing of Non-stock demands | Rly Bd letter No.2005/RS(G)/779/7 Dated 06.05.2015 & Rly Bd letter No. 2017/Trans/01/Policy Dated: 18.10.2017, Item No.(F2). | Above Rs.45.00 Lakhs | Above Rs.15.00 Lakhs to Rs.45.00 Lakhs | Above Rs.2.00 Lakhs to Rs.15.00 Lakhs | Above Rs.25000/- to Rs.2.00 Lakhs. | Upto Rs. 25000/- | | |
| | | | | | SAG Officer in the absence of JAG/SG Officer. | JAG/SG Officer in the absence of SS Officer. | SS Officer in the absence of JS Officer. | | |
| <p>Note (1) Non-stock requisitions will require vetting as per extant instructions. (2) In case of SAG Officer is not posted then Non-stock requisition:(i) ADRM for Divisional requirements(ii) CWM for Workshop requirements(iii) SAG Officer of the User Department for construction and other requirements. (3) (i) All Non-stock demands for purchase at headquarters, will be routed through the headquarter organisation of the Indenting Department.(ii) While submitting the demands, Indenting Officer shall ensure that all requirements of the indented item have been consolidated for the department while arriving at the indented quantity.</p> | | | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | प्रमुसाप्र कार्यालय द्वारा केन्द्रीय प्रापण एजेंसियों को दिए गए माँगपत्रों की वेटिंग। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, पैरा 2.0, मद सं.(4). | संरक्षा मदों के अलावा मदों के लिए 8 लाख रुपये से अधिक। संरक्षा मदों के लिए 15 लाख रुपये से अधिक। [[लेखा द्वारा 10% जाँच चेक के अधीन - रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/F(S)/PW7/2 दिनांक 09.01.2003, रेलवे बोर्ड के पत्र सं.99/RS(IC)165/SRC दिनांक 19.04.2000 में वर्णित विवरण के अनुसार संरक्षा मदें जो, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 76/RS(G)/779/22/Pt.III दिनांक 27.11.2003 के माध्यम से सूचित किया गया है]]. | | | | |
| <p>नोट:- (1) वित्त अधिकारियों द्वारा इंडेंट की वेटिंग निम्न प्रकार की जाएगी : (I) 1.5 करोड़ रुपये तक - कनिवे/वरिवे अधिकारी (II) 1.5 करोड़ से अधिक- 3.00 करोड़ रुपये तक - कनिप्रगे अधिकारी (III) 3.00 करोड़ रुपये से अधिक- Rs.20.00 करोड़ रुपये तक - वरिप्रगे अधिकारी (IV) 20.00 करोड़ रुपये से अधिक - सीएचओडी/पीएचओडी (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2014/F(S)/1/विविध/12 दिनांक 24.12.2014). यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंडेंटों की कोई बंटवारे नहीं की गई हो क्योंकि उपर्युक्त राशि प्रति वर्ष प्रत्येक आइटम के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। बोर्ड को इंडेंट प्रस्तुत करने संबंधी कैलेंडर का भी पालन किया जाए। इंडेंट की वेटिंग करते समय वित्त अधिकारी निधि की उपलब्धता को प्रमाणित करेंगे और अपना नाम एवं पदनाम साफ-साफ लिखेंगे।</p> | | | | | | | |
| 14 | रेलवे बोर्ड/उ.इ. को अग्रेषित माँगों पर हस्ताक्षर करना | -- | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) रेलवे बोर्ड को दी जाने वाली सभी माँगों पर कम से कम कनि.प्र.ग्रे. अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। (2) माँगपत्रों की वेटिंग वित्त अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा : (I) कनिवे/वरिवे अधिकारी - 1.5 करोड़ रुपये तक (II) 1.5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 3.00 करोड़ रुपये तक -कनिप्रगे अधिकारी (III) 3.00 करोड़ रुपये से अधिक एवं 20.00 करोड़ रुपये तक - वरिप्रगे अधिकारी (IV) 20.00 करोड़ रुपये से अधिक- सीएचओडी/पीएचओडी (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2014/F(S)/1/विविध/12 दिनांक 24.12.2014). यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंडेंटों की कोई बंटवारे नहीं की गई हो क्योंकि उपर्युक्त राशि प्रति वर्ष प्रत्येक आइटम के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। बोर्ड को इंडेंट प्रस्तुत करने संबंधी कैलेंडर का भी पालन किया जाए। इंडेंट की वेटिंग करते समय वित्त अधिकारी निधि की उपलब्धता को प्रमाणित करेंगे और अपना नाम एवं पदनाम साफ-साफ लिखेंगे।</p> | | | | | | | |
| 15 | 15.1 गैर-GeM मदों के लिए सामान्य स्थितियों में लिमिटेड निविदा/बुलेटिन निविदा जारी करना। (दवाओं एवं शल्य मदों सहित) | भंडार कोड 328, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद 1.1 (A) (i), (ii), (iii) एवं मोडेल एस ओ पी-भा.रे., भाग-D मद सं.2.2(a). | 25 लाख रुपये तक | 25 लाख रुपये तक | 25 लाख रुपये तक | 10 लाख रुपये तक | 5 लाख रुपये तक |
| | 15.2 मैनुअल मोड के माध्यम से निविदाएं जारी करना | प्रमुसाप्र/रेपका का.आ.सं. 04/रेपका/562 दिनांक 05.03.2013. | 1 लाख रुपये से अधिक | 1 लाख रुपये तक | -- | -- | -- |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM | | |
|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 13 | Vetting of Indents to be placed on centralised procurement agencies by PCMM Office. | Rly Bd letter No.88/RS (G)/ 779/14 Pt. Dated 06.01.2017, Para 2.0, Item No.(4). | Above Rs.8 Lakhs, for items OTHER THAN SAFETY Items. Above Rs.15 Lakhs FOR SAFETY ITEMS. [(Subject to 10% test check by Accounts - Rly Bd letter No. 2003/F(S)I/PW7/2 Dated 09.01.2003. Safety items as defined in Boards letter No. 99/RS(IC)/165/SRC Dated 19.4.2000 advised vide Rly Bd letter No.76/RS(G)/779/22/Pt.III Dated 27.11.2003)]. | | | | | | |
| Note:-(1) The vetting of Indents by Finance Officers shall be as follows: (I) Upto Rs.1.5 Cr – JS/SS Officer (II) Above Rs.1.5 Cr to Rs.3.00 Cr – JAG Officer (III) Above Rs.3.00 Cr to Rs.20.00 Cr – SAG Officer (IV) Above Rs.20.00 Cr – CHOD/PHOD (Authority: Rly Bd letter No: 2014/F(S)/1/Misc./12 dated 24.12.2014). It should be ensured that there is no splitting of Indents as the amounts mentioned above represent the aggregate value of each item per year. Calendar for submission of Indents to Board may also be adhered to. The Finance Officer while vetting the Indents should certify the availability of funds and mention his name and designation clearly. | | | | | | | | | |
| 14 | Signing of Indents forwarded to Railway Board/PUs. | — | Full powers | Full powers | Full powers | NIL | NIL | | |
| Note:-(1) All indents placed on Railway Board should be signed by an officer of not less than JA Grade. (2) The vetting of Indents by Finance Officers shall be as follows: (I) Upto Rs.1.5 Cr – JS/SS Officer (II) Above Rs.1.5 Cr to Rs.3.00 Cr – JAG Officer (III) Above Rs.3.00 Cr to Rs.20.00 Cr – SAG Officer (IV) Above Rs.20.00 Cr – CHOD/PHOD (Authority: Rly Bd letter No: 2014/F(S)/1/Misc./12 dated 24.12.2014). It should be ensured that there is no splitting of Indents as the amounts mentioned above represent the aggregate value of each item per year. Calendar for submission of Indents to Board may also be adhered to. The Finance Officer while vetting the Indents should certify the availability of funds and mention his name and designation clearly. | | | | | | | | | |
| 15 | 15.1 Issue of Limited Tender /Bulletin Tender in normal circumstances for non-GeM items (including drugs and surgical items). | Stores Code 328, Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item 1.1(A) (I(ii), (iii) and Model SOP-IR, Part-D Item No.2.2(a). | Upto Rs.25 Lakhs | Upto Rs.25 Lakhs | Upto Rs.25 Lakhs | Upto Rs.10 Lakhs | Upto Rs.5 Lakhs | | |
| | 15.2 Issue of tenders through manual mode | PCMM/RWF Office Order No.04/RWF/562 dated 05.03.2013. | Above Rs.1 Lakh | Upto Rs.1 Lakh | ---- | ---- | ---- | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---------|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। (2) सीमित निविदा(एल टी) को बी टी के साथ जारी किया जाए। एल टी पैनल में आरडीएसओ/सीएलडब्ल्यू/डीएलडब्ल्यू/आईसीएफ/क्षेत्रीय रेल द्वारा अनुमोदित फर्मों को रखे जाएंगे या उपयोगकर्ता विभाग द्वारा प्रमाणित संभावित स्रोतों और अंतिम आपूर्तिकार शामिल होंगे। (3) 25 लाख रुपये की सीमा प्रत्येक वस्तु, वस्तुओं की श्रेणी या एक दूसरे से जुड़ी वस्तुओं के मूल्य पर लागू होता है। इन शक्तियों के अधीन लाने के लिए किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक मदों के अधीन माँग को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। GeM पर उपलब्ध मदों का सत्यापन "www.gem.gov.in" से किया जाए।</p> | | | | | | |
| 16 | आपात स्थिति में लिमिटेड/बुलेटिन निविदा जारी करना | भंडार कोड 328, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 1.1 (B)(i), (ii), (iii) & (iv). | 10 करोड़ रुपये तक | 5 करोड़ रुपये तक | 1.5 करोड़ रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | महाप्रबंधक की शक्तियाँ : 20 करोड़ रुपये तक | | | | | | |
| | नोट:- (1) प्रमुसाप्र/मुसाप्र/उप मुसाप्र द्वारा आपात स्थिति का व्यक्तिगत तौर पर प्रमाणित करने पर इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय सहमति के बिना किया जा सकता है और आपात स्थिति से निपटने के लिए मात्रा सीमित होनी चाहिए। | | | | | | |
| 17 | लिमिटेड निविदा जारी करना: (i) संरक्षा मदों के लिए ⁽¹⁾ (ii) मदें जिनके लिए अनुमोदित सूची केन्द्रीकृत एजेंसियों/आरडीएसओ/पीयू/कोर द्वारा जारी किया जाता है। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं.1.1(C)(i) & C(ii). | 10 करोड़ रुपये तक | 5 करोड़ रुपये तक | 1.5 करोड़ रुपये तक | 8 लाख रुपये तक | 3 लाख रुपये तक |
| | नोट:- संरक्षा मदें जैसा रेलवे बोर्ड के पत्र सं.99/RS(IC)/165/SRC दिनांक 19.04.2000 में परिभाषित किया गया है (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.76/RS(G)/779/22/Pt.II दिनांक 27.11.2003). (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। (2) गैर-स्टॉक माँगों/आवश्यकताओं की वेटिंग के लिए एस ओ पी मद देखें और इंडेंट की वेटिंग के लिए एस ओ पी मद को सी पी ए पर रखा जाए। | | | | | | |
| 18 | सामान्य स्थितियों में विज्ञापित/खुली निविदाएँ जारी करना। | भंडार कोड 324 & रेलवे बोर्ड पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 1.2 (i) & (ii). | पूरी शक्तियाँ | स्वीकृति की अपनी शक्तियों तक | स्वीकृति की अपनी शक्तियों तक | स्वीकृति की अपनी शक्तियों तक | स्वीकृति की अपनी शक्तियों तक |
| | <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। (2) मात्राओं की अनुमोदन के बाद इन शक्तियों का प्रयोग किया जाए। (3) 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी खरीद के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाएगी (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 1.2)। भंडार कोड के पैरा 331 के प्रावधानों के तहत अथवा इस अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार विशिष्ट प्राधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जब तक महाप्रबंधक द्वारा निविदा आमंत्रित करने संबंधी किसी अन्य पद्धति का अनुमोदन नहीं दिया जाता है, तब तक उस सीमा तक की खरीद के लिए खुली निविदाएँ अथवा जब लाभप्रद समझी जाए तो सीमित निविदाएँ आमंत्रित की जाए। यदि जन हित में हो तो महाप्रबंधक निविदा आमंत्रित नहीं भी कर सकते हैं, पैरा 332 के तहत उनके द्वारा प्रधान वित्त सलाहकार को इस संबंधी कारणों से सूचित करना होगा।</p> | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Note (1) Finance concurrence is not necessary. (2) Lts to be issued simultaneous to BT. LT panel shall include RDSO/CLW/DLW/ICF/ Zonal Rly approved firms or likely sources certified by user department and last suppliers. (3) The limit of Rs.25 lakhs applies to the value of each article or class of articles or interconnected articles to be procured at any one time. The demand under each item should in no circumstances be split-up to bring it within these powers. The items available on GeM should be verified from "www.gem.gov.in".</p> | | | | | | | |
| 16 | Issue of Limited/Bulletin Tenders in emergencies. | Stores Code 328, Rly Board letter No.88 /RS(G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017, Item No.1.1 (B)(lii), (iii) & (iv). | Upto Rs.10 Crores | Upto Rs.5 Crores | Upto Rs.1.5 Crores | NIL | NIL |
| GM powers: Upto Rs.20 Crores. | | | | | | | |
| Note (1) The powers can be exercised without Finance concurrence subject to the emergency being personally certified by PCMM/CMM/Dy.CMM exercising the powers and the quantity being limited to the requirement for tiding over the emergency. | | | | | | | |
| 17 | Issue of Limited tenders for: (i) For safety items * (ii) For items for which approved list is issued by centralised agencies /RDSO/PU/CORE . | Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No. 1.1(C)(I C(ii). | Up to Rs.10 Crores | Up to Rs.5 Crores | Up to Rs.1.5 Crores | Upto Rs. 8 Lakhs | Upto Rs. 3 Lakhs |
| <p>Note: *Safety items as defined in Board's letter No.99/RS(IC)/165/SRC Dated 19.04.2000 (Ref: Rly Board letter No.76/RS(G)/779/22/Pt.II Dated 27.11.2003). (1) Finance concurrence is not necessary. (2) Please refer SOP Item for Vetting of Non-stock demands / requisitions and SOP Item for Vetting of Indents to be placed on CPA.</p> | | | | | | | |
| 18 | Issue of Advertised/ Open Tenders in normal circumstances. | Stores Code 324 & Rly Board letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No. 1.2 (i) & (ii). | Full Powers | Upto their powers of acceptance | Upto their powers of acceptance | Upto their powers of acceptance | Upto their powers of acceptance |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is not necessary. (2) These powers are to be exercised after approval of quantities. (3) Open Tenders shall be invited for all purchases valued over Rs.25 Lakhs (Rly Board letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No. 1.2). Open or Limited tenders when considered advantageous, may be invited for purchases upto that limit, unless a different mode of tendering is approved by the GM, under the provisions of Stores Code 331 or by specified authorities in exercise of their powers as detailed in this Schedule.</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>(4) सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडरनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप द्वारा खरीद करने हेतु प्राधिकृत मशीनरी एवं संयंत्र की खरीद कॉफमो में इंडेंट देकर की जाए तथा इस प्रकार, कॉफमो के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना इनके खरीद के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2006/M(M&P)/1063/52 दिनांक 13.12.2011 के अनुसार रेलवे/उत्पादन इकाइयों द्वारा एम एंड पी मदों के प्रापण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पेंशन की वर्तमान सीमा 30 लाख रुपये है।</p> <p>(5) पीएसी मदों के लिए नए बेंडर विकसित करने के लिए पीएसी प्रस्तुत किए जाने के बाद भी पीएसी मदों के लिए निविदा मामलों में रेलवे द्वारा अनिवार्य रूप से विज्ञापित/खुली निविदाएं जारी की जाएंगी जहाँ खरीद की अनुमानित मूल्य विज्ञापित/खुली निविदा सीमा से अधिक हो। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 76/RS(G)/779/55 Pt. दिनांक 27.10.2015).</p> | | | | | | |
| 19 | सभी प्रकार की ग्लोबल निविदा आमंत्रित करना | भंडार कोड 324, रेलवे बोर्ड पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017. | वित्त सहमति के साथ स्वीकृति की अपनी शक्ति तक पूर्ण शक्तियाँ (*) | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (*) इन शक्तियों को नीचे प्रत्यायोजित नहीं किया जाए। [बोर्ड के पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017 के पैरा 1.2 के अधीन नोट].</p> <p>(1) निविदा आमंत्रित करने के लिए शक्तियों को वित्तीय सहमति से व्यक्तिगत तौर पर प्रमुसाप्र को प्रत्यायोजित की गई है। इन शक्तियों को नीचे प्रत्यायोजित नहीं किया जाए।</p> <p>(2) आयात के लिए इंडेंट देने वाले उपभोक्ता विभाग को मद की स्वदेशी खरीद के लिए की गई प्रयासों को रिकॉर्ड करना चाहिए।</p> <p>(3) उपयोगकर्ता विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा आयात प्रमाणपत्र की अनिवार्यता आवश्यक है।</p> <p>(4) वैसे मामले जिनमें विदेश विनिमय के लिए महाप्रबंधक की मंजूरी शामिल हो, तो निविदा समिति सिफारिशों का अनुमोदन और विदेशी विनिमय की मंजूरी के लिए महाप्रबंधक को मात्र एक बार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (प्राधिकार – रेलवे बोर्ड का पत्र सं.99/RS(G)/779/5/Pt.I दिनांक 28.8.03).</p> <p>(5) प्रमुसाप्र/मुसाप्र को क्रेडिट पत्र/टीटी के माध्यम से स्वीकृत करने की अपनी शक्तियों तक विदेशी विनिमय जारी करने की शक्ति है। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017 (मद सं.18).</p> <p>(6) महाप्रबंधक एवं प्रमुसाप्र को रेलवे सामग्रियों के हवाई जहाज भाड़ा के लिए उनकी निविदा स्वीकृति की शक्तियों तक शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। प्रविस की व्यक्तिगत सहमति से इन शक्तियों का प्रयोग मामले के अनुसार महाप्रबंधक/प्रमुसाप्र द्वारा किया जाए। इन शक्तियों को नीचे प्रत्यायोजित नहीं किया जाए। (प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 98/F(FEX)/17/1/एयरलिफ्टिंग दिनांक 26.03.2008).</p> | | | | | | | |
| 20 | एकल निविदा पर सामग्रियों की खरीद हेतु निविदा आमंत्रित करना- जहाँ यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि समान वस्तु जो बदले में प्रयुक्त हो सकती है और किसी अन्य फर्म द्वारा निर्माण/बिक्री नहीं की जाती है (पी ए सी 6 "A" प्रमाणित हो)। | भंडार कोड 330, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0(22). | 15 लाख रुपये तक | 8 लाख रुपये तक | 5 लाख रुपये तक | 3 लाख रुपये तक | 1 लाख रुपये तक |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>(2) शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाए कि किसी अन्य फर्म द्वारा इस तरह की वस्तु का निर्माण/बिक्री नहीं की जाती है जिसका प्रयोग बदले में किया जा सकता है। इंडेंट देने वाले विभाग का सक्षम प्राधिकारी जो प्रोप्राइएटरी आर्टिकल प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं वे पी एच ओ डी/एच ओ डी/डिप्टी एच ओ डी हैं जो निम्न प्रकार हैं - पी एच ओ डी/सी एच ओ डी- 15 लाख रुपये से अधिक, वरि.प्र.ग्रे. अधिकारी- 15 लाख रुपये तक, कनि.प्र.ग्रे./प्र.ग्रे. अधिकारी- 3 लाख रुपये तक, इंडेंट देने वाले अधिकारी- 75,000/- रुपये तक। [प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/ 779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, पैरा 2.0, मद सं.(19)].</p> | | | | | | | |

STORES

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---------|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>GM may also decide in public interest not to call for tenders, the reasons being communicated by him to the PFA in terms of Stores Code 332.</p> <p>(4) Machinery and Plant authorized for purchase by the Central Organization for Modernization of Workshops are to be procured by placing indent on COFMOW and hence, no tenders for purchase of these should be invited except with the specific authorisation of COFMOW.</p> <p>The present limit of automatic dispensation for procurement of M&P items by Railways/PUs directly is upto Rs.30 Lakhs as per Railway Board letter no.2006/M(M&P)/1063/52 dated 13.12.2011.</p> <p>(5) Railway will invariably issue Advertised/Open tender for PAC items in tender cases where the estimated value of purchase is more than Advertised/Open Tender limits, even though PAC has been submitted, in order to develop new Vendor for PAC items (Rly Bd letter No. 76/RS(G)/779/55 Pt. Dated: 27.10.2015).</p> | | | | | | |
| 19 | To invite all types of Global Tenders | Stores Code 324, Rly Board letter No. 88/RS (G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017. | Full powers upto his power of acceptance (*) with Finance concurrence. | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | <p>Note: (*) These powers are not be delegated down below [Note under Para 1.2 of Bd letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017].</p> <p>(1) Powers for invitation of tender have been delegated personally to PCMM with PFA's concurrence. These powers are not to be delegated down below.</p> <p>(2) Consuming Department have to record efforts made by them to indigenise the item intended for import.</p> <p>(3) Essentiality of Import Certificate by PHOD of the User Department is necessary.</p> <p>(4) In cases wherein sanction of GM for Foreign Exchange is involved, the tender case has to be put up to GM at one stage only for approval of TC recommendations and sanction of foreign exchange (Authority – Railway Board's Letter No.99/RS(G)/779/5/Pt.I dated:28.8.03).</p> <p>(5) PCMM/CMM has powers for release of Foreign Exchange through Letter of Credit/TT upto their power of acceptance (Railway Board's letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017 (Item No. 18).</p> <p>(6) GM & PCMM are delegated full powers for Air-freighting of Railway Stores in import contracts upto their level of acceptance of tenders. These powers are to be exercised by GM & PCMM as the case may be with the personal concurrence of PFA. These powers are not to be delegated down below. (Authority:- Railway Board's Letter No. 98/F(FEX)/17/1/Airlifting dated:26.03.2008).</p> | | | | | | |
| 20 | Invitation of SINGLE TENDER for items where it has not been possible to certify that a similar article which could be used in lieu is not manufactured / sold by any other firm (PAC 6 "A" certified). | Stores Code 330, Rly Board letter No. 88/RS (G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No.2.0(22). | Upto Rs.15 Lakhs | Upto Rs.8 Lakhs | Upto Rs.5 Lakhs | Upto Rs. 3 Lakhs | Up Rs. 1 Lakh |
| | <p>Note : (1) Finance concurrence is not necessary.</p> <p>(2) The powers should be exercised only on the basis of a certificate where is has not been possible to certify that similar article which could be used in lieu, is not manufactured/sold by any other firm. The authorities of the Indenting Department competent to sign the Proprietary Article Certificate are PHOD./HOD/Dy.HOD as under: PHOD/CHOD – above Rs. 15 Lakhs, SAG Officer- Upto Rs.15 Lakhs, JAG/SG Officer- Upto Rs. 3 Lakh, Indenting Officer - Upto Rs. 75,000/- [Authority: Rly Bd letter No.88/RS(G)/ 779/14 Pt. Dated 06.01.2017, Para 2.0, Item No.(19)].</p> | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | पीएचओडी / सीएचओडी | एचओडी | उप एचओडी | वरिवे स्तर अधिकारी | कनिवे स्तर अधिकारी |
|---------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (3) पीएसी मदों के लिए नए वेंडर विकसित करने के लिए पीएसी प्रस्तुत किए जाने के बाद भी पीएसी मदों के लिए निविदा मामलों में रेलवे द्वारा अनिवार्य रूप से विज्ञापित/खुली निविदाएं जारी की जाएंगी जहाँ खरीद की अनुमानित मूल्य विज्ञापित/खुली निविदा सीमा से अधिक हो। (रेलवे बोर्ड पत्र सं.76/RS(G)/779/55 Pt. दिनांक 27.10.2015). | | | | | | |
| 21 | पीएसी सामग्रियों की खरीद हेतु एकल निविदा आमंत्रित करना जहाँ यह प्रमाणित करना संभव है कि समान वस्तु जो बदले में प्रयुक्त हो सकती है वह और किसी अन्य फर्म द्वारा निर्माण/बिक्री नहीं की जाती है (पी ए सी 6 "A" प्रमाणित हो) । | भंडार कोड 331, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक:06.01.2017, मद सं.2.0 (21). | स्वीकृति के अपने स्तर तक | स्वीकृति के अपने स्तर तक | स्वीकृति के अपने स्तर तक | स्वीकृति के अपने स्तर तक | स्वीकृति के अपने स्तर तक |
| | <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>(2) शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाए कि किसी अन्य फर्म द्वारा इस तरह की वस्तु का निर्माण/बिक्री नहीं की जाती है जिसका प्रयोग बदले में किया जा सकता है। इंडेंट देने वाले विभाग का सक्षम प्राधिकारी जो प्रोप्राइएटरी आर्टिकल प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं वे पी एच ओ डी/एच ओ डी/डिप्टी एच ओ डी हैं जो निम्न प्रकार है - पी एच ओ डी/सी एच ओ डी- 15 लाख रुपये से अधिक, वरि.प्र.ग्रे. अधिकारी- 15 लाख रुपये तक, कनि.प्र.ग्रे./प्र.ग्रे. अधिकारी- 3 लाख रुपये तक, इंडेंट देने वाले अधिकारी- 75,000/- रुपये तक। [प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/ 779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, पैरा 2.0, मद सं.(19)].</p> <p>(3) पीएसी मदों के लिए नए वेंडर विकसित करने के लिए पीएसी प्रस्तुत किए जाने के बाद भी पीएसी मदों के लिए निविदा मामलों में रेलवे द्वारा अनिवार्य रूप से विज्ञापित/खुली निविदाएं जारी की जाएंगी जहाँ खरीद की अनुमानित मूल्य विज्ञापित/खुली निविदा सीमा से अधिक हो,। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 76/RS(G)/779/55 Pt. दिनांक 27.10.2015).</p> | | | | | | |
| 22 | इंडेंट देने वाले अधिकारी द्वारा पी ए सी पर हस्ताक्षर | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/ Trans/ 01/नीति दिनांक 18.10.2017, मद सं.F(3). | 25 लाख रुपये से अधिक | 25 लाख रुपये से अधिक | 15 लाख रुपये से अधिक | 2 लाख रुपये से अधिक | 75,000/-रुपये तक |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (3) Railway will invariably issue Advertised/Open tender for PAC items in tender cases where the estimated value of purchase is more than Advertised/Open Tender limits, even though PAC has been submitted, in order to develop new Vendor for PAC items (Rly Bd letter No. 76/RS(G)/779/55 Pt. Dated: 27.10.2015). | | | | | | | |
| 21 | Invitation of SINGLE TENDER for Proprietary (PAC) items where it has been possible to certify that a similar article which could be used in lieu is not manufactured / sold by any other firm (PAC 6 "C" certified). | Stores Code 331, Rly Board letter No. 88/RS (G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017, Item No.2.0 (21). | Upto their level of acceptance | Upto their level of acceptance | Upto their level of acceptance | Upto their level of acceptance | Upto their level of acceptance |
| <p>Note:(1) Finance concurrence is not necessary.</p> <p>(2) The powers should be exercised only on the basis of a certificate that similar article is not manufactured or sold by any other firm which could be used in lieu. The authorities of the Indenting Department competent to sign the Proprietary Article Certificate are as under: PHOD/CHOD – above Rs. 15 Lakhs, SAG Officer- Upto Rs.15 Lakhs, JAG/SG Officer- Upto Rs. 3 Lakh, Indenting Officer - Upto Rs. 75,000/- [Authority: Rly Bd letter No.88/RS(G)/ 779/14 Pt. Dated 06.01.2017, Para 2.0, Item No.(19)].</p> <p>(3) Railway will invariably issue Advertised/Open tender for PAC items in tender cases where the estimated value of purchase is more than Advertised/Open Tender limits, even though PAC has been submitted, in order to develop new Vendor for PAC items (Rly Bd letter No. 76/RS(G)/779/55 Pt. Dated: 27.10.2015).</p> | | | | | | | |
| Sl. No. | Description of Item | Authority | PHOD/CHOD | HOD | Dy.HOD | SS Level Officer | JS Level Officer |
| 22 | Signing of PAC – By the Indenting Officer | Rly Bd letter No.2017/ Trans/ 01/Policy Dated 18.10.2017, Item No.F(3). | Above Rs.25 Lakhs | Upto Rs.25 Lakhs | Upto Rs.15 Lakhs | Upto Rs.2 Lakhs | Upto Rs. 75,000/- |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|---|--|---|---|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | वित्तीय सहमति के बिना गैर-मालिकाना (गैर-पी.ए.सी.) वस्तुओं के लिए एकल निविदा आमंत्रित करना | भंडार कोड 330, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दिनांक 18.10.2017, मद सं. (F6)(2)(a)(b)(c)(d). | | | | | |
| 23.1 | सामान्य परिस्थितियों में | | 8 लाख रुपये से अधिक | 8 लाख रुपये से अधिक | 50000/-रुपये तक | 25000/-रुपये तक | 25000/-रुपये तक |
| 23.2 | आपात स्थितियों में जो अनुरक्षण, उत्पादन और परिचालन आदि को प्रभावित करता हो। | ----वही-----. | 45 लाख रुपये तक | 45 लाख रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 23.3 | दो माह से कम स्टॉक के संरक्षा मद | ----वही-----. | 1करोड़ रुपये तक | 1करोड़ रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 23.4 | आरडीएसओ/पीयू द्वारा जारी सूची में एकल अनुमोदित ख़ोत का अस्तित्व। | ----वही-----. | खरदी करने की अपनी शक्तियों तक (विज्ञापित निविदा आमंत्रित करने को वरियता दिया जाए) | खरदी करने की अपनी शक्तियों तक (विज्ञापित निविदा आमंत्रित करने को वरियता दिया जाए) | खरदी करने की अपनी शक्तियों तक (विज्ञापित निविदा आमंत्रित करने को वरियता दिया जाए) | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। | | | | | | | |
| 24 | विकासात्मक मदों के लिए एकल निविदा का आमंत्रण | भंडार कोड 330, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0(23). | 15 लाख रुपये तक | 8 लाख रुपये तक | 5 लाख रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है। (2) आयाता वस्तुओं के लिए, इंडेंट देने वाले अधिकारी को पहले किए गए देशीय प्रयासों यदि कोई, और उसके परिणाम को रिकॉर्ड करना होगा। (3) उपभोक्ता विभाग के एच ओ डी का प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है। (4) उपभोक्ता विभाग द्वारा कार्यनिष्पादन को दस्तावेज किया जाएगा और भंडार विभाग को सूचित किया जाएगा। | | | | | | | |
| 25 | एफ ई जारी करना और क्रेडिट पत्र/टी टी द्वारा भुगतान | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2007/RS(G)/779/1 दिनांक 08.05.2014 and 88/RS (G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं.2.0 (18). | स्वीकृति के अपने स्तर तक | स्वीकृति के अपने स्तर तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM | |
|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|-----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 23 | Invitation of SINGLE TENDER for Non-proprietary (Non-P.A.C) articles without Finance concurrence. | Stores Code 330, Rly Board letter No. 2017/Trans/01/Policy Dated: 18.10.2017, Item No.(F6)(2)(a)(b)(c)(d). | | | | | | |
| 23.1 | In normal circumstances | | Upto Rs.8 Lakhs | Upto Rs.8 Lakhs | Upto Rs.50000/- | Upto Rs.25000/- | Upto Rs.25000/- | |
| 23.2 | In emergencies affecting maintenance, out turn, operation etc. | | ---do--- | Upto Rs.45 Lakhs | Upto Rs.45 Lakhs | NIL | NIL | NIL |
| 23.3 | Safety items below two months stock. | | ---do--- | Upto Rs.1 Crore | Upto Rs.1 Crore | NIL | NIL | NIL |
| 23.4 | Existence of single approved source on list issued by RDSO/PUs | | ---do--- | Upto their purchase powers (preference should be given to invite Advertised Tender). | Upto their purchase powers (preference should be given to invite Advertised Tender). | Upto their purchase powers (preference should be given to invite Advertised Tender). | NIL | NIL |
| Note:-(1) Finance concurrence is not necessary. | | | | | | | | |
| 24 | Invitation of SINGLE TENDER – DEVELOPMENTAL items. | Stores Code 330, Rly Board letter No. 88/RS (G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017, Item No.2.0(23). | Upto Rs. 15 Lakhs | Upto Rs. 8 Lakhs | Upto Rs. 5 Lakhs | NIL | NIL | |
| Note:(1) Finance concurrence is necessary. (2) For import items, Indenting officer has to record indigenisation efforts made earlier if any and results obtained. (3) Administrative approval of H.O.D. of consuming department is necessary. (4) Performance shall be documented by Consuming Department and communicated to Stores department. | | | | | | | | |
| 25 | Release of FE and payment through Letter of Credit/TT | Rly Bd letter No. 2007/RS(G)/779/1 Dated 08.05.2014 and 88/RS (G) /779/14 Pt. Dated 06.01.2017, Item No.2.0 (18). | Upto their power of acceptance. | Upto their power of acceptance. | NIL | NIL | NIL | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|---|---|--|--|----------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>नोट:- (1) विदेशी विनिमय के मामले में जहाँ महाप्रबंधक की मंजूरी शामिल हो तो, निविदा समिति सिफारिश एवं विदेशी विनिमय के लिए अनुमोदन हेतु महाप्रबंधक को मात्र एक बार ही प्रस्तुत किया जाए। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.99/RS(G)/779/5/Pt.I दिनांक 28.08.2003).</p> | | | | | | | |
| पोस्ट-टेंडर | | | | | | | |
| 26 | आयात संविदाओं में रेल भंडार का हवाई माल भाड़ा | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 98/F (FEX)17/1/एयरलिफ्टिंग दिनांक 26.03.2008 | प्रविस की व्यक्तिगत सहमति से निविदा स्वीकृत करने के अपने स्तर तक। (*) महाप्रबंधक: पूरी शक्तियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) प्रविस की व्यक्तिगत सहमति आवश्यक है। (*) इन शक्तियों को नीचे प्रत्यायोजित नहीं किया जाए।</p> | | | | | | | |
| 27 | वित्तीय सहमति से प्रोफार्मा इन्वायस के अधीन 100% अग्रिम भुगतान। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G) / 779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0,(24) एवं शुद्धि पत्र, दिनांक 24.05.2017 का समसंख्यक पत्र देखें। | डी ए मामलों में: 45 लाख रुपये तक टी सी मामलों में: स्वीकृति की शक्तियों तक | डी ए मामलों में: 15 लाख रुपये तक टी सी मामलों में: कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है। (2) पैरा 2815-S के अनुसार केवल प्रख्यात वाणिज्यिक फर्मों को अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। (3) अग्रिम भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले, खरीद अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि फर्म को पहले किए गए अग्रिम भुगतान में कोई बकाया नहीं है। (4) यदि फर्म ने पूर्व में सामान्य भुगतान को स्वीकार किया है तो, ऐसे फर्मों को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, जबतक कोई अपवाद मामला नहीं हो जिसे खरीद अधिकारी द्वारा रिकार्ड किया जाएगा।</p> | | | | | | | |
| 28 | एकल कोटेशन प्राप्त होने के मामले में सीमित निविदा के स्थान पर यदि मूल्य उचित हो तो अनिवार्यता प्रमाणपत्र। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. No.88/RS (G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0 (12). | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | 8 लाख रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|---|---|---|---|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Note: (1) In cases where sanction of GM for foreign exchange is involved, the tender case has to be put up for GM at one stage only for approval of Tender Committee Recommendation and sanction of foreign exchange (Rly Bd letter No. 99/RS(G)/779/5/Pt.I Dated 28.08.2003). | | | | | | | |
| POST-TENDER | | | | | | | |
| 26 | Air freighting of Rly stores in import contracts | Rly Bd letter No. 98/F (FEX)17/1/ Airlifting Dated 26.03.2008 | Upto his level of acceptance of tenders with personal concurrence of PFA (*). GM: Full powers. | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Note:-(1) Personal concurrence of PFA is required. (*) These powers are not be delegated down below. | | | | | | | |
| 27 | 100% Advance payment against Proforma Invoice with Finance Concurrence | Rly Bd letter No.88/RS (G)/ 779/14 Pt. Dated 06.01.2017, Item No. 2.0,(24) & Corrigendum vide letter of even no. dated 24.05.2017 | In DA Cases: Upto Rs. 45 Lakhs. In TC Cases: Upto the powers of acceptance. | In DA Cases: Upto Rs. 15 Lakhs. In TC Cases: NIL | NIL NIL | NIL NIL | NIL NIL |
| Note:-(1) Finance concurrence is necessary . (2) Advance payments should be allowed only to well known firms of commercial standing in terms of para 2815-S. (3) Before approving advance payment, Purchase Officer has to ensure that advance payments made to the firm earlier, if any, are not outstanding. (4) If the firm had accepted normal payment terms in the past, advance payments should not be made to such firms, unless there are valid reasons to consider the case in exceptional circumstances which have to be recorded by purchase officer. | | | | | | | |
| 28 | Urgency certification in case of receipt of a single quotation against limited tender if prices are found to be reasonable. | Railway Board's Letter No: No.88/RS(G)/779/ 14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No.2.0 (12). | Full Powers | Full Powers | Upto Rs. 8 Lakhs | NIL | NIL |
| Note:-(1) Finance concurrence is not necessary. | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|---|--|-------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>(2) यदि एल टी के तहत एकल कोटेशन प्राप्त होता है तो, अति आवश्यकता को छोड़कर अन्य मामलों में दोबारा निविदा आमंत्रित किया जाए। अति आवश्यकता के मामले में खरीद के लिए कम से कम कनि.प्र.ग्रे. अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए। स्टॉक मदों के लिए किसी भंडार अधिकारी द्वारा अति आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और गैर-स्टॉक मदों के लिए उपयोगकर्ता विभाग के अधिकारी द्वारा।</p> <p>(3) इन शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब, उन फर्मों को इंक्रारी जारी की गई हो जिन्होंने पहले सामग्रियों की आपूर्ति की है या जो सामग्रियों की आपूर्ति करने वाला है, बशर्ते दर उचित हो।</p> <p>(4) यदि एल टी की दूसरी पारी में एकल कोटेशन प्राप्त होता है तो, खरीद की सामान्य शक्ति लागू होगी। फिर भी दरों की औचित्यता सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>(5) निविदा की स्वीकृति सामान्य खरीद की शक्ति की स्वीकृति के अनुसार होगी।</p> | | | | | | |
| 29 | संविदा के आईआरएस शर्तों के वारंटी खंड की तुलना में अंतर होने पर वारंटी खंड की स्वीकृति। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं.78/RS/(G)/777/1 दिनांक 07.05.2004 & प्रमुसाप्र/रेपका O.O No.04/RWF/S/0552 दिनांक 09.11.2004, प्रमुयाँइजी के अनुमोदन और प्रविस की सहमति से जारी। | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>(2)(1) गैर-स्टॉक मदें:</p> <p>i) आईआरएस वारंटी से वारंटी में अन्तर होने के मामले में, एन एस इंडेंट के विवरणों में अपेक्षित वारंटी अवधि का उल्लेख होना चाहिए।</p> <p>ii) निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई वारंटी अवधि में विचलन को अनुमोदन प्रदान करने वाले अधिकारी से पुष्टि करने के बाद ही क्रय अधिकारी/निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।</p> <p>(2)(2) स्टॉक मदें:</p> <p>i) उपभोज्य सामग्रियों के अलावा अन्य मदों के लिए, स्टॉकिंग आवेदनों में आवश्यक वांछित संशोधन उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए।</p> <p>ii) उपभोज्य मदों के लिए, उपभोक्ता विभाग द्वारा अपेक्षित वारंटी अवधि को मदों के विवरण में शामिल किया जाएगा।</p> <p>iii) निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई वारंटी अवधि में विचलन को उपभोक्ता विभाग के अनुमोदन प्रदान करने वाले अधिकारी से सुनिश्चित करने के बाद ही क्रय अधिकारी/निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। (3) GeM पर खरीदी गई मदों के लिए GeM गारंटी/वारंटी लागू होगा।</p> | | | | | | | |
| 30 | पूर्व वित्तीय सहमति के बिना अनुबंध की आईआरएस शर्तों से विचलन की स्वीकृति | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. No.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. No.2.0(8). | स्वीकृति की शक्तियों तक | सीधी स्वीकृति के मामलों में स्वीकृति की सामान्य शक्ति से एक स्तर ऊपर। टी सी मामलों में, स्वीकृति की सामान्य शक्ति। | स्वीकृति की सामान्य शक्ति से एक स्तर ऊपर मगर कनिप्रग्रे स्तर से कम नहीं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) सीधी स्वीकृति मामलों में आईआरएस शर्तों से विचलन को स्वीकृति की सामान्य शक्तियों से एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा परन्तु कनिप्रग्रे से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए।</p> <p>(2) टी सी मामलों में, निविदा स्वीकृति की सामान्य शक्ति लागू होगी।</p> <p>(3) GeM पर खरीदी गई मदों के लिए GeM गारंटी/वारंटी लागू होगा।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---------|---|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>(2) If a single quotation is received against the LT, the tender should normally be re-invited except in case of urgency where the urgency has to be certified by the above authority and not less than JAG Officer. Urgency certificate shall be by an officer of Stores department for Stock items and an Officer of indenting department for Non-stock items.</p> <p>(3) These powers can be exercised only if enquiries had been issued to firms who had supplied the materials earlier or who were likely to supply the materials, provided the rates obtained are reasonable.</p> <p>(4) If a single quotation is received in second round of LT, normal purchase power should be applicable. However, rate reasonableness is to be ensured.</p> <p>(5) Acceptance of tender shall be as per normal purchase power of acceptance.</p> | | | | | | |
| 29 | Acceptance of warranty clause in variance with Warranty clause in IRS conditions of contract. | Rly Bd lettr No. 78/RS/(G)/777/1 Dated 07.05.2004 & PCMM/RWF O.O No.04/RWF/S/0552 Dated 09.11.2004 issued with the approval of PCME & concurrence of PFA. | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| | <p>Note: (1) Finance concurrence is not necessary. (2)(1) Non-Stock Items:</p> <p>i) Required Warranty period should form a part of the description of NS Indent in case the warranty varies from IRS warranty.</p> <p>ii) The deviations in the Warranty Period quoted by the tenderer shall be accepted by the Purchase Officer/Tender Accepting Authority after obtaining the confirmation from the Indent Approving Authority only.</p> <p>(2)(2) Stock Items:</p> <p>i) For items other than consumables, necessary amendment to Stocking Applications should be issued by User Dept incorporating desired.</p> <p>ii) For consumable items, the requisite Warranty period shall be incorporated in the specification of item by the consuming dept.</p> <p>iii) The Purchase Officer/Tender Accepting Authority shall accept the deviation in the Warranty Period quoted by the tenderer after obtaining confirmation from the Competent Authority of consuming dept.</p> <p>(3) For items purchased on GeM, GeM guarantee/warranty will be applicable.</p> | | | | | | |
| 30 | Acceptance of deviation from IRS conditions of contract without prior financial concurrence. | Rly Board letter No: No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No.2.0(8). | Upto the powers of acceptance | One level higher than normal power of acceptance in DA cases. in TC Cases normal power of acceptance. | One level higher than normal power of acceptance not below the level of JAG. | NIL | NIL |
| | <p>Note: (1) Deviations from IRS Conditions in direct acceptance cases shall be approved by the Officer one level higher than the normal powers of acceptance but not below the level of JA Grade.</p> <p>(2) In TC cases, normal power of acceptance of tender is applicable.</p> <p>(3) For items purchased on GeM, GeM guarantee/warranty will be applicable.</p> | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | (a) निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं प्रेषण के साक्ष्य के अधीन अनुमोदन चालू संविदा के अलावा अन्य के लिए 95% भुगतान और चालू संविदा के लिए 98% भुगतान को प्राधिकृत करना । (b) पीएसयू के लिए निरीक्षण एवं प्रेषण के साक्ष्य पर 100% भुगतान प्राधिकृत करना । (c) सरकारी अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों से प्लांट एवं मशीनरी स्पेयर, प्रोप्राइएटरी मदों तथा विशेष औजारों के मामले में, निरीक्षण प्रमाणपत्र और प्रेषण के साक्ष्य के विरुद्ध 100% अग्रिम भुगतान प्राधिकृत करना । | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 77/RS(G) / 779129 दिनांक 29/12/1977 & मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं.3.2(L)(m) (n) (o), रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017 /Trans/01/नीति दिनांक 26.10.2017 देखें । . | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | कुछ नहीं |
| | | | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | | | 50,000/- रुपये | 50,000/- रुपये | 50,000/- रुपये | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है । (2) पैरा 2815-S के अनुसार वाणिज्यिक हैसियत के केवल प्रख्यात फर्मों के लिए ही अग्रिम भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिए । (3) अग्रिम भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले, क्रय अधिकारी सुनिश्चित करें कि फर्म को पूर्व में किया गया अग्रिम भुगतान, यदि हो, का बकाया नहीं है । (4) यदि फर्म ने पहले सामान्य भुगतान शर्तों को स्वीकार किया है तो, ऐसे फर्मों को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाए, जब तक अपवाद मामले पर विचार करने के लिए कोई वैध कारण नहीं हो, जिसे खरीद अधिकारी द्वारा रिकार्ड किया जाए । (5) मैसर्स राइट्स एवं आरडीएसओ सामान्य निरीक्षण प्राधिकारी हैं । रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2000/RS(G)/379/2 दिनांक 06.09.2017 के अनुसार, राइट्स एवं आरडीएसओ निरीक्षण के लिए खरीद आदेश 5.00 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए ।</p> | | | | | | | |
| 32 | बयाना धन जमा करने से छूट | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 86/RS(G) /155/1 दिनांक 11/09/1987, मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं.3.2(C), रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दिनांक 26.10.2017 देखें । | पूरी शक्तियाँ | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>जमा की जाने वाली बयाना जमा राशि, अधिकतम सीमा के अधीन अनुमानित निविदा मूल्य का 2% होगा : (i) 10 करोड़ रुपये तक की निविदा के लिए 5 लाख रुपये और (ii) 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की निविदा के लिए 10 लाख रुपये । (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2004/RS(G)/779/11 दिनांक 24.07.2007).</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|--|--|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | (a) Authorise 95% payment on proof of inspection and despatch for contacts other than Running Contract & 98% for Running Contracts. | Rly Bd letter No. 77/RS (G)/779129 Dated 29/12/1977 & Model SOP-IR, Part-D, Item No.3.2(L)(m) (n) (o), vide Rly Bd letter No:2017/Trans/01/ Policy dated 26.10.2017. | Upto powers of acceptance | Upto powers of acceptance | Upto powers of acceptance | Upto powers of acceptance | NIL |
| | (b) Authorise 100% payment on proof of inspection and despatch for PSUs | | Upto powers of acceptance | Upto powers of acceptance | Upto powers of acceptance | NIL | NIL |
| | (c) In respect of spares for plant and machinery proprietary items and special tools from government and non-government agencies, authorise 100% payment on proof of inspection and despatch for contacts. | | Rs.50,000/- | Rs.50,000/- | Rs.50,000/- | NIL | NIL |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is not necessary. (2) Advance payments should be allowed only to well known firms of commercial standing in terms of para 2815-S. (3) Before approving for advance payment, Purchase Officer has to ensure that advance payments made to the firm earlier, if any, are not outstanding. (4) If the firm had accepted normal payment terms in the past, advance payments should not be made to such firms, unless there are valid reasons to consider the case in exceptional circumstances which have to be recorded by the purchase officer. (5) M/s RITES & RDSO are the normal inspecting authorities. As per Rly Board letter No. 2000/RS(G)/379/2 dated 06.09.2017, minimum value of purchase order for RITES/RDSO inspection should not be less than Rs.5.00 lakhs.</p> | | | | | | | |
| 32 | Waiver of Earnest Money Deposit | Rly Bd letter No.86/RS (G)/ 155/1 dated 11.09.1987, Model SOP-IR, Part-D, Item No.3.2(C) vide Rly Bd ltr. No:2017/Trans/01/ Policy dtd. 26.10.2017 | Full Powers | Upto the power of acceptance | Upto the power of acceptance | NIL | NIL |
| <p>Note :The amount of EMD to be furnished, will be 2% of the estimated tender value subject to an upper limit of : (i) Rs.5 Lakhs for tenders valuing upto Rs.10 Crores and (ii) Rs.10 Lakhs for tenders valuing above Rs.10 Crores (Authority: Rly Board letter no. 2004/RS(G)/779/11 dated 24.07.2007).</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>नोट:- (1) भंडार संविदाओं के मामले में जहाँ अपंजीकृत कंपनियाँ ईएमडी का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हो तो, छूट के लिए शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां वित्त सहमति के साथ सार्वजनिक हित में उचित माना जाए।</p> <p>(2) उनके द्वारा निर्मित मदों के समूह और रेल मंत्रालय के स्वामित्व में आने वाले पीएसयू के लिए और जिसे, पीएसयू जो रेल के उत्पादन इकाइयों, क्षेत्रीय रेलों, कोर/एएलडी, आरडीएसओ या एनएसआईसी के साथ पंजीकृत हो और बयाना राशि जमा करने के लिए इच्छुक नहीं हो या जमा करने में असमर्थ हो, तो संबंधित रेल के वित्तीय परामर्श से बयाना राशि की माफी पर विचार किया जा सकता है, (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/RS(G)/779/5 दिनांक 10.09.2004).</p> <p>(3) एम एंड पी मदों को छोड़कर, सभी विज्ञापित/खुली निविदा और ग्लोबल निविदाओं में बयाना धन जमा करने से छूट निम्न प्रकार है: (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2004/RS(G)/779/11 दिनांक 24.07.2007&2004/RS(G)/779/11 दिनांक 09.10.2009).</p> <p>(i) निविदा में दी गई मदों के लिए एनएसआईसी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को अपने पंजीयन की मौद्रिक सीमा तक।</p> <p>(ii) निविदा में दी गई मदों/निविदा में दी गई मदों के ट्रेड समूह के लिए रेलवे के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को अपने पंजीयन की मौद्रिक सीमा तक।</p> <p>(iii) आरडीएसओ/उ.इ./कोर/रेलवे आदि की सूची में अनुमोदित विक्रेताओं को उन विशेष मदों के लिए जिनके लिए वे अनुमोदित सूची में हैं।</p> <p>(iv) निर्माता एवं उनके अधिकृत एजेंट</p> <p>(v) अन्य रेलवे, सरकारी विभाग</p> <p>(vi) निम्नलिखित किन्हीं एजेंसियों के साथ पंजीकृत माइक्रो एवं लघु उद्यम। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2010/RS(G)/363/1 दिनांक 05.07.2012)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) जिला उद्योग केन्द्र (2) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (3) खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड (4) कॉयर बोर्ड (5) राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेशन (6) हस्तकला एवं हथकरघा निदेशालय (7) एम एस एम ई मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य बोर्ड (8) उद्योग आधार ज्ञापन वाले माइक्रो व लघु उद्यम (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2010/rs(G)/363/1 दिनांक 31.3.2016) <p>(4) अंतिम बोली वैधता अवधि के आगे 45 दिनों तक ईएमडी वैध रहनी चाहिए। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2004/RS(G)/779/11 दिनांक 24.07.2007).</p> | | | | | | |
| 33 | (a) निविदा के प्रावधान के अनुसार जमा बयाना राशियों की वापसी। | भंडार कोड 132-S, 15 (i) & (ii) के लिए रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/9 दिनांक 06.02.2009, मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं.3.2(e), रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दिनांक 26.10.2017. | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| | (b) निविदा के प्रावधान के अनुसार जमा बयाना राशियों को जब्द करना | | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>(2) यदि बयाना राशि विदेशी मुद्रा में जमा किया गया हो तो, वही विदेशी मुद्रा में राशि वापस की जाएगी। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2004/RS(G)/79/11 दिनांक 07.04.2015).</p> <p>(3) महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित संविदाओं के मामले में, जमा बयाना राशि की वापसी/जब्दी के प्रश्न पर प्रमुसाप्र द्वारा निर्णय लिया जाएगा।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>Note:-(1) In case of Stores contracts where the unregistered firms are unwilling to pay EMD, the powers for waiver should be exercised where considered justified in the public interest with Finance Concurrence.</p> <p>(2) EMD for PSUs may be waived for the group of items that are manufactured by them and also for PSUs owned by Ministry of Railways, PSUs that are registered with Production Units of Railways, Zonal Railways, CORE/ALD, RDSO or with NSIC and in cases where PSU is not willing to or unable to pay the earnest money, the same may be considered for waiver in consultation with the Associate Finance (Rly Bd letter No.2003/RS(G)/779/5 Dated 10.09.2004).</p> <p>(3) Exemption from EMD in all Advertised/Open Tender and Global Tenders, excluding M&P items are as follows: (Rly Bd letter No.2004/RS(G)/779/11 Dated 24.07.2007 & 2004/RS(G)/779/11 Dated 09.10.2009).</p> <p>(i) Vendors registered with NSIC upto the monetary limit of their registration for the items tendered</p> <p>(ii) Vendors registered with Rlys upto the monetary limit of their registration for the items tendered/trade groups of the items tendered.</p> <p>(iii) Vendors on approved list of RDSO/PUs/CORE/Railways etc., for those specific items for which they are on approved list(iv) Manufacturers and their accredited agents(v) Other Railways, Government Departments.</p> <p>(vi) Micro & Small Enterprises registered with any of the following agencies (Rly Bd letter No.2010/RS(G)/363/1 Dated 05.07.2012)</p> <p>(1) District Industries Centres</p> <p>(2) Khadi & Village Industries Commission</p> <p>(3) Khadi & Village Industries Board</p> <p>(4) Coir Board</p> <p>(5) National Small Industries Corporation</p> <p>(6) Directorate of Handicraft and Handloom</p> <p>(7) Any other Body specified by Ministry of MSME.</p> <p>(8) Micro & Small Enterprises having Udyog Aadhaar Memorandum (Rly Bd letter No.2010/rs(G)/363/1 Dated 31.3.2016)+B535</p> <p>(4) EMD should remain valid for a period of 45 days beyond the final bid validity period (Rly Bd letter No.2004/RS(G)/779/11 Dated 24.07.2007).</p> | | | | | | |
| 33 | (a) Refund of Earnest Money Deposit in accordance with the provisions of tender. | Railway Board's letter No. 88/RS(G)/779/9 Dated: 06.02.2009 for Stores Code 132-S, 15 | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| | (b) Forfeiture of Earnest Money Deposit in accordance with the provisions of tender. | (i) & (ii) Model SOP-IR, Part-D, Item No.3.2(e) vide Rly Bd letter No:2017/Trans/01/ Policy dtd. 26.10.2017. | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| | <p>Note: (1) Finance concurrence is not necessary.</p> <p>(2) If EMD submitted is in foreign currency, the same amount of foreign currency shall be refunded (Rly Board letter No.2004/RS(G)/79/11 dated 07.04.2015).</p> <p>(3) In respect of contracts approved by GM, the question of refund /forfeiture of EMD has to be decided by PCMM.</p> | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | दैवी घटनाओं से संबंधित गैर-मानक दैवी खंड की स्वीकृति। | रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं. 3.2(h)(i) के अनुसार, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. No.2017/Trans/01/नीति दिनांक 26.10.2017 देखें। | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) इन शक्तियों का प्रयोग कभी-कभार इस्तेमाल विधि अधिकारी से परामर्श और वित्त सहमति के साथ और आपूर्ति की विफलता, दोषपूर्ण आपूर्ति, कम प्राप्ति आदि के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी जैसे सुरक्षा उपायों के साथ किया जाना चाहिए।</p> | | | | | | | |
| 35 | स्वदेशी/आयात भंडार के मामले में विनिमय, सीमा शुल्क आदि के मूल्यों/दरों में भिन्नता के अधीन कोटेशन की स्वीकृति। | भाग-III का पैरा 3.3, RESC का अध्याय -3 (अंतर खंड) & मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं. 3.2(j) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दिनांक 26.10.2017 देखें। | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है। (2) स्वदेशी भंडार में, लागू भिन्नता संबंधित हो सकता है (a) मुख्य इस्पात उत्पादकों द्वारा समय-समय पर प्रवर्तित इस्पात मूल्य (b) अलौह धातुओं के मूल्य (c) जीएसटी एवं अन्य वैधानिक कर (d) मजूरी वृद्धि (e) बीईएमए/आईईएमए समूह का विशेष मूल्य समायोजन। इस मद के अधीन उप मुख्य सामग्री प्रबंधक एवं निम्न अधिकारियों की शक्तियाँ वेतन वृद्धि के मामले में लागू नहीं होता है। (3) आयातित भंडार में, लागू भिन्नता संबंधित हो सकता है - (a) एफओबी मूल्य मालिकाना वस्तुएँ (b) कच्चे सामग्रियों की कीमत जो अधिक मूल्य विचलन पर निर्भर रहती है। (c) विनिमय दर (d) आयात शुल्क (e) बीईएमए/आईईएमए समूह का विशेष मूल्य समायोजन। बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक भिन्नता खंड का पालन किया जाए। इस मद के अधीन वरि. सामग्री प्रबंधक एवं सहासाप्र की शक्तियाँ बीईएमए/आईईएमए खंडों के समायोजन के मामले में लागू नहीं होता है। (4) जहाँ कहीं भी खरीद आदेश में वैधानिक विविधता खंड सम्मिलित किया गया हो, तो ऐसे खरीद आदेशों में संशोधन के लिए वित्तीय सहमति के साथ सामान्य रूप से निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा और प्रमुसाप्र द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। जहाँ स्वीकृति प्राधिकारी महाप्रबंधक/महाप्रबंधक हो तो जब प्रस्तावित परिवर्तन वैधानिक प्रभारों से संबंधित है जो निविदा की मूल अवधि के दौरान उत्पन्न हुआ हो।</p> | | | | | | | |
| 36 | निविदा को रद्द करना। | मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं.3.2(p), रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति दिनांक 26.10.2017 देखें। | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। (2) यदि निविदा खोलने के बाद खरीद को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है तो, उचित निविदा समिति की सिफारिश ली जानी चाहिए। वैसे निविदाओं के लिए, जिनका मूल्य 25 लाख रुपये से कम हो, निविदा आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से एक ग्रेड उच्च अधिकारी जो कनिष्ठ से कम नहीं हो के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (3)(i) यदि निविदा खोलने से पहले ही इसे रद्द कर दिया जाता है तो निविदा दस्तावेजों (निविदा शुल्क) के मूल्य को वापस किया जाना चाहिए। (ii) यदि निविदा खोलने के बाद इसे रद्द कर दिया जाता है तो निविदा दस्तावेजों (निविदा शुल्क) के मूल्य को वापस नहीं किया जाना चाहिए। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 97/RS(G)/77/8 दिनांक 04.08.1997)।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Acceptance of non-standard Force Majeure clause. | As per Model SOP-IR, Part-D, Item No.3.2(h) published by Rly Board vide letter No.2017/Trans/01/ Policy dated 26.10.2017. | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | NIL | NIL | NIL |
| Note: (1) These powers should be sparingly used in consultation with Law Officer and Finance concurrence, and with safe guards like Bank Guarantee for protection against failure of supply, defective supply, short-receipt etc. | | | | | | | |
| 35 | Acceptance of Quotations subject to variations in prices/rates of exchange, Custom Duty etc in respect of indigenous/ imported Stores. | Para 3.3 of Part-III, Ch-3 (Variation Clauses) of RESC & Model SOP-IR, Part-D, Item No.3.2(j) vide Rly Bd Itr. No.2017/Trans/01/Policy dt.26.10.2017 | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is necessary.</p> <p>(2) In indigenous stores, the variations admissible may relate to (a) Steel Prices promulgated from time to time by Main Steel Producers (b) Prices of non-ferrous metals. (c) GST & other statutory levies (d) Wage escalation (e) Special price adjustment of BEMA/IEMA Group. The powers of DY.CMM and lower Officers under this item are not applicable to cases of wage escalation.</p> <p>(3) In imported stores the variations admissible may relate to - (a) F.O.B. cost proprietary articles (b) cost of raw materials that are subject to sharp price fluctuations. (c) Exchange rates. (d) Import duties. (e) Special price adjustment of BEMA/IEMA Group. Standard Variation clause specified by the Board should be adopted. The powers of SMM and AMM under this item are not applicable to special price adjustment clauses of BEMA/IEMA.</p> <p>(4) Wherever as statutory variation clause has been incorporated in the Purchase Order, modifications to such purchase orders involving the statutory levies can be approved with Finance concurrence, by the tender accepting authority in general and by PCMM where the tender accepting authority is GM/GM so long as the proposed changes are statutory levies occurred with in the original currency of the contract.</p> | | | | | | | |
| 36 | Cancellation of Tender . | Model SOP-IR, Part-D, Item No.3.2(p), vide Rly Bd letter No:2017 /Trans/01/Policy dated 26.10.2017. | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | NIL |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is not necessary.</p> <p>(2) If it is decided to drop the purchase after opening of tender, the recommendations of the appropriate Tender Committee should be obtained. For such of those tenders, whose value is less than Rs.25 Lakhs, the case should be put upto the next higher authority not less than JAG Officer, than the one who authorised the invitation of Tender.</p> <p>(3)(i)In cases where the tender is dropped/discharged even before its opening the cost of tender document (Tender Fee) should be refunded.(ii) Where the tender is discharged after opening of tender, the cost of tender documents (Tender Fee) need not be refunded. (Rly Bd letter No.97/RS(G)/77/8 Dated 04.08.1997).</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|----------------------------------|--|---|---|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | प्रतिभूति राशि जमा करने से छूट । | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 86/RS(G)/155/1 दिनांक 11.09.1987 & मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं.3.2(d), रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति दिनांक 26.10.2017 देखें । | पूरी शक्तियाँ | स्वीकृति की शक्तियों तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- जमा की जाने वाली प्रतिभूति जमा राशि, संविदा मूल्य के अधिकतम सीमा के अधीन कुल मूल्य का 10% होगा: (i) 10 करोड़ रुपये तक मूल्य की संविदाओं के लिए 10 लाख रुपये तक और (ii) 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संविदा के लिए 20 लाख रुपये तक । (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 24.07.2007 का पत्र सं.2004/RS(G)/779/11).</p> <p>(1) भंडार संविदाओं के मामले में जहाँ अपंजीकृत फर्म एसडी का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है और पंजीकृत फर्मों को जहाँ ऐसी वस्तुओं के लिए आम तौर पर एसडी का भुगतान करना पड़ता है जो अपंजीकृत है, छूट के लिए शक्तियों का प्रयोग वित्त सहमति के साथ किया जाना चाहिए, जहाँ सार्वजनिक हित में उचित माना जाए ।</p> <p>(2) उनके द्वारा जन पंजीकृत विशेष वस्तुओं की आपूर्ति हेतु रेलवे के उत्पादन इकाइयों, क्षेत्रीय रेलों, कोर, आर डी एस ओ या एन एस आई सी के साथ पंजीकृत रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाले पी एस यू ओ को प्रतिभूति जमा से छूट दिया जाए (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/RS(G)/779/5 दिनांक 10.09.2004).</p> <p>(3) एम एंड पी मदों को छोड़कर, सभी विज्ञापित/खुली निविदा और ग्लोबल निविदाओं में प्रतिभूति धन जमा (संरक्षा मदों के अलावा) करने से छूट निम्न प्रकार है: (रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2004/RS(G)/779/11 दिनांक 24.07.2007 & 2004/RS(G)/779/11 दिनांक 09.10.2009 & 2004/RS(G)/779/1 दिनांक 25.06.2015).</p> <p>(i) आदेशित मदों के लिए एनएसआईसी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को अपने पंजीयन की मौद्रिक सीमा तक । (ii) आदेशित मदों/आदेशित मदों के ट्रेड समूह के लिए रेलवे के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को अपने पंजीयन की मौद्रिक सीमा तक । (iii) आरडीएसओ/उ.इ./कोर/रेलवे आदि की सूची में अनुमोदित विक्रेताओं को उन विशेष मदों के लिए जिनके लिए वे अनुमोदित सूची में हैं । (iv) अन्य रेलवे, सरकारी विभाग अपने विशेष अनुरोध पर और निविदा समिति के विचार में मामले की योग्यता के आधार पर । (v) उन स्रोतों द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है जिनके पक्ष में उपयोगकर्ता विभाग द्वारा पीएसी हस्ताक्षरित किया गया है । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/01/ नीति दिनांक 18.10.2017 क्र.सं.(F9).</p> <p>(4) निविदा देने वाले सभी सफल निविदाकर्ता जो निवेदित मदों के लिए अपंजीकृत/अस्वीकृत हो उन्हें प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना होगा । कोई भी प्राधिकृत डीलर/एजेंट/मान्यता प्राप्त औद्योगिक वितरक जो विदेशी पूँजी के रूप में भारतीय राशि में कोटेशन दे रहा हो और उपरोक्त मद सं.(3) की सूची में उल्लिखित एजेंसियों के साथ पंजीकृत की स्थिति जो भी हो, प्रतिभूति राशि जमा करना होगा । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2004/RS(G)/779/11 नई दिल्ली, दिनांक 24.07.2007).</p> <p>(5) आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा होने की तारीख के आगे कम से कम 60 दिनों की अवधि के लिए प्रतिभूति जमा वैध रहना चाहिए (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2004/RS(G)/779/11 नई दिल्ली, दिनांक 24.07.2007)।</p> <p>(6) संरक्षा मदों के प्रापण के लिए प्रतिभूति जमा राशि का मूल्य सीमा 25 लाख रुपये है । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017 मद सं. 3.0).</p> | | | | | | | |
| 38 | खरीद आदेशों का वेटिंग । | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G) / 779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, पैरा 2.0, मद सं.(3) | संरक्षा के अलावा अन्य मदों के लिए 8 लाख रुपये से अधिक । संरक्षा मदों के लिए 15 लाख रुपये से अधिक | [[लेखा द्वारा 10% जाँच चेक के अधीन- रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/F(S)/PW7/2 दिनांक09.01.2003. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.99/RS(IC)165/SRC दिनांक 19.04.2000 में परिभाषित संरक्षा मदें, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 76/RS(G)/779/22/भाग-III दिनांक 27.11.2003 देखें]]. | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|--|----------------------------|---|---|------------------------------|--------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | Waiver of Security Deposit | Rly Bd letter No.86/RS(G)/155/1 dtd.11.09.1987 & Model SOP-IR, Part-D, Item No.3.2(d) vide Rly Bd ltr. No:2017/Trans/01/Policy dt.26.10.2017. | Full Powers | Upto the power of acceptance | NIL | NIL | NIL |
| <p>Note:The amount of SD to be furnished, will be 10% of total value of contract subject to upper ceiling of : (I) Rs.10 Lakhs for contracts valuing upto Rs.10 Crores and (ii) Rs.20 Lakhs for contracts valuing above Rs.10 Crores (Authority: Rly Board letter no. 2004/RS(G)/779/11 dated 24.07.2007).</p> <p>(1) In case of Stores contracts where the unregistered firms are unwilling to pay SD and registered firms are usually to pay SD in respect of items for which they are not registered, the powers for waiver should be exercised where considered justified in the public interest with Finance Concurrence.</p> <p>(2) SD may be waived for PSUs which are owned by Ministry of Railways, registered with Production Units of Railways, Zonal Railways, CORE, RDSO or with NSIC for supply of those specific items for which they are registered with them (Rly Bd letter No.2003/RS(G)/779/5 Dated 10.09.2004).</p> <p>(3) Exemption from SD (for other than safety items) in all Advertised/Open Tender and Global Tenders. excluding M&P items are as follows: (Rly Bd letter No.2004/RS(G)/779/11 Dated 24.07.2007 & 2004/RS(G)/779/11 Dated 09.10.2009 & 2004/RS(G)/779/1 Dated 25.06.2015).(i) Vendors registered with NSIC upto the monetary limit of their registration for the items ordered.(ii) Vendors registered with Rlys upto the monetary limit of their registration for the items ordered/trade groups of the items ordered.(iii) Vendors on approved list of RDSO/PUs/CORE/Railways etc., for those specific items for which they are on approved list.(iv) Other Railways, Government Departments on their specific request and on merits of the case as considered by tender committees. (v) Security Deposit not required to be submitted by sources in whose favour PAC has been signed by User Department (Rly Bd letter No. 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017 SI No.(F9).</p> <p>(4) All successful tenders tenderers who are unregistered/unapproved for the tendered items will be required to submit SD. Any authorised dealer / agent /recognised industrial distributor quoting on behalf of foreign principal in India Rupees, irrespective of their registration status with any of the agencies listed at Item No.(3) above shall submit security deposit (Rly Bd letter No.2004/RS(G)/779/11 New Delhi, Dated:24.07.2007).</p> <p>(5) Security deposit should remain valid for a minimum period of 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations of supplier (Rly Bd letter No.2004/RS(G)/779/11 New Delhi, Dated:24.07.2007).</p> <p>(6) Value limit with respect to Security deposit for procurement of safety items is Rs. 25 Lakhs (Rly Board letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated:.06.01.2017 Item No.3.0).</p> | | | | | | | |
| 38 | Vetting of Purchase Orders | Rly Bd letter No.88/RS(G)/ 779/14 Pt. Dated 06.01.2017, Para 2.0, Item No.(3). | Above Rs.8 Lakhs for items OTHER THAN SAFETY items. Above Rs.15 Lakhs for SAFETY ITEMS [(Subject to 10% test check by Accounts - Rly Bd letter No. 2003/F(S)I/PW7/2 Dated 09.01.2003. Safety items as defined in Boards letter No. 99/RS(IC)/165/SRC Dated 19.4.2000 advised vide Rly Bd letter No.76/RS(G)/779/22/Pt.III Dated 27.11.2003)]. | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>नोट:- (1) GeM को खरीद आदेश देने के लिए, GeM कार्यविधि के अनुसार मार्गदर्शन लागू होंगे। (2) सामग्री सहायता के लिए दूसरे क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को आपूर्ति आदेश देने के लिए खरीद आदेश का वित्तीय वेटिंग आवश्यक नहीं है।</p> | | | | | | | |
| 39 | 39.1 सामग्री सहायता के लिए अन्य रेलवे इकाइयों में खरीद आदेश देना। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. No.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक:06.01.2017, मद सं. 2.0(15). | अंकित मूल्य पर पूरी शक्तियाँ | अंकित मूल्य पर पूरी शक्तियाँ | अंकित मूल्य पर पूरी शक्तियाँ | 45 लाख रुपये | 3 लाख रुपये |
| <p>नोट:- क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को खरीद आदेश देने के लिए वित्त विभाग द्वारा खरीद आदेश की वेटिंग आवश्यक नहीं है।</p> | | | | | | | |
| | 39.2 क्रय आदेश, संविदाओं पर हस्ताक्षर करना | वर्तमान खरीद आदेशों के अनुसार ससाप्र अपनाई गई शक्तियों का प्रत्यायोजन, वरि.वे. के लिए प्रत्यायोजित टी सी शक्तियाँ और उप मुसाप्र व उनसे ऊपर के लिए वर्तमान शक्तियाँ। | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | 1करोड़ रुपये तक | 5 लाख रुपये तक |
| <p>नोट:- 1) वित्तीय सहमति आवश्यक है : (a) संरक्षा मदों के अलावा अन्य के लिए 8 लाख रुपये से अधिक के मदों की खरीद के लिए [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14Pt. दिनांक 06.01.2017, पैरा 2.0(3) एवं लेखा द्वारा 10% जाँच चेक के अधीन,(रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/F(S))/PW7/2 दिनांक 09.01.2003]] (b) संरक्षा मदों के लिए रु.15 लाख से ऊपर चाहे स्टॉक या गैर-स्टॉक मदें हो [रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 दिनांक 06.01.2017, पैरा 2.0(3), रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 76/RS(G)/779/22 भाग-III दिनांक 27.11.2003 एवं रेलवे बोर्ड का पत्र सं.99/RS(IC)/SRC दिनांक 19.4.2000 में परिभाषित संरक्षा मदें, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/F(S))/PW7/2 दिनांक 09.01.2003]]</p> | | | | | | | |
| 40 | (a) प्रतिभूति जमा राशि की वापसी। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G)/779/9 दिनांक 06.02.2009, भंडार कोड 132-S & मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं.5(H)(I) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/Trans/01/ नीति दिनांक 26.10.2017 देखें। | पूरी शक्तियाँ, बशर्ते संविदाएँ संतोषजनक रूप से पूरी की गई हो। | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| | (b) प्रतिभूति जमा राशि की जब्ती। | | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक | स्वीकृति की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। (2) संविदा को संतोषजनक तौर पर पूरा करने पर प्रतिभूति जमा राशि की वापसी की जाएगी। (रेलवे बोर्ड का दिनांक 18 अगस्त 1987 का पत्र सं.86/RS (G)/164/C/1). (3) महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित संविदाओं के मामले में, राशि की वापसी/जब्ती के प्रश्न पर प्रमुसाप्र द्वारा निर्णय लिया जाएगा।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Note:(1) For placement of Purchase Order on GeM, guidelines as per GeM procedure shall apply. (2) Vetting of Purchase Order by Finance is not necessary for placement of Supply Order on other Zonal Railways/Production Units for material assistance. | | | | | | | |
| 39 | 39.1 Placement of Purchase Orders on other Railway Units for material assistance. | Railway Board's letter No. No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dtd.:06.01.2017, Item No.2.0(15). | Full powers on book rate | Full powers on book rate | Full powers on book rate | Rs.45 Lakhs | Rs.3 Lakhs |
| Note:PO vetting by Finance is not necessary, for purchase orders placed on Zonal Railways and Production Units. | | | | | | | |
| | 39.2 Signing of Purchase Orders, Contracts. | Delegation of powers adopted as per present purchase powers for AMM, present delegated TC powers for Sr. Scale and existing powers for Dy CMM and above. | Full Powers | Full Powers | Full Powers | Upto Rs.1 Crores | Upto Rs.5 Lakhs |
| Note:1) Vetting by Finance is necessary for : (a) Purchase Orders above Rs.8 Lakhs for items OTHER THAN SAFETY items [Railway Board's letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Para 2.0(3) & subject to 10% test check by Accounts (Rly Bd letter No. 2003/F(S)/PW7/2 Dated 09.01.2003)]. (b) Above Rs.15 Lakhs for SAFETY ITEMS whether stock or non-stock items [Railway Board's letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Para 2.0(3), Rly Bd letter No.76/RS(G)/779/22/ Pt.III Dated 27.11.2003 & safety items as defined in Boards letter No. 99/RS(IC)/165/SRC Dated 19.4.2000 as per Rly Bd letter No. 2003/F(S)/PW7/2 Dated 09.01.2003)]. | | | | | | | |
| 40 | (a) Refund of Security Deposit. | Railway Board's letter No. 88/RS(G)/779/9 Dated: 06.02.2009 for Stores Code 132-S & Model SOP-IR, Part-D, Item No.5(H)(I) vide Rly Bd letter No:2017/Trans/01/ Policy dated 26.10.2017. | Full Powers, subject to contracts are satisfactorily completed. | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| | (b) Forfeiture of Security Deposit. | | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance | Upto the powers of acceptance |
| Note:-(1) Finance concurrence is not necessary. (2) Refund of SD is subject to condition that contract is satisfactorily completed (Rly Board letter No.86/RS (G)/164/C/1 dated 18th August 1987). (3) In respect of contracts approved by GM, the question of refund / forfeiture has to be decided by PCMM. | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | आदेशों को रद्द करना। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 86/RS(G)/779/8 dated 29.02.1988 & भंडार कोड 132 (5) के संबंध में जारी एसीएस सं.16 , रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2008/RS(G)/779/9 दिनांक 06.02.2009 देखें। | खरीद की अपनी शक्तियों या महाप्रबंधक द्वारा मंजूर वार्षिक संविदा के अधीन आदेश के लिए पूर्ण शक्तियाँ। | संविदाओं/निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक | संविदाओं/निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक | संविदाओं/निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक | संविदाओं/निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) जोखिम खरीद को बहाल किए बिना यदि आदेश रद्द किया जा रहा हो तो वित्तीय सहमति आवश्यक है। (2) क्रय आदेश के मामले में, जहाँ फर्म से 10% प्रतिभूति राशि जमा कराया गया हो, तो फर्म द्वारा चूक के मामले में जोखिम खरीद को अपनाए बिना प्रतिभूति जमा राशि जब्त की जाएगी। (प्राधिकार:रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2001/RS(G)/779/14 दिनांक 21.09.07).</p> | | | | | | | |
| 42 | 42.1 सुपुर्दगी की तारीख को आगे बढ़ाना | भंडार कोड- 445-S, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.86/RS(G)/779/8 दिनांक 29.02.1988 रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2008/RS(G)/779/9 दिनांक 06.02.2009 देखें , एसीएस सं.16 से भंडार कोड 132(4) (2) के संबंध में जारी। | पूरी शक्तियाँ | खरीद की शक्तियों तक | खरीद की शक्तियों तक | खरीद की शक्तियों तक | खरीद की शक्तियों तक |
| <p>नोट:- (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुपुर्दगी तारीख बढ़ाना अनुमोदित किया जाए बशर्ते :- (a) कि सुपुर्दगी तारीख के विचार में संविदा दर में निम्नतम निविदा की उपेक्षा कर संविदा दर स्वीकृत नहीं किया गया हो। (b) कि वे संतुष्ट हैं कि विलंब से कोई हानि अथवा क्षति नहीं होगी अथवा विशेष खरीद के मामले में, इंडेंट अधिकारी प्रमाणित करते हों कि सुपुर्दगी में विलंब के कारण कोई क्षति नहीं होगी। (c) किसी मामले में जहाँ उपर्युक्त में से किसी एक अथवा दोनों शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह लेने के बाद प्रविस के परामर्श से ही अनुमोदन प्रदान किया जाए। (2) जब आपूर्तिकार निर्धारित समय के भीतर सामग्रियों की आपूर्ति करने में असफल रहा हो तो उस सामग्री के मूल्य के 2% बराबर राशि (कर, शुल्क एवं माल भाड़ा आदि सहित) प्रत्येक माह या आंशिक माह (कैलेंडर माह या उसके हिस्से नहीं के लिए) अधिकतम विलंबित आपूर्तियों के 10% तक राशि को परिसमापन हर्जाना के रूप में लगाकर सुपुर्दगी अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपूर्ति संविदा में विलंब से की गई आपूर्तियों के संदर्भ में परिसमापन हर्जाना की माफी और सांकेतिक एल डी लगाने की प्रणाली सामान्यतः नहीं होनी चाहिए। आपूर्ति संविदाओं में एल डी माफ करने की प्रणाली और विलंब से की गई आपूर्तियों के लिए सांकेतिक एल डी लगाने की प्रणाली नियम के बजाय अपवाद होगा और केवल उन्हीं परिस्थितियों में होगा, जब आपूर्ति करने में हुई विलंब की परिस्थितियाँ आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण के बाहर हो। (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/RS(G)/779/9 दिनांक 04.03.2008, 28.04.2008 & 23.10.2013).</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | Cancellation of Orders. | Rly Bd letter No.86/RS (G)/779/8 dtd.29.02.88 & ACS No:16 to Stores Code 132 (5) circulated vide Bd letter No.2008/RS (G)/779/9 dated 06.02.2009. | Full Powers for orders placed under their own powers of purchase or against Annual Contract sanctioned by the GM. | Upto the powers of acceptance of contracts/tenders | Upto the powers of acceptance of contracts/tenders | Upto the powers of acceptance of contracts /tenders. | Upto the powers of acceptance of contracts/tenders. |
| <p>Note:- (1) Finance concurrence is necessary if order is being cancelled without resorting to Risk Purchase. (2) In respect of Purchase Order, where 10% Security Deposit has been collected from the firm, Security Deposit shall be forfeited in case of default by such firm without resorting to Risk Purchase (Authority:Railway Board's Letter No. 2001/RS(G)/779/14 dated:21.09.07).</p> | | | | | | | |
| 42 | 42.1 Extension of delivery date. | STORES CODE 445-S Rly Bd ltr. No.86/RS(G)/779/8 dtd 29.02.1988, ACS No.16 to Stores Code 132(4) (2) vide Rly. Bd ltr. NO:2008/RS(G)/779/9 dtd. 06.02.2009. | Full Powers | Upto the Purchase Powers. | Upto the Purchase Powers. | Upto the Purchase Powers. | Upto the Purchase Powers. |
| <p>Note:(1) Extension of delivery date may be approved by the competent authority provided :- (a) That the rate in the contract was not accepted ignoring lowest tender in consideration of the date of delivery. (b) That he is satisfied that the delay will not cause loss or damage or in case of special purchases, Indenting Officer certifies that no loss on account of late delivery would be sustained. (c) That in any case which does not satisfy any or both of the above conditions, approval for such case, shall be accorded only in consultation with PFA and after taking legal advise if necessary. (2) When the Supplier has failed to deliver the stores within the stipulated time, the delivery period may be extended by imposing Liquidated Damages, a sum equivalent to 2% of the value of material (including elements of Taxes, Duties & Freight etc), which the Contractor has failed to deliver within the period fixed for delivery, for each month or part of a month (not each calendar month or part thereof) subject to a maximum of 10% of value of the delayed supplies. There should normally be no system of waiver of Liquidated Damages and imposition of token LD for delayed supplies in supply contracts. The system waiver of LD and imposition of token LD for delayed supplies in supply contracts will strictly be an exception rather than rule and only in situations, where the circumstances leading to delays in supplies were beyond the control of supplier (Authority: Rly Bd letter No.2003/RS(G)/779/9 dated 04.03.2008, 28.04.2008 & 23.10.2013).</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|---|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| मद सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | परेषिती/डिपो अधिकारी | | | | |
| 42.2 | सुपुर्दगी अवधि समाप्त होने के बाद प्रेषित सामग्रियों को परेषिती द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र सं.73/RS(G)/779/59 दिनांक 27.02.1980 (#)के अनुसार स्वीकृत करना । | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS (G)/779/14 Pt. दिनांक:06.01.2017, मद सं. 2.0(27). | i) 8 लाख रुपये तक के आदेश के लिए एल डी को लगाकर 6 माह तक का विलंब । ii) एल डी लगाकर 8 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक मूल्य के आदेश के लिए 21 दिनों तक का विलंब, बशर्ते आरंभिक सुपुर्दगी अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो । 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी अन्य आदेशों के लिए, क्रय कार्यालय से पहले से ही सुपुर्दगी अवधि का विस्तार लेना आवश्यक है । | | | | |
| नोट:- (1) (#) उपरोक्त स्वीकृति शक्तियों के प्रयोग की अनुमति संविदाओं/आदेशों के निम्नलिखित कोटियों के मामले में नहीं दी जाती है (बोर्ड का पत्र सं.73/RS(G)/779/59 दिनांक 27.02.1980). (i) आवश्यक परिचालन एक्प्रेस और संकर्म प्रोग्राम इंडेंट के अधीन दी गई संविदाएं । (ii) संविदाएं जहाँ शीघ्र सुपुर्दगी के लिए उच्च कीमत का भुगतान किया गया हो । (iii) गंभीर बाजार विचलन के अधीन सामग्री आपूर्ति के लिए संविदाएं । (iv) संविदाएं जिनमें पूर्व-अनुमानित क्षतियों को वसूल करने का प्रावधान होता है, उपर्युक्त (i), (ii), (iii) एवं (iv), जैसी संविदाओं के मामले में, खरीद आधिकारी को खरीद आदेश में विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहिए कि 6 माह/21 दिनों की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति निम्नलिखित खंड को शामिल करने पर लागू नहीं होगा: “ संविदा के 6 माह/21 दिनों के अंदर सुपुर्दगी अवधि को आगे बढ़ाने की डिपो अधिकारी/निरीक्षण अधिकारी/परेषिती के पास उपलब्ध प्राधिकार इस खरीद के संबंध में लागू नहीं होगा ।” (2) उपरोक्त 42.2 (i) & (ii) दोनों के लिए, डिपो अधिकारियों/परेषिती द्वारा मामलों को भंडार मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए, यदि मामले को एल डी को छोड़ने के लिए सिफारिश की गई हो । | | | | | | | |
| 43 | निर्धारित समय के भीतर सुपुर्दगी नहीं करने पर जुर्माना । | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 86/RS(G) /779/8 दिनांक 29.02.1988, परिपत्रित खाता सं.16 से भंडार कोड 132 मद (4) , रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2008/RS(G) /779/9 दिनांक 06.02.2009 देखें । | संविदाओं/निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक | संविदाओं/निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक | संविदाओं/ निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक | संविदाओं/ निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक | संविदाओं/ निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्तियों तक |
| 43.1 | ठेकेदार की ओर से हुई विलंबता के कारण रेलवे को हुई किसी हानि या क्षति या क्षति की वसूली और संविदा को रद्द करना । | | | | | | |
| 43.2 | संविदा मूल्य के 10% दर से सुरक्षा जमा राशि की जब्ती, बशर्ते उसे संविदा शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो । | | | | | | |
| 43.3 | ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कहीं और से खरीद | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Item No. | Description of item | Authority | CONSIGNEE / DEPOT OFFICER | | | | |
| 42.2 | Acceptance of stores despatched after the expiry of delivery period by the Consignee, subject to conditions as stipulated in Board's letter No.73/RS(G)/779/59 dated 27.02.1980 (#). | Rly Board letter No .88/RS(G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017, Item No.2.0(27). | i) Delay upto 6 months for order valued upto Rs. 8 Lakhs with the levy of LD. ii) Delay upto 21 days for order valued between Rs.8 Lakhs to Rs. 15 Lakhs with the levy of LD, provided the initial delivery period does not exceed 6 months. For all other orders, valued over Rs. 15 Lakhs prior extension of delivery period from the purchase office will be necessary. | | | | |
| Note:(1) (#) The above acceptance powers are not allowed in respect of the following categories of contracts/orders (Board letter No.73/RS(G)/779/59 dtd.27.02.1980). (i) Contracts placed against urgent operational express and Works Programme indents. (ii) Contracts where higher prices have been paid for earlier delivery. (iii) Contracts for supply of stores subject to severe market fluctuations. (iv) Contracts in which provision is made for recovery of pre-estimated damages. In respect of such contracts at (i)(ii), (iii) & (iv) above, the Purchase Officer should specifically mention in the purchase order that the grant of extension of time limit of 6 months / 21 days will not apply by inserting the following clause:"The authority available to the Depot Officer / Inspecting Officer/ Consignee to extend the delivery period within 6 months / 21 days of the contract delivery will not apply in respect of this purchase order" (2) For both 42.2 (i) &(ii) above, Depot Officers/Consignees have to refer the cases to Stores Head Office, if the case is recommended for the waiver of LD. | | | | | | | |
| 43 | Penalties for failure to deliver the stores within the stipulated time. | Rly Bd letter No.86/RS(G)/779/8 dated 29.02.1988, ACNo.16 to Stores Code 132 Item (4) circulated vide Bd ltr no. 2008/RS(G)/779/9 Dated 06.02.2009. | Upto to the power of acceptance of contracts/ tenders | Upto to the power of acceptance of contracts/tenders | Upto to the power of acceptance of contracts/tenders | Upto to the power of acceptance of contracts /tenders | Upto to the power of acceptance of contracts/ tenders |
| 43.1 | Cancellation of the contract and recovery of any loss or damage which the Railway may sustain by reason of such failure on the part of the contractor. | | | | | | |
| 43.2 | Forfeiting of security deposit at the rate of 10% of contract value, provided the same has been submitted as per contract conditions. | | | | | | |
| 43.3 | Purchase elsewhere at contractor's risk | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|---|--|--|--|--|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43.4 | ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय या विस्तृत समयवधि के दौरान, प्रत्येक माह या माह के एक हिस्से (प्रत्येक कैलेंडर माह या उसका हिस्सा नहीं) के लिए तय किए गए के अनुसार सुपुर्द नहीं किया गया हो जिस वजह से सामग्री की सुपुर्दगी शेष रह गई हो और जहाँ उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद सुपुर्दगी स्वीकार की गई हो, वहाँ करार के अनुसार परिनिर्धारित क्षति के रूप में, न कि जुर्माना के रूप में, भंडार मूल्य के 2% के बराबर (कर, शुल्क, माल भाड़ा आदि सहित) मगर विलंबित आपूर्तियों के मूल्य के 10% से अधिक न हो, ठेकेदार से वसूल करना। | | | | | | |
| <p>नोट:- (1) मद सं.43.1 के लिए, महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत वार्षिक संविदा के अधीन आदेश के लिए प्रमुसाप्र को पूरी शक्तियाँ। [रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2008/RS(G)/779/9 दिनांक 06.02.2009 का मद (5)].</p> <p>(2) खरीद आदेश जहाँ फर्म से 10% सुरक्षा राशि जमा ली गई हो, तो फर्म की ओर से दोष पाए जाने के मामले में जोखिम खरीद का सहारा लिए बिना प्रतिभूति जमा जब्त किया जाएगा। (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2001/RS(G)/779/14 दिनांक 21.09.2007).</p> <p>(3) जोखिम खरीद किए बिना यदि आदेश को रद्द किया जा रहा हो तो वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>(4) उपर्युक्त मद सं.43.4 के लिए, आपूर्ति संविदाओं में हुई परिनिर्धारित क्षति की वसूली के लिए अधिकतम सीमा विलंब से की गई आपूर्तियों के मूल्य के 10% होगा अन्यथा संविदा में दिए गए विवरणों के अनुसार। (रेलवे बोर्ड पत्र सं.2003/RS(G)/779/9 दिनांक 04.03.2008, 28.04.2008 & 23.10.2013).</p> | | | | | | | |
| 44 | भंडार संविदा में जहाँ भी शामिल विकल्प खंड का परिचालन। | रेलवे बोर्ड पत्र सं.99/RS (G)/779/5 दिनांक 20.05.2010 एवं 16.01.2015, 2017/Trans/01/नीति, दिनांक 18.10.2017, मद सं.F(8) और मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D मद सं.5(B). | विकल्प मात्रा के मूल्य सहित खरीद की शक्तियों तक। | विकल्प मात्रा के मूल्य सहित खरीद की शक्तियों तक। | विकल्प मात्रा के मूल्य सहित खरीद की शक्तियों तक। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) टी सी मामलों में विकल्प खंड के परिचालन के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। फिर भी विकल्प खंड को लागू करने के लिए संशोधन का वेटिंग आवश्यक है।</p> <p>(2) रेलवे बोर्ड के पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं.1.0(B)(vi) के अनुसार महाप्रबंधक को पूरी शक्तियाँ। महाप्रबंधक/अ.म.प्र. द्वारा स्वीकृत निविदाओं के मामले में, मात्रा में अंतर होने पर वित्तीय सहमति सहित महाप्रबंधक/अ.म.प्र. की स्वीकृति आवश्यक है।</p> <p>(3) 30% माइनस विकल्प खंड परिचालित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मूल निविदा स्वीकृति अधिकारी होंगे। बोर्ड स्तर पर अनुमोदित खरीद के मामलों में, विकल्प खंड के माइनस परिचालन को वित्तीय सहमति लेकर महाप्रबंधक के अनुमोदन से किया जाएगा।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|--|--|---|---|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43.4 | Recover from the contractor as agreed Liquidated Damages and not by way of penalty a sum equivalent to 2% of the price of any stores (including elements of taxes, duties, freight etc) which the contractor has failed to deliver within in period fixed for delivery in the contract or as extended, for each month or part of a month (not each calendar month or part thereof) during which the delivery of such stores may be in arrears where delivery thereof is accepted after expiry of the aforesaid period, subject to a maximum of 10% of value of the delayed supplies. | | | | | | |
| <p>Note: (1) For Item No. 43.1, PCMM is having full powers for orders placed against Annual Contract sanctioned by the General Manager [Item (5) of Rly Bd ltr no. 2008/RS(G) /779/9 Dated 06.02.2009].</p> <p>(2) In respect of Purchase Order, where 10% Security Deposit has been collected from the firm, Security Deposit shall be forfeited in case of default by such firm without resorting to risk purchase (Authority: Railway Board's letter no. 2001/RS(G)/779/14 Dated 21.09.2007).</p> <p>(3) Finance concurrence is necessary if order is being cancelled without resorting to Risk Purchase.</p> <p>(4) For Item No.43.4 above, the upper limit for recovery of liquidated damages in Supply contracts will be 10% of value of delayed supplies, irrespective of delays, unless otherwise provided specifically in the contract (Rly Bd letters no.2003/RS(G)/779/9 Dated 04.03.2008, 28.04.2008 & 23.10.2013).</p> | | | | | | | |
| 44 | Operation of option clause wherever included in Stores Contacts. | Rly Board Letter No. 99/RS (G) /779/5 dated:20.05.2010 and 16.01.2015, 2017/ Trans/01/Policy dated 18.10.2017, Item No.F(8) and Model SOP-IR, Part-D Item No.5(B). | Upto the purchase powers, including value of option quantity. | Upto the purchase powers, including value of option quantity. | Upto the purchase powers, including value of option quantity. | NIL | NIL |
| <p>Note:(1) Operation of Option Clause will not require finance concurrence in TC cases. However, vetting of Amendment for invoking option clause is necessary.</p> <p>(2) Full powers for GM under terms of Rly Board letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017, Item No.1.0(B)(vi). In case of tenders accepted by GM/AGM, variation in quantity also requires the sanction of GM/AGM with Finance concurrence.</p> <p>(3) Competent Authority for operating minus 30% option clause shall be original tender accepting authority. In cases of purchases approved at the level of Board, minus operation of option clause shall be done with the approval of GM with Finance concurrence.</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|---|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | जोखिम खरीद, सामान्य क्षति और परिनिर्धारित हर्जाना के कारण हानि को बट्टे खाते में डालना। | रेलवे बोर्ड पत्र सं. 88/RS(G)/779/14 Pt. दिनांक: 06.01.2017, मद सं.2.0(26). | 1.5 लाख रुपये तक | 75,000 रुपये तक | 40,000 रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है। (2) इन शक्तियों का अत्यंत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल जब मध्यस्थता और कानूनी कार्रवाई के अलावा अन्य कोई साधन नहीं बचा हो। दोषी फर्मों के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।</p> | | | | | | | |
| 46 | संविदा का भारतीय रेल मानक शर्तों में अंतर। [संविदा की आईआरएस शर्तों में आने वाले परिनिर्धारित क्षति (एल डी), जोखिम खरीद और मध्यस्थता से संबंधित खंड]। | रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2017/Trans /01/ नीति, दिनांक 18.10.2017 मद सं.(F10) | (1) 'परिनिर्धारित नुकसान, जोखिम खरीद से संबंधित खंडों का (सामान्य क्षति (जी डी)) लगाए बिना आरपी में छूट सहित) परिचालन एवं छोटी वसूली में असमान प्रशासनिक व्यय से बचने के लिए अनुबंध के बाद के चरण में उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता (संविदा का मूल्य 15 लाख रुपये तक) को वित्त सहमति के बिना छोड़ देना। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | | | 2 (a) 15 लाख रुपये से ऊपर की संविदाओं में ठेका के बकाया मूल्य के 10% राशि को जी डी के रूप में लगाकर वित्त सहमति के बिना प्रत्येक मामले में जोखिम खरीद को छोड़ देना। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | | | 2 (a) 15 लाख रुपये से ऊपर की संविदाओं में ठेका के बकाया मूल्य के 10% राशि को जी डी के रूप में लगाकर वित्त सहमति के बिना प्रत्येक मामले में जोखिम खरीद को छोड़ देना। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

STORES

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|--|---|--|---|----------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | To write off loss due to Risk Purchase, General Damages & Liquidated Damages. | Rly Board Letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated:06.01.2017, Item No.2.0(26). | Upto Rs.1.5 Lakhs | Upto Rs.75,000 | Upto Rs.40,000 | NIL | NIL |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is necessary. (2) These powers should be exercised with utmost care and only when all other modes of recovery except through Arbitration and legal action have been exhausted. Suitable administrative action should be taken against defaulting firms.</p> | | | | | | | |
| 46 | Variation of Indian Railways Standard Conditions of Contract [Clauses relating to Liquidated Damages(LD), Risk Purchase (RP) & Arbitration appearing in IRS Conditions of contract]. | Rly Bd letter no.2017/ Trans/01/ Policy, dated 18.10.2017 Item No.(F10). | (1) May waive without Finance concurrence operation of clauses relating to 'Liquidated damages', 'Risk Purchase' (including waiver of RP without imposing General Damages (GD)) and 'Arbitration' appearing in the contract (value of contract upto Rs.15 Lakhs) at the post contract stage in order to avoid disproportionate administrative expenditure in small recoveries. | NIL | NIL | NIL | NIL |
| | | | 2 (a) For contracts above Rs.15 Lakhs RP may be waived in individual cases by imposing GD @ 10% of outstanding value of the contract without Finance concurrence. | 2 (a) For contracts above Rs.15 Lakhs RP may be waived in individual cases by imposing GD @ 10% of outstanding value of the contract without Finance concurrence. | NIL | NIL | NIL |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|-------------|-----------|--|--|------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2 (b) 15 लाख रुपये से अधिक की संविदाओं के साथ प्रत्येक मामले में जी डी लगाए बिना वित्त सहमति के साथ जोखिम खरीद को छोड़ देना। | 2 (b) 15 लाख रुपये से अधिक की संविदाओं के साथ प्रत्येक मामले में जी डी लगाए बिना वित्त सहमति के साथ जोखिम खरीद को छोड़ देना। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) आगे जितना प्रतिभूति जमा किया गया है [मान लो मूल्य 'A' (जो कि ठेका मूल्य के 10% से कम है)], ऐसे मामले में राशि में अंतर के लिए जी डी लगाया जाएगा, यानी, लगाए गए जी डी (मान लो 'B') संविदा के बकाया मूल्य के 10% और जमा किए गए एस डी को घटाने के बाद प्राप्त होगी।</p> | | | | | | | |

डिपो मामले

| मद सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | डिपो अधिकारी | | | | |
|--|--|--|---|---|---|----------|----------|
| 47 | संविदा में औपचारिक संशोधन किए बिना डिपो अधिकारी द्वारा अधिक/कम आपूर्ति की स्वीकृति। | 441 -S एवं रेलवे बोर्ड का पत्र सं.88/RS(G)/779/14 Pt. दि.06.01.2017,मद सं.2.0(28) | संविदा के मूल्य का 5% तक या 8 लाख रुपये तक जो भी कम हो बशर्ते प्राप्ति का कुल मूल्य प्रमुसाप्र की खरीद की सामान्य शक्तियों से अधिक नहीं हो। | | | | |
| <p>नोट:- (1) संशोधित संविदा का मूल्य मूल निविदा को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी की शक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा अधिक मात्रा की प्राप्ति सहित सामग्री का कुल मूल्य के लिए निविदा को स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।</p> | | | | | | | |
| 48 | रद्दी माल, अनुपयोज्य, अधिशेष और अप्रचलित भंडार की बिक्री या हस्तांतरण द्वारा निपटारा और अंकित मूल्य तथा बिक्री मूल्य के बीच अंतर का समायोजन। | एसीएस सं.16 से भंडार कोड 132 मद (11) (a) (b) (c) परिपत्रित बोर्ड का पत्र सं. 2008/ RS(G) /779/9 दिनांक 06.02.2009 देखें। मद सं.132-S एवं 2307-S का 9, 132-S एवं 2310-S का मद सं.11, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2015/RS(S)/ 709/5 दिनांक 29.01.2016 पैरा 8.4, मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D मद सं. 7(B)(ii). | उनकी खरीद की सीमा की अपनी शक्तियों तक (*) | उनकी खरीद की सीमा की अपनी शक्तियों तक (*) | उनकी खरीद की सीमा की अपनी शक्तियों तक (*) | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 48.1 | निविदाओं द्वारा (केवल स्कैप के लिए लागू). | | | | | | |

नोट:- (*) प्राधिकार :

रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2015(RS(S)/709/5 दिनांक 29.01.2016 पैरा 8.4, जिसके अधीन बिक्री निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्ति वही होनी चाहिए जो सीधी खरीद सहित खरीद मामलों के लिए कम से कम कनिप्रग्रे स्तर लागू होता है।

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|---|--|---|--|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2 (b) For contracts above Rs.15 Lakhs RP may be waived in individual cases without imposing GD with Finance concurrence. | 2 (b) For contracts above Rs.15 Lakhs RP may be waived in individual cases without imposing GD with Finance concurrence. | NIL | NIL | NIL |
| Note:(1) The decision to waive RP should be taken before floating of fresh tender. Further to the extent Security Deposit (SD) has been taken [say of value 'A' (which is less than 10% value of contract)], in such cases, the GD will be leviable for the difference amount i.e., GD leviable (say 'B') will be equal to 10% of out-standing value of contract minus the value of SD submitted (A). In such cases, SD amount 'A' shall be forfeited and the 'GD' amount 'B' shall be recovered from the firm. | | | | | | | |
| DEPOT MATTERS | | | | | | | |
| Item No. | Description of item | Authority | DEPOT OFFICER | | | | |
| 47 | Acceptance of excess/short supply by Depot Officer without formal amendment to the contract. | 441 -S and Rly Board letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No.2.0 (28). | Upto 5% of the value of contract or Rs. 8 Lakhs whichever is less subject to total value of the receipt not exceeding normal Purchase powers of PCMM. | | | | |
| Note: (1) Value of the amended contract should not exceed the powers of the authority that approved the original tender, otherwise the approval of the authority who is competent to accept the tender for total value of material including the excess quantity received shall be obtained. | | | | | | | |
| 48 | Disposal by sale or transfer of scrap, unserviceable, surplus and obsolete stores and adjustment of the difference between book value and sale value. | ACS No.16 to Stores Code 132 Item (11) (a) (b) (c) circulated vide Bd ltr no. 2008/RS(G)/779/9 Dtd. 06.02.2009. | | | | | |
| 48.1 | By Tenders (applicable only for scrap). | Item No.9 of 132-S & 2307-S Item No.11 pf 132-S & 2310-S, Rly Bd letter No.2015/RS(S)/709/5 dated 29.01.2016 Para 8.4, Model SOP-IR, Part-D Item No.7(B)(iii). | Upto their limit of their power of Purchase (*) | Upto their limit of their power of Purchase (*) | Upto their limit of their power of Purchase (*) | NIL | NIL |
| Note : (*) AUTHORITY: Rly Bd letter No.2015(RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016 Para 8.4, under which the delegation of power for acceptance of Sale Tenders should be same as that applicable for Purchase Cases including Direct Acceptance at minimum JAG level. | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---------|--|---|---|--|--|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48.2 | अधिशेष भंडार एवं स्क्रेप भंडार की सीधी बिक्री द्वारा । | भंडार कोड 132(11)(b) एवं भंडार कोड 2310 एवं 2311 और मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D मद सं.7(E). | अन्य रेलवे एवं सरकारी विभाग को बिक्री : पूरी शक्तियाँ | अन्य रेलवे एवं सरकारी विभाग को बिक्री : पूरी शक्तियाँ | अन्य रेलवे एवं सरकारी विभाग को बिक्री :1 लाख रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | | | रेल कर्मचारियों को पुनः चक्रण योग्य एवं औद्योगिक स्क्रेप की बिक्री, 10,000/- रुपये तक | रेल कर्मचारियों को पुनः चक्रण योग्य एवं औद्योगिक स्क्रेप की बिक्री, 5,000/- रुपये तक | रेल कर्मचारियों को पुनः चक्रण योग्य एवं औद्योगिक स्क्रेप की बिक्री, 3,000/- रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 48.3 | नीलामी द्वारा | भंडार कोड 132(11)(c) & बोर्ड का पत्र सं. 2015/RS(S)/709/5 दिनांक 29.01.2016, भंडार कोड 2224 के अधीन । | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है ।

- (*) (2) डीएस-8 के माध्यम से स्क्रेप के रूप में प्राप्त डिपो स्क्रेप के सभी मदों को सर्वेक्षण समिति द्वारा सर्वेक्षण से छूट दी जाती है । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2015/RS(S)/709/5 दिनांक 29.01.2016 का पैरा 5.2). खरीद शक्तियों की वर्तमान प्रत्यायोजन के अनुसार 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के स्क्रेप की बिक्री के लिए निविदा द्वारा बिक्री के लिए निविदा समिति का गठन किया जाएगा । कृपया नीचे दिए गए एसओपी मद सं.49 देखें ।
- (3) धन मूल्य के अनुसार लॉट्स का आकार 10 लाख से 25 लाख रुपये के बीच होना चाहिए और किसी भी स्थिति में लॉट का आकार एवं मूल्य 500MT एवं 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए । कभी-कभी खरीददारों से माँग पर नीलामी पर्यवेक्षण अधिकारी कुछ लॉट को एक साथ कर देते हैं । ऐसे मामले में, क्लब किए गए लॉटों का कुल मूल्य भी सामान्यतः 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2007/RS(S)/709/12 दिनांक 22.04.2013). फिर भी अपवाद मामलों में, यदि जरूरी महसूस हो तो प्रमुसाप्र द्वारा 750 MT या 2 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, का छूट दे सकते हैं । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2015/RS(S)/709/5 दिनांक 29.01.2016 का पैरा 8.1).
- (4) पिछली नीलामियों और अन्य सूचनाओं से जैसे समान सामग्री की प्रकाशित बाजार दर, नजदीकी डिपो में समान सामग्री की हालिया नीलामी आदि के आधार पर आरक्षित मूल्य को तय की जानी चाहिए ।
- (5) जिन दरों पर अधिशेष सामग्रियां बेची जानी हैं वे अंकित मूल्य (जिसे सर्वेक्षण समिति द्वारा अपेक्षित तौर पर संशोधित किया गया हो) अथवा जिस दर पर हाल की नीलामी अथवा निविदा बिक्री में इस प्रकार की सामग्री बेची गयी हो, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए । जहाँ हाल की नीलामी में इस प्रकार की वस्तुएं नहीं बेची गयी हों, परन्तु निर्धारित आरक्षित मूल्य नहीं पहुँचने के कारण वापस ली गयी हो, इस प्रकार की बिक्रियों के मामले में वैसे मूल्यों को लागू मूल्य के रूप में दूसरी रेल को की गई बिक्री को छोड़कर पर्यवेक्षण, भंडारण, परिव्यय पर ब्याज को पूरा करने के लिए कुल लागत पर (यानी मूल लागत+माल भाड़ा+प्रासंगिक प्रभार) 5% की दर पर माल भाड़ा, 2% की दर पर प्रासंगिक प्रभार (भंडार कोड के पैरा 2327 व 2328) और 12.5% की दर पर विभागीय प्रभार को अतिरिक्त प्रभार के रूप में लगाया जाएगा । [पैरा 2331(a)-S व 2311-S]. अधिक स्टॉक/अधिशेष सामग्रियों (पैरा 2325-S) के निपटारा के लिए रेलवे द्वारा निविदा भी जारी किया जा सकता है ।
- (6) छोटी बिक्री के मामले में, यदि रेलवे को अग्रिम भुगतान किया जाना हो तो, स्क्रेप एवं मरम्मत न करने योग्य अधिशेष और पुरानी सामग्रियों को अंकित मूल्य पर बेचा जाए या प्रत्येक बिक्री में 200/- रुपये से अधिक की हानि पर न बेचा जाए । हानि की गणना करते समय माल भाड़े को भी शामिल किया जाए । [पैरा 2331(a)-S एवं 2311-S]. ओवर स्टॉक/अधिशेष भंडार का निपटारा करने के लिए रेलवे निविदा प्रस्तुत कर सकता है । (पैरा 2325-S).

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---------|---|--|---|--|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48.2 | By Direct Sale of Surplus stores and Scrap Stores | Stores Code 132(11)(b) & Stores Code 2310 & 2311 and Model SOP-IR, Part-D Item No.7(E). | Sale to other Rlys and Govt.Dept. : FULL POWERS. | Sale to other Rlys and Govt.Dept. : FULL POWERS. | Sale to other Rlys and Govt.Dept. : Upto Rs.1 Lakh. | NIL | NIL |
| | | | Sale to Rly Employees:FULL POWERS | Sale to Rly Employees: FULL POWERS | Sale to Rly Employees : Upto Rs.2000/- in each case at rates fixed by PCMM. | NIL | NIL |
| | | | Sale to Rly Employees rerollable and Industrial scrap upto Rs.10,000/-. | Sale to Rly Employees rerollable and Industrial scrap upto Rs.5,000/-. | Sale to Rly Employees rerollable and Industrial scrap upto Rs.3,000/-. | NIL | NIL |
| 48.3 | By Auction | Stores Code 132(11)(C)& Bd letter no. 2015/RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016,subject to Stores Code 2224. | Full Powers | Full Powers | Full Powers | NIL | NIL |

Note:(1) Finance concurrence is not necessary.

- (*) (2) All items of Depot scrap received as scrap through DS-8 is exempted from survey by Survey Committee. (Para 5.2 of Rly Bd letter No. 2015/RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016). Tender Committee is to be constituted for Sale by Tenders for sale of scrap of value above Rs.30 Lakhs as per present delegated purchase powers. Please refer SOP Item No.49 below.
- (3) The size of the lots in terms of money value should range between Rs.10 to Rs.25 Lakhs and in no case the size and value of the lots should exceed 500 MT and Rs.2 Crores. At times, on demand from the purchasers, the auction supervising officer clubs a few lots for sale. In such cases, the total value of the clubbed lots also should generally not exceed Rs.2 Crores (Rly Bd letter No. 2007/RS(S)/709/12 Dated 22.04.2013). However in exceptional circumstances, if felt necessary by PCMM can give exemption upto 750 MT or Rs.2 Crores whichever is lower (Para 8.1 of Rly Bd letter No. 2015/RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016).
- (4) Reserve Prices based on bids obtained in the past Auctions and other information like published market rate of similar material, recent auction of similar material in Depots near by etc., should be fixed.
- (5) The rates at which the Surplus Stores may be sold should be the Book Rates (which would have been suitably modified by the Survey Committee) or the rates at which similar articles have been sold in recent Auction or Tender Sales, whichever may be higher. Where similar articles have not been sold at recent Auction but have been withdrawn owing to the Reserve Price that had been fixed not having been reached, such prices should be taken to be the price applicable in the case of these sales. Additional charges for freight @ 5%, incidental charges @ 2% (Stores Code Para 2327 & 2328) and Departmental charges @ 12.5% on total cost (i.e, prime cost+freight+incidental charges) to cover cost of supervision, storage, interest on outlay, shall be added, except when the sale is to other Government Rlys (Stores Code Para 2329).
- (6) In the case of petty sales, the cost if payable strictly in advance to the Railway scrap and unserviceable surplus and obsolete stores may be sold at book value or at a loss not exceeding Rs.200/- on each sale. The freight involved should also be taken into account in computing the loss [Para 2331(a)-S & 2311-S]. Railway may also submit Tenders to dispose of over stocks/surplus stores (Para 2325-S)

| मद सं. | निविदा द्वारा रेलवे स्क्रेप की बिक्री | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|----------|
| 49 | रेल स्क्रेप की बिक्री के लिए निविदा समिति एवं स्वीकृति प्राधिकारी का गठन, खरीद मामलों के लिए अन्य लागू होंगे और कम-से-कम कनिप्रग्रे स्तर के अधिकारी होंगे। प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2015(RS(S)/709/5 दिनांक 29.01.2016 पैरा 8.4, जिसके अधीन बिक्री निविदाओं को स्वीकृत करने की शक्ति वही होनी चाहिए जो सीधी खरीद सहित खरीद मामलों के लिए लागू कम से कम कनिप्रग्रे स्तर के होंगे। | | | | | | |
| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | बकाया बिक्री मूल्य (BSV) का भुगतान के लिए समय बढ़ाना। | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2015/RS (S)/709/5 दिनांक 29.01.2016 पैरा 8.2 | यथा लागू पूर्ण ब्याज शुल्क के साथ 20 दिन, नीलामी की तारीख सहित 15 दिन के मुफ्त समय के आगे, नीलामी की तारीख से 35 दिन से अधिक नहीं। | यथा लागू ब्याज शुल्क के साथ 20 दिन, नीलामी की तारीख सहित 15 दिन के मुफ्त समय के आगे, नीलामी की तारीख से 35 दिन से अधिक नहीं। | यथा लागू ब्याज शुल्क के साथ 20 दिन, नीलामी की तारीख सहित 15 के दिन मुफ्त समय के आगे, नीलामी की तारीख से 35 दिन से अधिक नहीं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>(2) यदि BSV मुफ्त समय/विस्तारित अवधि जो भी मामला हो, के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो ईएमडी को जब्त किया जाएगा। (उपरोक्त रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 29.01.2016 का पैरा 7.3(ii)).</p> <p>(3) वित्तीय सहमति के बिना बीएसवी का भुगतान करने के लिए मुफ्त समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है। [उपरोक्त रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 29.01.2016 का पैरा 7.3(i) (ii)] (I) 3,00,000/- रुपये बिक्री मूल्य के लिए, बोली स्वीकृत होने की तारीख से 10 दिन। (II) 3,00,000/- रुपये बिक्री मूल्य से अधिक के लिए, बोली स्वीकृत होने की तारीख से 15 दिन।</p> <p>(4) बिलंब से भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक की मूल दर के ऊपर 7% ब्याज लगाया जाएगा। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2010/RS(S)/709/36 दिनांक 24.12.2010).</p> | | | | | | | |
| 50.1 | (i) पूरे ग्राउंड रेंट के साथ सामग्री सुपुर्दगी के लिए समय का विस्तार। | भंडार कोड 132, Item (12) रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2015/RS (S)/709/5 दिनांक 29.01.2016 पैरा 8.2. | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | मुफ्त सुपुर्दगी अवधि के आगे 30 दिन | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (ii) ग्राउंड रेंट के बिना सामग्री सुपुर्दगी के लिए समय का विस्तार। | | योग्य मामलों में 40 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक 10 दिन | योग्य मामलों में 40 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक 10 दिन | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है वशर्ते रेलवे को कोई क्षति नहीं हुई हो और प्रत्येक मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा लिखित में रिकार्ड किया जाए।</p> <p>(2) बिक्री मूल्य जो भी हो, सामग्रियों की सुपुर्दगी के लिए मुफ्त समय नीलामी की तारीख से 40 दिन होता है। (रेलवे बोर्ड का उपर्युक्त संदर्भित पत्र का पैरा 7.3(iii))</p> <p>(3) 50 दिनों के आगे सुपुर्दगी अवधि (डीपो स्क्रेप के मामले में) ग्राउंड रेंट लगाने के बाद दिया जा सकता है। अपवाद परिस्थितियों में जहाँ बिलंब पूरी तरह से रेल प्रशासन के कारण हो तो, महाप्रबंधक/अमप्र के अनुमोदन से ग्राउंड रेंट लगाए बिना सुपुर्दगी अवधि बढ़ाई जा सकती है। (पैरा 7.3(iv), रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2015/RS(S)/709/5 दिनांक 20.09.2016 देखें)</p> | | | | | | | |

| SALE OF RAILWAY SCRAP THROUGH TENDERS | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|-----|-----|
| Item No. | | | | | | | |
| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | Constitution of Tender Committee and Accepting Authority for SALE OF RAILWAY SCRAP shall be as applicable for Purchase Cases, with minimum at JAG level. AUTHORITY: Rly Bd letter No.2015(RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016 Para 8.4, under which the delegation of power for acceptance of Sale Tenders should be same as that applicable for Purchase Cases including Direct Acceptance at minimum JAG level. | | | | | | |
| 50 | Extension of time for payment of Balance Sale Value (BSV). | Rly Bd letter No. 2015/RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016 Para 8.2 | 20 days with full interest charges as applicable, beyond the free time of 15 days including the date of auction, not exceeding 35 days from the date of auction. | 20 days with full interest charges as applicable, beyond the free time of 15 days including the date of auction, not exceeding 35 days from the date of auction. | 20 days with full interest charges as applicable, beyond the free time of 15 days including the date of auction, not exceeding 35 days from the date of auction. | NIL | NIL |
| <p>Note:-(1) Finance concurrence is not necessary.</p> <p>(2) EMD shall stand forfeited is the BSV is not deposited within the free time/extended period as the case may be (Para 7.3(ii) of above Rly Bd letter Dated 29.01.2016).</p> <p>(3) The free time for payment of BSV without Finance concurrence is as given below (Para 7.3(i) (ii) of above Rly Bd letter Dated 29.01.2016). (I) 10 days from the date of acceptance of bid, for Sale Value upto Rs.3,00,000/-. (ii) 15 days from the date of acceptance of bid, for Sale Value above Rs.3,00,000/-.</p> <p>(4) The interest rates for the delayed payment shall be charged @ 7% (Seven percent) above the Base Rate of State Bank of India (Rly Bd letter no.2010/RS(S)/709/36 Dated 24.12.2010).</p> | | | | | | | |
| 50.1 | (i) Extension of time for delivery of material with full ground rent. | Stores Code 132, Item (12)Rly Bd letter No. 2015/RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016 Para 8.2. | Full powers | Full powers | 30 days beyond the free delivery period. | NIL | NIL |
| | (ii) Extension of time for delivery of material without ground rent. | | 10 days over and above the prescribed period of 40 days, in deserving cases. | 10 days over and above the prescribed period of 40 days, in deserving cases. | NIL | NIL | NIL |
| <p>Note:(1) Finance concurrence is not necessary provided the Railway has not suffered any loss which must be recorded in each case by the officer concerned.</p> <p>(2) Free time for delivery of material is 40 days from the date of auction, irrespective of the Sale Value (Para 7.3(iii) of above referred Rly Bd letter).</p> <p>(3) Delivery period beyond 50 days (in case of Depot scrap) can be given only after imposing ground rent. In exceptional circumstances when delay is purely on account of Railway administration, delivery can be extended without ground rent with the approval of GM/AGM (Para 7.3(iv), added vide Rly Bd letter No. 2015/RS(S)/709/5 Dated 20.09.2016).</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|--|---|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | खरीददार को कम सुपर्दगी की गई सामग्री के लिए बिक्री मूल्य की वापसी। | भंडार कोड 2321, नोट सं. (L) | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| नोट:- (1) जहाँ धन वापसी की राशि कुल बिक्री मूल्य के 10% से अधिक हो तो वित्तीय सहमति आवश्यक है। | | | | | | | |
| 52 | रिजेक्ट सामग्री को हटाने के लिए समय का विस्तार और ग्राउंड रेंट की छूट। | भंडार कोड132, मद (12).m मोडेल एस ओ पी-भा.रे., भाग-D मद सं.:5(F). | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | 1 लाख रुपये तक | 50,000/-रुपये | 50,000/-रुपये |
| नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। (2) उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब विस्तार करने से या छोड़ने से रेलवे को कोई क्षति नहीं हुई हो और प्रत्येक मामले में तथ्यों को लिखित में रिकार्ड किया जाए। (3) (I) रिजेक्ट की गई सामग्री को हटाने के लिए रिजेक्शन मेमो जारी होने की तारीख से 21 दिनों का मुफ्त समय। (संदर्भ: भंडार कोड 762). (ii) GeM खरीद आदेशों के अधीन रिजेक्ट आपूर्ति के लिए, GeM कार्यविधि/मार्गदर्शन के अनुसार लागू होगा। | | | | | | | |
| 53 | रिजेक्ट की गई आपूर्तियों के संबंध में ग्राउंड रेंट की वापसी। | मोडेल एस ओ पी-भा.रे., भाग-D सं.:5(G). | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | 50,000/-रुपये | 50,000/-रुपये |
| नोट:- (1) यदि वसूली गई ग्राउंड रेंट 500/- रुपये से अधिक हो तो पूर्व वित्तीय सहमति आवश्यक है। (2) उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब विस्तार करने से या छोड़ने से रेलवे को कोई क्षति नहीं हुई हो और प्रत्येक मामले में तथ्यों को लिखित में रिकार्ड किया जाए। | | | | | | | |
| 54 | सामान्य स्टॉक के साथ भंडार की प्रत्यक्ष बिक्री। | भंडार कोड 2327, 2328, 2329. | पूरी शक्तियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| नोट:- 1) वित्तीय सहमति आवश्यक है। 2) भंडार कोड पैरा 2327. जिन भंडारों का ओवरस्टॉक नहीं हो उनकी बिक्री निषिद्ध है। इस प्रकार की बिक्री तभी किया जाए जब अन्य सरकारी विभाग, रेलवे या स्थानीय प्राधिकारी के लिए वे वस्तुएं अति आवश्यक हो या रेल संकर्मों के लिए रेलवे ठेकेदारों द्वारा इस्तेमाल किया गया हो वशर्ते कि बिक्री करने वाले रेलवे की जरूरतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। उपर्युक्त प्रतिबंध वैसे भंडारों के लिए नहीं है जिसका स्टॉक रेलवे की सामान्य आवश्यकताओं से अधिक हो। जिस दर पर भंडार को बेचा जाएगा वह या तो अंकित मूल्य हो या खरीद मूल्य, जो भी अधिक हो, होगा। 3) भंडार कोड पैरा 2328. सार्वजनिक दर पर माल ढुलाई को भंडार के निर्धारित के साथ जोड़ा जाए। जब इस प्रकार का भाड़ा ज्ञात नहीं हो या उचित सटिकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तो, ली जाने वाला भाड़ा 5% प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक प्रभार के रूप में 2% अतिरिक्त प्रभार जोड़ा जाएगा। (भंडार कोड 2327 & 2328). पर्यवेक्षक प्रभार, भंडारण, परिव्यय पर ब्याज को पूरा करने करने के लिए कुल मूल्य पर 12.5% विभागीय प्रभार अर्थात प्राइम कोस्ट, माल भाड़ा और प्रासंगिक प्रभार जोड़ा जाएगा, सिवाय जब बिक्री किसी अन्य रेलवे को किया जा रहा हो। (भंडार कोड पैरा 2329). 4) भंडार कोड पैरा 2329 के अधीन नोट : तटस्थ नियंत्रण कर्मचारियों को जारी किए गए भंडारों पर विभागीय शुल्क प्रभार न लगाने की बात पर पारस्परिक सहमति से रेलवे द्वारा पहले से तय किया जा सकता है। | | | | | | | |
| 55 | पुस्तकों, फॉर्मों, लेखन सामग्रियों, छोटी-मोटी वस्तुओं और छोटे पद के कर्मचारियों के लिए कपड़ों की सीधी बिक्री। | भंडार कोड 132, मद (10) एवं भंडार कोड 2309, 2327, 2328 | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|--|---|---|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | Refund of sale value in the case of material short delivered to purchaser. | Stores Code 2321, Note No. (L) | Full powers | Full powers | Full powers | NIL | NIL |
| Note:(1) Finance Concurrence is necessary where the value of refund exceeds 10% of total sale value. | | | | | | | |
| 52 | Extension of time for removal of rejected material and waiver of ground rent charges thereon. | Stores Code 132, Item (12).m Model SOP-IR, Part-D Item No:5(F). | Full powers | Full powers | Upto Rs.1 Lakh | Rs.50,000/- | Rs. 50,000/- |
| Note:(1) Finance concurrence is not necessary. (2) The above powers shall be exercised provided that Railway has suffered no loss by such extension or waiving wherein facts must be recorded in writing in each case. (3) (i) The free time for removal of rejected material is 21 days from the date of issue of Rejection Memo (Ref: Stores Code 762). (ii) For supplies rejected against GeM Purchase Orders, guidelines as per GeM procedure / guidelines shall apply. | | | | | | | |
| 53 | Refund of Ground rent in respect of rejected supplies. | Model SOP-IR, Part-D No:5(G). | Full Powers | Full Powers | Full Powers | Rs.50,000/- | Rs. 50,000/- |
| Note:(1) Prior Finance Concurrence is necessary if the ground rent recovered exceeds Rs.500/-. (2) The above powers shall be exercised provided that Railway has suffered no loss by such extension or waiving which facts must be recorded in writing in each case. | | | | | | | |
| 54 | Direct sale of stores with normal stock | Stores Code 2327, 2328, 2329. | Full Powers | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Note: (1) Finance concurrence is necessary. (2) Stores Code Para 2327. The sale of stores which have not been overstocked, is prohibited. Such sales, may however, be made if they are required to meet the emergent needs of other Government Departments, Railways or local authorities or by Railways contractors for use on Railways' " works" provided that the selling Railway's needs are not adversely affected thereby. The above restriction however does not apply to stores of which the stocks are in excess of Railway's normal requirements. The rate at which the stores will be sold will be either the book rate or the purchase rate, whichever is higher. (3) Stores Code para 2328. Freight at public rates should be added to the cost of stores fixed. When such freight is not known or cannot be estimated with reasonable accuracy, the freight should be taken to be 5%. An additional charge of 2% shall be added towards incidental charges (Stores Code Para 2327 & 2328). Departmental charges @ 12.5% on the total cost ie., prime cost, freight and incidental charges to cover cost of supervision, storage, interest on outlay shall be added, except when the sale is to other Government Rlys (Stores Code Para 2329). (4) Note under Stores Code Para 2329: The levy of departmental charges on the cost of stores issued to Neutral Control Staff may be foregone by Railways by mutual consent. | | | | | | | |
| 55 | Direct sale of books, forms, stationery, petty stores and clothing for menial staff. | Stores Code 132, Item (10) and Stores Code 2309, 2327, 2328 | Full powers | Full powers | NIL | NIL | NIL |
| Note: (1) Finance concurrence is not necessary. | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---------|--|---|---|---|-------------------------------------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>नोट:- (2) (I) रेल कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी (ii) रेलवे संस्थान (iii) सरकारी रेल पुलिस विभाग (iv) भारतीय डाक एवं टेलीग्राफ विभाग (v) रेल बटालियन (vi) रेल रेजिमेन्ट एवं अन्य समान निकायों के लिए उपर्युक्त विक्री लागू है।</p> <p>(3) (i) विक्री अंकित मूल्य या खरीद मूल्य में जो अधिक हो उसपर किया जाएगा तथा: (ii) 5% की दर पर माल भाड़ा, अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रासंगिक शुल्क की ओर 2% और कुल लागत का 12.5% विभागीय प्रभार के रूप में 2% अतिरिक्त प्रभार (भंडार कोड पैरा 2327 & 2328) (अर्थात्, मूल लागत+माल भाड़ा+आकस्मिक शुल्क) लगाया जाएगा।</p> | | | | | | |
| 56 | <p>“सामान्य, आपात् या विशेष भंडारों” के “ओवरस्टॉक” की विक्री</p> <p>(I) निविदा द्वारा</p> | <p>भंडार कोड 132 मद (9) और भंडार कोड 2307, 2328, 2329, 2331(b). ACS सं.16 vide रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2008/RS (G)/779/9 दिनांक 06.02.2009 देखें, मद सं. (9).</p> | <p>पूरी शक्तियाँ एवं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को समायोजित करने की शक्तियाँ।</p> | <p>पूरी शक्तियाँ एवं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को समायोजित करने की शक्तियाँ।</p> | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (ii) सीधी विक्री द्वारा | | निर्धारित विभागीय शुल्क लगाकर अंकित मूल्य या खरीद मूल्य जो अधिक हो उसपर बेचने की पूरी शक्तियाँ। (*) | निर्धारित विभागीय शुल्क लगाकर अंकित मूल्य या खरीद मूल्य जो अधिक हो उसपर बेचने की पूरी शक्तियाँ। (*) | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>(2) उपर्युक्त 56(I) & (II) के लिए, उपर्युक्त शक्तियाँ अंकित मूल्य एवं विक्री मूल्य के बीच अंतर को समायोजित करने के लिए है।</p> <p>(*) सार्वजनिक दर पर माल ढुलाई को भंडार के निर्धारित लागत के साथ जोड़ा जाए। जब इस प्रकार का भाड़ा ज्ञात नहीं हो या उचित सटिकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तो, ली जाने वाला भाड़ा 5% होना चाहिए। प्रासंगिक प्रभार के रूप में 2% अतिरिक्त प्रभार जोड़ा जाएगा। पर्यवेक्षण, भंडारण, परिव्यय पर ब्याज को पूरा करने के लिए कुल लागत के 12.5% दर पर विभागीय प्रभार यानी प्राइम कोस्ट, माल भाड़ा और प्रासंगिक प्रभार जोड़ा जाएगा, सिवाय जब विक्री किसी अन्य रेलवे को किया जा रहा हो। [(भंडार कोड 2331 (b)) & [कोड 2327, 2328 & 2329].</p> | | | | | | |
| 57 | <p>स्टॉक में उपलब्ध भंडार का पुनर्वर्गीकरण और उन्हें पुराना या स्क्रेप करार करना।</p> | <p>भंडार कोड 132, मद (13) भंडार कोड 2223 रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2003/RS(G)/777/2 दिनांक 20.10.2009</p> | 5 लाख रुपये | 3 लाख रुपये | 1 लाख रुपये | 25000/-रुपये | कुछ नहीं |
| | | | | | सर्वेक्षण समिति के बिना 5000/-रुपये | सर्वेक्षण समिति के बिना 2000/-रुपये (*) | |
| | <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>(2) यहाँ दी गई सीमाएं प्रत्येक मद के लिए हैं, जो मद के अंकित मूल्य के आधार पर पुनर्वर्गीकरण से पहले होती है।</p> <p>(3) पुनर्वर्गीकरण से पहले, डिपो अधिकारी जहाँ आवश्यक समझा जाए वहाँ उपयोगकर्ता विभागों एवं अन्य डिपो से पता करेगा कि उनके द्वारा दो साल में सामग्रियाँ खपत नहीं होंगी।</p> <p>(4) सर्वेक्षण समिति के बारे में एस ओ पी का संबंधित मद देखें।</p> <p>(*) शक्तियाँ लागू होंगी जब डीपो का पद स्वतंत्र प्रभार का हो।</p> | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---------|--|--|--|--|------------------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>(2) Above sale is applicable to: (I) Railway Employees' Co-operative Credit Society, (ii) Railway Institutes, (iii) Government Railway Police Department, (iv) Indian Posts and Telegraphs Department, (v) Railway Battalions, (vi) Railway Regiments and other similar bodies.</p> <p>(3) (i) Sale shall be the book rate or purchase rate whichever is higher plus: (ii) Freight charges @ 5%, an additional charge of 2% towards incidental charges (Stores Code Para 2327 & 2328) and Departmental charges @ 12.5% on total cost (i.e, prime cost+freight+incidental charges).</p> | | | | | | |
| 56 | Sale of "OVERSTOCKS" of "Ordinary, Emergency or Special Stores" (I) By Tenders | Stores Code 132 Item (9) and Stores Code 2307, 2328, 2329, 2331(b). ACS No.16 vide Rly Bd letter No.2008/RS(G)/779/9 dated 06.02.2009 Item No.(9). | Full powers and power to adjust the difference between book value and sale value. | Full powers and power to adjust the difference between book value and sale value. | NIL | NIL | NIL |
| | (ii) By Direct Sale | | Full powers to sell at the book rate or purchase rate whichever is higher plus the prescribed departmental charges (*) | Full powers to sell at the book rate or purchase rate whichever is higher plus the prescribed departmental charges (*) | NIL | NIL | NIL |
| | <p>Note: (1) Finance concurrence is necessary.(2) For 56(I) & (II) above, above powers are also for adjusting the difference between book value and sale value.(*) Freight at public rates should be added to the cost of stores fixed. When such freight is not known or cannot be estimated with reasonable accuracy, the freight should be taken to be 5%. An additional charge of 2% shall be added towards incidental charges. Departmental charges @ 12.5% on the total cost i.e., prime cost, freight and incidental charges to cover cost of supervision, storage, interest on outlay shall be added, except when the sale is to other Government Rlys [(Stores Code 2331 (b)) & [Code 2327, 2328 & 2329].</p> | | | | | | |
| 57 | Reclassification of stores in stock and rate them as second hand or scrap. | Stores Code 132, Item (13)Stores Code 2223Rly Bd letter no. 2003/RS (G)/777/2 Dated 20.10.2009 | Rs. 5 Lakhs | Rs.3 Lakhs | Rs.1 Lakh | Rs.25000/- | NIL |
| | | | | | Rs.5000/- without Survey Committee | Rs.2000/- without Survey Committee (*) | |
| | <p>Note: (1) Finance concurrence is necessary. (2) The limits given here are for per item based on book value of the item before re-classification. (3) Before re-classification, the Depot Officer where considered necessary, shall ascertain from the user departments and other depots that the item is not likely to be utilised by them in the next two years.(4) Please refer relevant item of SOP on Survey Committee. (*) Powers applicable only if holding post as Depot independent in-charge.</p> | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|--|---|---|---|-------------------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | स्टॉक में भंडार का पुनर्वर्गीकरण और उन्हें पुराना या स्क्रेप करार करने के लिए सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों की स्वीकृति। यहाँ दी गई सीमा, अंकित मूल्य के आधार पर पुनर्वर्गीकरण से पहले प्रति मद के लिए है। | भंडार कोड 2223 रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2003/RS(G)/777/2 दिनांक 20.10.2009. | प्रति मद 5 लाख रुपये तक | प्रति मद 3 लाख रुपये तक | प्रति मद 1 लाख रुपये तक | प्रति मद 25000/- रुपये | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- 1) वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2) (i) S-2223 के अनुसार सर्वेक्षण समिति की सिफारिश प्राप्त की जाए और सर्वेक्षण समिति का गठन महाप्रबंधक के अनुमोदन से किया जाए। (ii) डीएस-8 के माध्यम से स्क्रेप के रूप में प्राप्त डिपो से सभी स्क्रेप को सर्वेक्षण समिति की सर्वेक्षण से अलग रखा जाए। (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2015/RS(S)/709/5 दि. 29.01.2016 का पैरा 5.2).</p> <p>3) सर्वेक्षण समिति के बिना उपरोक्त मदों के लिए डिपो अधिकारियों की शक्तियाँ 5000/- रुपये है। फिरभी, पुनर्वर्गीकरण से पहले, जहाँ आवश्यक हो, डिपो अधिकारी उपयोगकर्ता विभागों एवं अन्य से सुनिश्चित करेगा मद उनके द्वारा दो साल के भीतर उपयोग किए जाने के लायक नहीं है।</p> | | | | | | | |
| 59 | डेड स्टॉक वाली वस्तुओं की कमियों को बट्टे खाते में डालना, स्टॉक भंडार और औजार एवं संयंत्र को राजस्व खाते क्षति को बट्टे खाते में डालना और सांख्यिकी खाते के लिए विभागीय तौर पर या लेखा विभाग द्वारा किया गया सत्यापन के समायोजन के लिए मंजूरी। | भंडार कोड 132, Item (18) एसीएस सं.16 से भंडार कोड 132, मद (18) परिपत्रित, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2008/RS(G)/779/9 दिनांक 06.02.2009 देखें। | नीचे दिए गए नोट(2) के अधीन प्रत्येक मद के लिए 5000/-* रुपये तक | नीचे दिए गए नोट(2) के अधीन प्रत्येक मद के लिए 5000/-* रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | | | प्रत्येक मद के लिए 2000/- रुपये तक जहाँ क्षति किसी रेल कर्मचारी की लापरवाही या बेईमानी के कारण हो और संबंधित कर्मचारी से भंडार के मूल्य में हुई प्रभावित क्षति को वसूल करना संभव नहीं हो। | प्रत्येक मद के लिए 2000/- रुपये तक जहाँ क्षति किसी रेल कर्मचारी की लापरवाही या बेईमानी के कारण हो और संबंधित कर्मचारी से भंडार के मूल्य में हुई प्रभावित क्षति को वसूल करना संभव नहीं हो। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>(2) शक्तियों का प्रयोग किया जाए बशर्ते अन्तर निम्न के कारण नहीं हो : (i) किसी रेल कर्मचारी की लापरवाही या बेईमानी। (ii) लेखा विभाग स्टॉक सत्यापनकर्ता एवं अन्य विभाग द्वारा अपनाए गए माप का भिन्न तरीका। (iii) और इसे प्रविस द्वारा स्वीकृति प्रादन हो जिसे महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना है।</p> | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|---|--|---|---|---------------------------|---------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | Acceptance of recommendations of Survey Committee for reclassification of stores in stock and rate them as second-hand or scrap. The limits given here are for per item based on book value of the item before reclassification. | Stores Code 2223 Rly Bd letter no.2003/RS(G)/777/2 Dated 20.10.2009. | Upto Rs.5 Lakhs per item. | Upto Rs.3 Lakhs per item. | Upto Rs.1 Lakhs per item. | Rs.25000/- per item | NIL |
| <p>Note: 1) Finance concurrence is necessary</p> <p>2) (i) Recommendations of Survey committee should be obtained as per S-2223 and Survey Committee shall be constituted with GM's approval. (ii) All items of Depot scrap received as scrap through DS-8 is exempted from survey by Survey Committee. (Para 5.2 of Rly Bd letter No. 2015/RS(S)/709/5 Dated 29.01.2016).</p> <p>3) Depot Officers powers for the above item without Survey Committee is Rs.5000/-. However, before re-classification, the Depot Officer should where considered necessary, shall ascertain from the user departments and other depots that the item is not likely to be utilised by them in the next two years.</p> | | | | | | | |
| 59 | To write off shortages of articles of dead stock, losses of stores and tools and plant in stock and in-transit on Revenue account and to sanction adjustments effected in the numerical accounts for verifications undertaken departmentally or by the Accounts department. | Stores Code 132, Item (18) ACS No.16 to Stores Code 132, Item (18) circulated vide Bd ltr no. 2008/RS(G)/779/9 Dated 06.02.2009. | UptoRs. 5000/- * for each item subject to Note (2) below. | UptoRs. 5000/-*for each item subject to Note (2) below. | NIL | NIL | NIL |
| | | | Upto Rs.2000/- for each item where the loss is due to the negligence, carelessness or dishonesty of any railway employee where it is not possible to effect the recovery of the cost of the stores from the employee concerned. | Upto Rs.2000/- for each item where the loss is due to the negligence, carelessness or dishonesty of any railway employee where it is not possible to effect the recovery of the cost of the stores from the employee concerned. | NIL | NIL | NIL |
| <p>Note: (1) Finance concurrence is necessary.</p> <p>(2) The powers may be exercised provided the difference is not due to :</p> <p>(i) Negligence, carelessness or dishonesty of any Railway Employees</p> <p>(ii) different methods of measurement adopted by the Accounts Department Stock Verifiers and the Departments</p> <p>(iii) and it is agreed by PFA not to be referred to the General Manager.</p> | | | | | | | |

| क्र.सं. | मद का विवरण | प्राधिकार | प्रमुसाप्र | मुसाप्र | उप मुसाप्र | वरिसाप्र | सहासाप्र |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | (a) अंकित मूल्य एवं बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का समायोजन । | भंडार को 2307, 2310, 2312, एसीएस सं.16 से भंडार कोड 132, परिपत्रित रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2008/RS(G)/779/9 दिनांक 06.02.2009, मद (9), मद(17) के अधीन नोट-2 , मॉडल एसओपी-भा.रे. भाग-D, मद सं.8(A). | पूरी शक्तियाँ | पूरी शक्तियाँ | प्रति मद 10000/- रुपये तक | प्रति मद 10000/- रुपये | कुछ नहीं |
| | (b) बाजार दरों में विचलन के कारण लेखा और स्टॉक में समायोजन । | एसीएस सं.16 से भंडार कोड 132, मद (17) (नोट-1), मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D, मद सं. 8(B) भाग-D, | प्रति मद 10000/- रुपये | प्रति मद 10000/- रुपये | प्रति मद 5000/- रुपये | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (C) स्टॉक सत्यापन के कारण स्टॉक समायोजन लेखा के अधीन समायोजन । | एसीएस सं.16 से भंडार कोड 132, मद सं.(17) (a), मोडेल एसओपी-भा.रे., भाग-D-भा.रे., भाग-D, मद सं.8(D), रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2017/Trans/ 01/नीति दिनांक 26.10.2017 देखें । | प्रति मद 5000/- रुपये तक | प्रति मद 5000/- रुपये तक | प्रति मद 3000/- रुपये तक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| <p>नोट:- (1) वित्तीय सहमति आवश्यक है ।</p> <p>(2) 59(C) के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा बशर्ते अंतर निम्नलिखित के कारण नहीं हो :</p> <p>(i) किसी रेलवे कर्मचारी की लापरवाही या बेईमानी</p> <p>(ii) लेखा विभाग स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा अपनाई गई माप के अलग तरीकों के कारण और विभाग और प्रविस द्वारा सहमति प्रदान किया जाए कि महाप्रबंधक का संदर्भ आवश्यक नहीं है ।</p> | | | | | | | |
| 61 | डिपो अधिकारियों द्वारा सामग्री हैंडलिंग उपकरण को भाड़े पर लेना । | रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 88/RS(G) /779/14 Pt. दिनांक 06.01.2017, मद सं. 2.0(14) (1) (2)(3). | -- | -- | मासिक सीमा 5 लाख रुपये के अधीन प्रति मामला 50,000/- रुपये तक | -- | -- |
| | | | | | | | |

| Sl. No. | Description of Item | Authority | PCMM | CMM | Dy.CMM | SMM | AMM |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | (a) Adjustments of difference between Book value and Sale Value | Stores Code 2307, 2310, 2312, ACS No.16 to Stores Code 132, circulated vide Rly Bd ltr no. 2008/RS(G)/779/9 Dated 06.02.2009, Item (9), Note-2 under Item (17), Model SOP-IR Part-D, Item No.8(A). | Full powers | Full powers | Upto Rs.10000/ per item- | Rs.1000/- per item | NIL |
| | (b) Adjustments against the Stock Adjustment Account due to fluctuation in market rates. | ACS No.16 to Stores Code 132, Item (17) (Note-1), Model SOP -IR, Part-D Part-D, Item No.8(B). | Rs.10000/ per item- | Rs.10000/ per item- | Rs.5000/ per item- | NIL | NIL |
| | (c) Adjustments against the Stock Adjustment Account due to Stock Verification. | ACS No.16 to Stores Code 132, Item (17) (a), Model SOP-IR, Part-D-IR, Part-D, Item No.8(D), vide Rly Bd letter No:2017/Trans/ 01/ Policy dated 26.10.2017 | upto Rs. 5000/- per item. | upto Rs. 5000/- per item. | upto Rs. 3000/- per item. | NIL | NIL |
| <p>Note: (1) Finance Concurrence is necessary. (2) The powers under 59 (C) shall be exercised provided the difference is not due to : (i) negligence, carelessness or dishonesty of any Railway Employee (ii) not due to different methods of measurement adopted by the Accounts Department Stock Verifiers and the Departments and it is agreed by PFA that reference to General Manager is not necessary.</p> | | | | | | | |
| 61 | Hiring of material Handling equipment by depot officers. | Railway Board's letter No. No.88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017, Item No.2.0(14)(1) (2)(3). | --- | --- | Upto Rs.50,000/- per case with monthly limit of Rs. 5 Lakhs. | --- | --- |

